लोक सभा

वाद विवाद

बुधवार,
२२ सितम्बर, १९५४

(भाग १—प्रश्नोतर)

खंड ४, १९५४

(२३ अगस्त से २४ सितम्बर, १९५४)

1st Lok Sabha

सप्तम सत्र, १९५४

(खंड ४, में अंक १ से अंक २५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

• विषय-सूची

(खंड ४—अंक १ से २५—२३ अगस्त से २४ सितम्बर, १९५४)

अंक १—सोमवार, २३ अगस्त, १९५४ ... स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १ से ५, ७, १०, २४, ३१, ९, १२ से १७, १९, २१ से २३, २५ से २७, २९, ३२, ३३, ३५ . . १—४०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६, ८, ११, १८, २०, २८, ३०, ३४ ४०–४५

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ५, ७ से १७ . . . ४५–५६

अंक २—मंगलवार, २४ अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३६ से ३९, ४१ से ४३, ४५ से ५४, ५६ से ६०, ६२, ६३, ६५ से ७६, ७८ से ८१ और ८३ . . ५७–१०७

अल्पसूचना प्रश्न संख्या १ से ३ . . . . . १०७–११५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४०, ४४, ५५, ६१, ६४, ७७, ८२ और ८४ ११५–११९

अतारांकित प्रश्न संख्या १८ से ३८, ४० से ४३ . . ११९–१३८

अंक ३—बुधवार, २५ अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८५ से ९०, १२७, ९१ से ९३, ९५ से १०३, १०५ से ११२, १२४, ११३ और ११४ १३९–१८२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ १८३–१८५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४, ११५ से १२३, १२५, १२६, १२८ से १४० १८५-१९९

अतारांकित प्रश्न संख्या ४४ से ४८, ५० से ५९, ६१ और ६२ १९९-२१०

अंक ४— बृहस्पतिवार, २६ अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४१ से १४५, १४७ से १६१, १६३, १६५ से १७८ २११-२५६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ २५६-२५९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४६, १६२, १६४, १७९ से १८५ २५९-२६६

अतारांकित प्रश्न संख्या ६३ से ७४ २६६-२७४

अंक ५— शुक्रवार, २७ अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १८६, २२७, १८७ से २०१, २०३, २०५, २१७, २०६, २०७, २०९ से २१६, २१८, २१९ . . . . २७५–३२०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०२, २०४, २२०, २२१ से २२६, २२८ से २३० . . . . . ३२१–३२८

अतारांकित प्रश्न संख्या ७५ से १०५ . . . . . ३२८–३५०

अंक ६— सोमवार, ३० अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या २३१ से २३४, २३६, २३८ से २४८, २५० से २५२, २५५ से २५७, २५९, २६०, २६२ से २६५ . . ३५१–३९५

	स्तम्भ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या २३५, २४९, २५४, २५८, २६१, २६६ से २७१, २७३, २७४, २७६, २७७ से २७९ . . .	३९५–४०६
अतारांकित प्रश्न संख्या १०६ से ११७, ११९ से १२८ . . .	४०६–४२४

अंक ७-- मंगलवार, ३१ अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या २८० से २८७, २८९ से ३०१, ३०५, ३०६, ३०८ से ३११, ३१३, ३१४, ३१६, ३१८ से ३२० . .	४२५–४७२
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या २८८, ३०२, ३०५, ३०७, ३१५, ३१७, ३२१ से ३३२	४७३–४८४
अतारांकित प्रश्न संख्या १२९ से १५१ . .	४८४–४९८

अंक ८-- बुधवार, १ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३३३, ३३५, ३३६, ३३८ से ३४३, ३४५, ३४७, ३४८, ३५८, ३४९, ३५०, ३५२, ३५३, ३५५, ३५६, ३५९, ३६०, ३६३ से ३६६, ३६९ से ३७२, ३७४, ३७६ से ३७८ . .	४९९–५४५
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६	५४५–५४८
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३३४, ३३७, ३४४, ३४६, ३५१, ३५४, ३५७, ३६१, ३६२, ३६७, ३६८, ३७३, ३७५, ३७९ से ३९५ . . .	५४८–५६४
अतारांकित प्रश्न संख्या १५२ से १५६, १५९ से २०० . .	५६५–५९८

अंक ९—बृहस्पतिवार, २ सितम्बर, १९५४ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९६, ३९८ से ४०१, ४०३ से ४०७, ४०९, ४१०, ४१३ से ४१५, ४१८ से ४२०, ४२४, ४३८, ४२५ से ४२७, ४२९ से ४३२, ४३४, ४३५, ४३७, ५९९—६४३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९७, ४०३, ४०८, ४११, ४१२, ४१६, ४१७, ४२१, से ४२३, ४२८, ४३३, ४३६, ४३९ से ४४१. . ६४३—६५१

अतारांकित प्रश्न संख्या २०१ से २१९. . . . ६५१—६६२

अंक १०—शुक्रवार, ३ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४४२, ४४५ से ४५६, ४५८, ४६० से ४६६, ४६८, ४७०, ४७१, ४७३, ४७५, ४७७ से ४८२ . . ६६३—७०७

अल्प सूचना प्रश्न तथा उत्तर—

अल्पसूचना प्रश्न संख्या ६ . . . . . ७०७—७११

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न–संख्या ४४३, ४४४, ४५७, ४५९, ४६७, ४६९, ४७२, ४७४, ४७६, ४८३ से ५०४ . . . . ७११—७३०

अतारांकित प्रश्न संख्या २२० से २३३, २३४ से २४१ . . ७३०—७४४

अंक ११—सोमवार, ७ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५०६, ५०७, ५०९ से ५१६, ५१९, से ५२१, ५२६, ५२८, ५२९, ५३३, ५३५, ५३९, ५४१, ५४७, ५४९, ५५०, ५५२ से ५५५, ५६१, ५६४, ५६५ ७४५-७९०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ५०५, ५०८, ५१७, ५१८, ५२२ से ५२५, ५२७, ५३० से ५३२, ५३४, ५३६ से ५३८, ५४०, ५४२ से ५४६, ५४८, ५५१, ५५६ से ५६०, ५६२, ५६३, ५६६ से ५७५ . . . . ७९०-८१४

अतारांकित प्रश्न संख्या २४२ से २७४ . . . . ८१४-८३२

———

अंक १२—बृहस्पतिवार, ७ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५७७, ५७९, ५८१ से ५८४, ५८६, ५८७, ५८९, ५९१ से ५९४, ६०२, ६०८, ६०६, ६०७, ६०९, ६१२, ६३४, ६३५, ६१३ से ६१५, ६२० से ६२६, ६२८, ६२९, ६३३ . . . . ८३३-८७२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५७६, ५७८, ५८०, ५८५, ५८८, ५९०, ५९५ से ६०१, ६०३, ६०४, ६१०, ६१६ से ६१९, ६२४, ६२५, ६२७, ६३० से ६३२ . . ८७३-८८७

अतारांकित प्रश्न संख्या २७५ से २८२, २८४ से २९१, २९३ से २९५ . . . . . ८८८-८९८

———

अंक १३— बुधवार ८ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३६, ६३८ से ६४०, ६४२ से ६४७, ६५०, ६५१, ६५५ से ६५७, ६६१ से ६६४, ६६७, ६६८, ६७० से ६७५, ६७७, ६७८, ६८१ से ६८४ . . ८९९—९४३

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८ . . . . . ९४४—९४६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३७, ६४१, ६४८, ६४९, ६५३, ६५४, ६५८ से ६६०, ६६५, ६६६, ६६९, ६७६, ८७९, ६८०, ६८५ से ६९७ . . . . . ९४६—९६१

अतारांकित प्रश्न संख्या २९६ से ३२६ . . . ९६२—९८४

अंक १४—शुक्रवार १० सितम्बर, १९५४ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६९८, ७०० से ७०३, ७०५ से ७१६, ७२०, ७१७, ७२२, ७२४, ७२५, ७२७, ७३० से ७३३, ७३८, ७४०, ७४१, ७४४, ७६२, ७४५, ७४६ . . . ९८५—१०३२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९ . . . . १०३२—१०३५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६९९, ७०४, ७१८, ७१९, ७२१, ७२३, ७२६, ७२८, ७२९, ७३४ से ७३७, ७३९, ७४२, ७४३, ७४७, से ७६१, ७६३ से ७७१ . . . . १०३५—१०६२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३२७ से ३७९ . . . १०६२—१०९२

अंक १५—शनिवार, ११ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७७२ से ७७५, ७७६ से ७८२, ७८५, ८०९, ७८८, ७८९, ७९१, ७९३, ७९५ से ७९७, ७९९ से ८०५, ८०७, ८११ से ८१३, ८१६ से ८१८ . . १०९३—११४०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १० . . . . ११४०—११४३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७७५, ७८४, ७८६, ७८७, ७९२, ७९४ ७९८, ८०६, ८०८, ८१० . . . . . ११४३—११४९

अतारांकित प्रश्न संख्या ३८० से ३९८, ४०१ से ४०३ . ११४९—११६६

अंक १६—सोमवार, १३ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८१९, ८२१ से ८३१, ८३३ से ८३५, ८३७, ८३९, ८४२ से ८४४, ८४७ से ८५६, ८५८, ८६० से ८६२ ११६७—१२०९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८२०, ८३२, ८३६, ८३८, ८४०, ८४१, ८४५, ८४६, ८५७, ८६३ से ८७५ . . . १२१०—१२२३

अतारांकित प्रश्न संख्या ४०४ से ४२९ . . . . १२२४—१२४२

अंक १७—मंगलवार, १४ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	स्तम्भ
तारांकित प्रश्न संख्या ८७८ से ८८०, ८८३ से ८९०, ८९२, ८९३, ८९६, ९०१ से ९०७, ९१०, ९११, ९११क, ९१२ से ९१५, ९१७, ९१९, ९२०, ९२३, ९२४, ९२६, ८७७	१२४३—१२८६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८७६, ८८१, ८८२, ८९१, ८९४, ८९५, ८९७ से ९००, ९०८, ९०९, ९१८, ९२१, ९२२, ९२५ .	१२८६—१२९४
अतारांकित प्रश्न संख्या ४३० से ४[illegible]	१२९४—१३१४

अंक १८—बुधवार, १५ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९२८, ९३०, ९३२ से ९४०, ९४४, ९४८ से ९५९, ९६१, ९६२, ९६४ और ९६५ . . .	१३१५—१३५९
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९२७, ९२९, ९३२, ९४१ से ९४३, ९४६, ९४७, ९६३, ९६६ से ९७९, ९८१ से ९८६, ७८३, ७९०, ८१४ और ८१५	१३५९—१३७६
अतारांकित प्रश्न संख्या ४६३ से ४८५, ४८७ और ४८८ .	१३७६—१३९२

अंक १९—बृहस्पतिवार, १६ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९८७, ९९० से ९९६, ९९८, ९९९, १००२ से १००४, १०३६, १००५ से १००८, १०१०, १०१३, १०१६ से १०२५, १०२७ से १०२९	१३९३—१४४२
अल्प-सूचना प्रश्न संख्या ११	१४४२—१४४६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९८८, ९८९, ९९७, १०००, १००९, १०११, १०१२, १०१४, १०१५, १०२६, १०३० से १०३५, १०३७ से १०४३ . .	१४४६—१४६२
अतारांकित प्रश्न संख्या ४८९ से ५११	१४६२—१४७८

अंक २०—शुक्रवार, १७ सितम्बर, १९५४ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४८, १०४९ से १०५५, १०५७ से १०६०, १०६२ से १०६४, १०६७, १०६८, १०७२ से १०७८, १०८० से १०८५ . . . . . १५७९—१५२४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ . . . . . १५२४—१५२७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४५, १०५६, १०६३, १०६५, १०६६, १०७०, १०७६, १०८६ से ११०५ . . . . १५२७—१५४२

अतारांकित प्रश्न संख्या ५१२ से ५४६ . . १५४२—१५६६

अंक २१—सोमवार, २० सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११०६ से १११०, १११२, १११४, ११२२, ११२४ से ११२६, ११२९, ११३१, ११३४, ११३६, ११३९ से ११४३, ११४५ से ११४७, ११४९, ११५०, ११३७, ११२७, ११३५, ११२१, ११२०, ११३८, ११२८ १५६७—१६१४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १११३, १११५ से १११७, १११९, ११२३, ११३०, ११४४, ११४८ ... ... १६१४—१६१८

अतारांकित प्रश्न संख्या ५४७ से ५६७ ... १६१९—१६३४

अंक २२—मंगलवार, २१ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११५१ से ११५३, ११५५, ११५७, ११५८, ११६०, ११६१, ११६३, ११६७ से ११७०, ११७३, ११७४, ११७६, ११७७, ११७९ से ११८७, ११८९ से ११९१, ११९४, ११९५, ११९८, ११९९, १२०१, १२०३ तथा ११५४ . . . १६३५—१६८४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३ . . . . १६८४—१६८७

प्रश्नों के लिखित उत्तर-- स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ११५६, ११५९, ११६२, ११६४, ११६५, ११६६, ११७१, ११७२, ११७५, ११७८, ११८८, ११९२, ११९३, ११९६, ११९७, १२००, १२०२ तथा १२०४ . . . १६८७–१६९६

अतारांकित प्रश्न संख्या ५६८ से ५९३ . १६९७–१७१४

अंक २३—बुधवार, २२ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १२०६, १२०९, १२१०, १२१५, १२१७, १२१९, १२२०, १२२३ से १२२६, १२२८ से १२३०, १२३१ से १२३९, १२४१ से १२४५, १२४७ से १२४९, १२५१ से १२५३, १२५५ १२५७, १२५९ . . . . . १७१५—१७६१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १४ . . . १७६१--१७६४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२०५, १२०७, १२०८, १२११, १२१३ से १२१४, १२१६, १२१८, १२२१, १२२२, १२२७, १२३१, १२४०, १२४६, १२५०, १२५४, १२५६, १२५८, १२६० . . १७६४—१७७६

अतारांकित प्रश्न संख्या ५९४ से ६४८ . . . . १७७६—१८०८

अंक २४—बृहस्पतिवार, २३ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १२६१, १२६३ से १२७०, १२७२, १२७६, १२७७, १२७९, १२८०, १२८४, १२८६, १२८८, १२८९, १२९१ से १३००, १२७५, १२७४ और १११८ . . . . . १८०९—१८५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १२६३, १२७३, १२७८, १२८२ से १२८३, १२९० . . . . . १८५५—१८६१

अतारांकित प्रश्न संख्या ६४९ से ६७९ . . . . १८६१—१८८४

अंक २५—शुक्रवार, २४ सितम्बर, १९५४

	स्तम्भ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १३०१, १३०३, १३०५ से १३१०, १३१२ से १३१४, १३१६, १३१८, १३२०, १३२१, १३२३, १३२४, १३२६, १३२८, १३३०, १३३१, १३३३ से १३३६, १३३८ से १३४१, १३४३, १३४४	१८८५—१९३३
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १३०२, १३०४, १३११, १३१५, १३१७, १३१९ १३२२, १३२९, १३३२, १३३७, १३४२	१९३३—१९३९
अतारांकित प्रश्न संख्या ६८० से ७०६ ७०८ से ७१४	१९३९—१९६०

लोक-सभा

बुधवार, २२ सितम्बर १९५४

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अंधेरी-बोरीवली रेलवे लाईन

*१२०६. **श्री गिडवानी**: क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम रेलवे की अंधेरी से बोरीवली को सीधे जाने वाली लाइन के विद्युतीकरण का काम कब आरम्भ किया जायेगा ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां): बरसात के शीघ्र बाद ही काम आरम्भ किया जायेगा ।

स्थानीय निकायों को ऋण

*१२०९. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे लेविल क्रासिंग (जिस स्थान पर रेलवे लाइन सड़क से मिलती है) को हटा कर उन के स्थान पर ऊपर से जाने के पुल और जमीन के नीचे से जाने के मार्ग बनाने की लागत में अपना भाग देने के योग्य बनाने के लिये सरकार राज्यों के

कुछ स्थानीय निकायों को ऋण देने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो १९५४–५५ में दी जाने वाली अनुमानित राशि कितनी है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) १९५४–५५ तथा १९५५–५६ में ऐसे ऋण देने के लिये पंचवर्षीय योजना में की गई व्यवस्था में ५० लाख रुपये की राशि अलग कर दी गई है । चालू वर्ष में ऋण के रूप में दी जाने वाली राशि का अभी अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि अभी कई राज्य सरकारों के पास ऋण देने के सुझावों के आने की प्रतीक्षा की जा रही है ।

डा० राम सुभग सिंह: क्या जो राशि स्थानीय निकायों को देने का विचार है, वह ज़िला बोर्डों को भी दी जायेगी, क्योंकि अधिकांश ऊपर से जाने के पुल और नीचे से जाने के मार्ग ग्रामीण क्षेत्रों में बनाये जाने हैं ?

श्री अलगेशन : यह ठीक है । इन पुलों की लागत स्थानीय निकायों को देनी होगी । सीधे स्थानीय निकायों को ऋण देने के बजाय हम राज्य सरकार को ऋण देते हैं, जो स्थानीय निकायों को ऋण देगी ।

डा० राम सुभग सिंह : ये ऋण किस आधार पर दिये जाने वाले हैं; क्या इन पुलों के निर्माण-व्यय का विचार रखा जाता है, या ये ऋण केवल एतदर्थ आधार पर ही दिये जाने वाले हैं ?

श्री अलगेशन : जी नहीं, इन ऋणों को देने से पूर्व इन पुलों की लागत के अंश का विचार किया जायेगा ।

कैंसर गवेषणा केन्द्र, बम्बई

*१२१०. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतायेंगी कि कैंसर (नासूर) गवेषणा केन्द्र, बम्बई में किन मुख्य मुख्य मदों पर गवेषणा की गई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर): पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या १**]

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या कैंसर के इलाज़ के किसी नये तरीके का पता चला है ?

राजकुमारी अमृतकौर : जी नहीं । गवेषणा बराबर चल रही है, परन्तु वस्तुत: किसी आश्चर्यजनक इलाज का पता नहीं चला है ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या यह सच है कि धूम्रपान भी इस कैंसर का एक कारण है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । मैं समझता हूं कि इस विषय में वादविवाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

न्यनतम मजूरी नियम

*१२१५. **चौधरी रघुवीर सिंह** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि कलकत्ता तथा बम्बई के पत्तन प्रन्यासों द्वारा न्यूनतम मजूरी (केन्द्रीय) नियमों, १९५० को लागू करने में कतिपय व्यवहारिक कठिनाइयों का अनुभव किया जा रहा है; तथा

(ख) यदि हां, तो इन कठिनाइयों को दूर करने के हेतु सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

श्रम मंत्री (श्री के० के० देसाई): (क) तथा (ख). कतिपय कठिनाइयां बताई गई हैं और यह प्रस्ताव किया गया है कि परिवहन मंत्रालय और श्रम मंत्रालय के प्रतिनिधियों के द्वारा उसी स्थान पर इन का अध्ययन ऐसे विशेष नियमों का सुझाव देने के दृष्टिकोण से जो मज़दूरों के हितों का रक्षण करने वाले हों और साथ ही उन विशेष स्थितियों में उपयुक्त सिद्ध हो सकें जिन में पत्तन प्रन्यास के कुछ मज़दूरों को काम करना पड़ता है, किया जाना चाहिये ।

चौधरी रघुवीर सिंह: मैं जान सकता हूं कि मुख्य कठिनाइयां क्या हैं ?

श्री के० के० देसाई: जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, पत्तन प्रन्यासों के अधीन पोत-घाट मज़दूरों का काम आने वाले और जाने वाले जहाज़ों के लिये घाट को खाली रखना होता है, और इसलिये समुद्र तटीय मल्लाहों को, जिन्हें इस काम पर लगाया जाता है, रात्रि को भी अधिक समय तक काम करना पड़ता है । इस के साथ ही, प्रकाश-गृह पत्तन प्रन्यासों के प्रभाराधीन हैं । इसलिये यह काम इस प्रकार करना पड़ता है जो उन सामान्य नियमों के अनुरूप नहीं है, जो मंत्रालय ने जारी किये हैं । अत: यह इन दोनों मंत्रालयों के विचाराधीन है ।

सरदार ए० एस० सहगल : मैं जान सकता हूं कि जो वहां पोर्टट्रस्ट (पत्तन प्रन्यास) के काम करने वाले लोग हैं, उन्हों ने कोई सुझाव सरकार के पास भेजा हैं ?

श्री के० के० देसाई : जी हां, भेजा है । उस के लिये तो एक संयुक्त इनक्वायरी (जांच) हो रही है ।

श्री तिमय्या : क्या सरकार पत्तन अधिकारियों को अनुदान देने का विचार करेगी ताकि वे मजूरी विधेयक की पूर्ति करने में समर्थ हो सकें ?

श्री के० के० देसाई : मैं इस प्रश्न की पूर्व-सूचना चाहता हूं ।

शिशु-गृह

*१२१७. **पण्डित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या योजना आयोग ने काम करने वाली माताओं के लिये औद्योगिक संस्थाओं में शिशु-गृहों का कोई उपबन्ध किया है; तथा

(ख) इस की क्या योजना है तथा यह योजना के प्रथम भाग के अन्तर्गत कहां तक कार्यान्वित की जा रही है ?

श्रम मंत्री (श्री के० के० देसाई) : (क) शिशु-गृहों का उपबन्ध करने का उत्तरदायित्व मालिकों पर है और इसलिये इस कार्य के लिये योजना में कोई पृथक् वित्तीय उपबन्ध नहीं किया गया है ।

(ख) शिशु-गृहों का उपबन्ध फ़ैक्टरी अधिनियम, १९४८ (धारा ४८) खान अधिनियम, १९५२ (धारा ५८) तथा बागान श्रम अधिनियम, १९५१ (धारा १२) के अधीन करना अनिवार्य है । दिसम्बर १९५२ तक फैक्टरियों में ४२५ और खानों में १६४ (कोयले की खानों में ११९ और इन से अतिरिक्त अन्य खानों में ४५) शिशु-गृह खोले गये थे ।

पण्डित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : किस आयु तक बच्चों के लिये इन शिशु-गृहों का उपबन्ध किया जाता है ?

श्री के० के० देसाई : छः वर्ष की आयु तक के ।

पण्डित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय: प्रसव के कितने महीने के पश्चात् माताओं को फैक्टरियों में काम करने की अनुमति दी जाती है ?

श्री के० के० देसाई : विधि के अनुसार, प्रसव के छः सप्ताह पश्चात् उन्हें फैक्टरियों में काम करने का अधिकार होता है ।

श्री एन० बी० चौधरी: क्या सरकार ने इस बात का निश्चय करने के लिये कि मालिकों के शिशु-गृहों का उपबन्ध करने के उत्तरदायित्व सम्बन्धी वैधानिक उपबन्ध को कार्यान्वित किया जा रहा है, कोई कार्यवाही की है ?

श्री के० के० देसाई: यह राज्यों के फैक्टरी निरीक्षण विभागों का काम है । जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, खानों में २०९ ऐसे मुक़दमे चलाये जा चुके हैं, जहां परिनियमों के अनुसार शिशु-गृहों का उपबन्ध नहीं किया गया है ।

श्री पी० सी० बोस : क्या मैं भारतीय खान अधिनियम, भारतीय फैक्टरी अधिनियम, भारतीय बागान श्रम अधिनियम के अधीन अब तक बनाये गये शिशु-गृहों की प्रतिशतता जान सकता हूं ?

श्री के० के० देसाई : मैं समझता हूं कि संख्या मुख्य उत्तर में दे दी गई है ।

श्री पी० सी० बोस: मैं शिशु-गृहों की प्रतिशतता जानना चाहता हूं जिन का उपबन्ध किया जा चुका है, और उन शिशु-गृहों की प्रतिशतता भी जानना चाहता हूं, जिन का अभी उपबन्ध करना शेष है ।

श्री के० के० देसाई: मैं प्रश्न को समझ नहीं सका हूं ।

अध्यक्ष महोदय : जिन खानों को अनिवार्यतः शिशु-गृहों का उपबन्ध करना है, उन में से कितनी खानों ने शिशु-गृहों का उपबन्ध कर दिया है, और कितनी खानों ने अभी तक शिशु-गृहों का उपबन्ध नहीं किया है, और इसलिये प्रतिशतता क्या है ? माननीय सदस्य यही जानना चाहते हैं ।

श्री के० के० देसाई: इस समय यह जानकारी मेरे पास नहीं है ।

फालतू भण्डार

*१२१९. **श्री बहादुर सिंह:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन द्वारा जमा किये गये सामान की सूची अब तक तैयार हो चुकी है; तथा

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन के पास १ अगस्त, १९५४ को जो भण्डार थे, उन का मूल्य कितना था ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) जी, हां ।

(ख) वाणिज्यिक लेखा तैयार करने के लिये प्रति वर्ष ३१ मार्च को भण्डारों और अन्य पूंजी आस्तियों का मूल्यांकन किया जाता है । वित्तीय वर्ष १९५३–५४ के लेखे अभी संकलित किये जा रहे हैं, किन्तु ३१ मार्च, १९५४ तक के केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन के अस्थायी संतुलन पत्र के आधार पर केवल भण्डारों का अन्तिम संतुलन १,६२,३८,१४८ रुपये होगा ।

श्री बहादुर सिंह : क्या यह सच है कि केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन के पास अत्यधिक फालतू पुर्ज़े, सामान और विभिन्न भण्डार अतिरेक हैं, और यदि हां, तो उन फालतू भण्डारों, फालतू पुर्ज़ों आदि का मूल्य क्या है ? इन के फालतू होने के क्या कारण हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : हमारी आवश्यकताओं से अतिरेक जो सामान होता है अब हम उस की घोषणा कर देने की नीति का अनुसरण कर रहे हैं, और में समझता हूं, इस समय हमारे पास इस प्रकार का बहुत थोड़ा भण्डार बाकी है ।

श्री बहादुर सिंह : मैं यह जानना चाहता था कि इन भण्डारों के अतिरेक होने का क्या कारण है ?

डा० पी० एस० देशमुख : एक प्रश्न के उत्तर में उन कारणों का वर्णन करना मेरे लिये कठिन होगा ।

श्री बहादुर सिंह : क्या कुछ स्टॉक ऐसे भी हैं, जो अभी तक खोले नहीं गये हैं, और यदि हां, तो उन स्टॉकों का मूल्य क्या है ?

डा० पी० एस० देशमुख : ऐसा कोई स्टॉक नहीं है जो अब तक न खोला गया हो ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या इन वर्षों में भण्डारों के सन्तुलन का भण्डारों की वास्तविक जांच पड़ताल के साथ मिलान किया गया है, और यदि हां, तो उस स्थिति से क्या पता चलता है ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह प्रक्रिया कई वर्षों से की जा रही है और अब यह प्रायः पूर्ण होने वाली है ।

दूर-मुद्रक

*१२२०. **श्री भागवत झा आजाद :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४–५५ और १९५५–५६ में समाचार भेजने की सरकारी योजना के अंगस्वरूप किन किन स्थानों को दूर-मुद्रक लाइनों में जोड़ देने का विचार है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : नीचे उन नये स्थानों का नाम दिया गया है जिन्हें १९५४-५५ के चालू वर्ष में प्रेस समाचारों को फैलाने के निमित्त दूर-मुद्रक लाइनों से जोड़ दिया गया है :

१. नई दिल्ली–कानपुर
२. कोजिकोड–त्रिवेन्द्रम्
३. मद्रास–गुंटूर
४. नई दिल्ली–भटिण्डा
५. मद्रास–कोयम्बटूर

इन स्थानों के बीच दूर-मुद्रक लाइनों का उपबन्ध करने का प्रश्न विचाराधीन है :—

नागपुर–रायपुर
बम्बई–राजकोट
इलाहाबाद–कानपुर

श्री रघुनाथ सिंह : मैं जानना चाहता हूं.....

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । हमारी रीति यह है कि जो व्यक्ति प्रश्न पूछता है उसे प्रथम अवसर अवश्यमेव दिया जाना चाहिये ।

श्री भागवत झा आजाद : मैं यह जानना चाहता था कि यह जो दूर-मुद्रक यंत्र लगाय गये हैं इन में से कितने अंग्रेजी के हैं और कितने हिन्दी के ?

श्री राज बहादुर : हिन्दी का टेलीप्रिंटर अभी एक प्रयोग के लिये लगाया गया है और वह दिल्ली और पटना के बीच में है ।

श्री भागवत झा आजाद : मैं जानना चाहता हूं कि आपने जो ५५–५६ का प्रोग्राम दिया है उस में क्या कोई योजना है जिस के अनुसार आप हिन्दी के और दूर-मुद्रक यंत्र लगाना चाहते हैं ।

श्री राज बहादुर : जी हां, योजना है । और हम टैलीप्रिंटर मैशीन भी डवेलप कर रहे हैं । जैसे ही वह ठीक तरह से बन जायेगी कि जिस में नागरी लिपि के सारे अक्षर और मात्रायें आ सकें हम उस का प्रयोग शुरू कर देंगे ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि हिन्दी के ऐसे कितने टैलीप्रिंटर हैं जो बेकार पड़े हैं और हिन्दुस्तान समाचार समिति के मांगने पर वे क्यों नहीं दिये गये ?

श्री राज बहादुर : उन को दो टैलीप्रिंटर केवल नाम मात्र के शुल्क पर दिये गये हैं । उन को ये टैलीप्रिंटर दस रुपया छमाही के शुल्क पर दिये गये हैं और दो और फालतू हैं । जब और पूरे बन जायेंगे तो और देंग ।

श्री भागवत झा आजाद : आप ने अभी बताया कि आपने हिन्दुस्तान समाचार समिति को दो दूर-मुद्रक यंत्र केवल नाम मात्र शुल्क पर दिये हैं । मैं जानना चाहता हूं कि आप ने केवल उन को यंत्रों पर कन्सेशन दिया है या लाइन पर भी ?

श्री राज बहादुर : सिर्फ यंत्र पर कनसेशन दिया है, लाइन पर कनसेशन नहीं दिया है ।

रेलवे कर्मचारियों की पुर्नानियुक्ति.

*१२२३. **श्री विश्वनाथ रेड्डी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंग :

(क) क्या यह तथ्य है कि पूर्वी रेलवे ने हाल ही में सेवा-निवृत्त व्यक्तियों को स्टेशन-मास्टर, सहायक स्टेशन-मास्टर और सिगनलर के रूप में पुर्नानियुक्ति के लिये एक सामान्य सूचना जारी की है; तथा

(ख) यदि हां, तो इन वार्द्धक्य प्राप्त व्यक्तियों की पुर्नानियुक्ति के क्या विशेष कारण हैं।

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां, केवल सहायक स्टेशन मास्टरों के रूप में पुर्नानियुक्ति के लिये ।

(ख) इस श्रेणी में हुई कमी को पूरा करने के लिये यह उपाय अपनाना पड़ा था ।

श्री विश्वनाथ रेड्डी : क्या सरकार को इस श्रणी के कर्मचारियों की आवश्यकता की पहले से सूचना नहीं थी, और यदि थी, तो उस ने समय रहते इन की भर्ती क्यों नहीं की ?

श्री अलगेशन : जी हां । प्रशासन ने ४०० व्यक्तियों की मांग प्रस्तुत की थी । रेलवे सेवा आयोग लगभग ३५० व्यक्तियों को परीक्ष्यमाण सहायक स्टेशन-मास्टरों के रूप में भर्ती करने में समर्थ हुआ था । उन की डाक्टरी परीक्षा हुई और उन में से लगभग आधे व्यक्ति अयोग्य करार दे दिये गये । शेष व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं । इसलिये इस कमी को कुछ और समय के लिय केवल वार्द्धक्य प्राप्त व्यक्तियों की भर्ती के द्वारा ही पूरा किया जा सकता है ।

श्री विश्वनाथ रेड्डी : क्या सरकार देश की बेकारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमें यह आश्वासन दे सकती है, कि इस प्रकार

की प्रक्रिया बहुत कम और अपवाद रूप में होगी और सामान्य प्रकार की नहीं होगी ?

श्री अलगेशन : मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिला सकता हूं कि हम मांग को पूरा करने के लिये भरती करने में भरसक प्रयत्न करेंगे । हम ने हाल में ही सेवा आयोगों की संख्या भी बढ़ा दी है ।

वाष्प-पोत "भारत वाला"

*१२१४. **श्री जेठालाल जोशी** : क्या **परिवहन** मंत्री १४ अप्रैल, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १७८८ के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर का निर्देश कर के यह बताने की कृपा करेंगे कि उन परिस्थितियों का, जिन में वाष्पपोत "भारत वाला" पृथ्वी में धंस गया था पता लगाने के लिये की गई प्रारम्भिक जांच का क्या परिणाम निकला है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : वाणिज्यक पोत विभाग, बम्बई द्वारा की गई प्रारम्भिक जांच के प्रतिवेदन पर विचार करने के उपरांत यह निर्णय किया गया है कि भारतीय व्यापारी नौवहन अधिनियम, १९२३ की धारा २४८ के अधीन एक औपचारिक अनुसन्धान किया जाये इसलिये यह मामला अब न्यायाधीन है ।

श्री जेठालाल जोशी : क्या यह सच है कि केम्बे की खाड़ी में बहुत रेत जमा हो गया है जो जहाज के भूमि में धंस जाने का कारण हो सकता है और क्या सरकार.....

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । मामले की जांच हो रही है । इसलिये ऐसी किसी भी बात की जो किसी भी प्रकार से अनुमान के रूप में परिणाम पर प्रभाव डाले, अनुमति नहीं दी जायेगी । यदि वह कोई दूसरी सूचना चाहते हैं तो उसे पूछ सकते हैं ।

श्री जेठालाल जोशी : क्या मैं दूसरा प्रश्न पूछ सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : हां ।

श्री जेठालाल जोशी : क्या सरकार को यह ज्ञात है कि उपायों को तत्परता से करने में विलम्ब होन के कारण, एक दूसरा जहाज भी उस के कुछ समय पश्चात् जमीन में धंस गया था ।

श्री अलगेशन : मुझे ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है ।

श्री एस० एन० दास : क्या प्रतिवेदन के प्राप्त होने के परिणामस्वरूप, किसी कार्यवाही का सुझाव दिया गया है, और यदि हां, तो क्या कार्यवाही की जाने को है ?

श्री अलगेशन : पहिले एक प्रारम्भिक जांच की गई है । यदि उसे पर्याप्त समझा गया, तो जांच बन्द कर के कार्यवाही की जाती है । अन्यथा उस के पश्चात् एक औपचारिक जांच की जाती है । यह निश्चय किया गया है कि इस मामले में एक अनुषांगिक औपचारिक जांच की जाये । इस अधिनियम के अधीन दो जांचें की जा सकती हैं ।

इम्फाल में जल संभरण

*१२२५. **श्री रिशांग किशिंग** । क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी :

(क) क्या सरकार इम्फाल नगर में नल के पानी के अपर्याप्त संभरण की बात से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो वहां जल संभरण की परिमात्रा में वृद्धि करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ग) पिछले दिनों इस की असफलता के क्या कारण थे ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : (क) हां ।

(ख) इम्फाल नगर में जल संभरण की स्थिति में सुधार करने की एक योजना विचाराधीन है ।

(ग) भारत सरकार को ऐसी किसी असफलता का पता नहीं है ?

श्री रिशांग किशिंग : क्या सरकार इस बात से अवगत है कि इम्फाल के ५० से १०० परिवारों के कुछ गांव तथा बाजार क्षेत्रों को संयुक्त रूप से बारम्बार प्रार्थना करने पर भी प्राधिकारियों ने जल प्रदान करना अस्वीकार कर दिया है, जब कि उन कुछ सरकारी प्राधिकारियों को, जिन के आवास स्थान इम्फाल नगर क्षेत्र में हैं, स्वतंत्र रूप से जल का संभरण किया गया है ?

राजकुमारी अमृतकौर : माननीय सदस्य द्वारा जिस भेद-भाव का आरोप लमाया गया है उस का मुझे पता नहीं है । किन्तु जल संभरण की एक योजना हमारे पास आई थी तथा हम ने मनीपुर सरकार को विस्तृत प्राक्कलन भेजने को कहा था । वे इस कार्य को स्वयं नहीं कर सकते थे । उन्हों ने यह कहा कि या तो आसाम सरकार या पश्चिमी बंगाल सरकार को यह काम करना चाहिये । आसाम सरकार इस कार्य को करने में असमर्थ थी । पश्चिमी बंगाल सरकार ने अपने प्राक्कलन भेजे थे जो कि हमारी राय में बहुत ऊंचे थे । अब क्योंकि केन्द्रीय जन वास्तु विभाग ने आसाम में अपना स्वयं का विभाग खोल दिया है इसलिये नये प्राक्कलन प्राप्त हुए हैं । उन्हें उच्चायुक्त को भेज दिया गया है तथा जैसे ही हमें उस से जल संभरण के सर्वोत्तम स्रोत के बारे में विस्तृत उत्तर प्राप्त होगा, योजना को आरम्भ कर दिया जायेगा ।

श्री रिशांग किशिंग : क्या सरकार सम्बद्ध क्षेत्रों की जल संभरण के लिये की गई संयुक्त प्रार्थना पर उचित रूप से विचार करेगी ?

राजकुमारी अमृतकौर : अवश्य, जल-संभरण के लिये धन अलग रख दिया गया है तथा केवल सम्बन्धित सरकार को मांगना भर है । उसे सहायता दे दी जायेगी ।

श्री अमजद अली : इम्फाल नगर में प्रति व्यक्ति जल उपभोग का क्या लक्ष्य रखा गया है ?

राजकुमारी अमृतकौर : मुझे खेद है कि मैं यह सूचना नहीं दे सकती हूं ।

संयुक्त राष्ट्र के अन्तर्राष्ट्रीय बाल सहायता कोष द्वारा भारत में व्यय की गई राशि

*१२२६. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी :

(क) संयुक्त राष्ट्र के अन्तर्राष्ट्रीय बाल सहायता कोष द्वारा प्रसूति सहायता और शिशु कल्याण के लिये भारत में कितनी राशि व्यय की गई है;

(ख) देहाती क्षेत्रों में उपयोग के लिये विभिन्न राज्यों में कितने व्यक्तियों को दाइयों के उपयोग की सज्जा-सामग्री प्रदान की गई है; तथा

(ग) इस कोष में से कितनी दाइयों तथा प्रसूति कार्य करने वाली महिलाओं को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : (क) संयुक्त राष्ट्र के अन्तर्राष्ट्रीय बाल सहायता कोष द्वारा भारत में प्रसूति तथा शिशु कल्याण सेवाओं के लिये कुल ३३·५ लाख डॉलर आवंटित किये गये हैं ।

(ख) देहाती क्षेत्रों में स्थित संस्थाओं को प्रदान किये गये प्रसव सम्बन्धी उपकरणों के सम्बन्ध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है । यूनीसेफ से प्राप्त हुई वस्तुओं तथा उपकरणों को जिन ग्रामीण तथा नगरीय संस्थाओं को वितरित किया गया है उन की संख्या इस प्रकार है :

प्रसूति तथा शिशु कल्याण केन्द्र	१२५५
दाई स्कूल	७९
परिचालिका स्कूल	७०

(ग) परिचारिकाओं तथा दाइयों का प्रशिक्षण केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों तथा परोपकारी संस्थाओं द्वारा चलाये गये प्रशिक्षण स्कूलों द्वारा दिया जाता है, युनीसेफ द्वारा नहीं । यह संस्था तो इस कार्यक्रम में उपयोगी अध्यापन उपकरण दे कर सहायता करती है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : इस योजना के अन्तर्गत केन्द्र तथा राज्यों द्वारा कितनी संस्थायें भारत में स्थापित की गई हैं ?

राजकुमारी अमृत कौर : मैं संख्या नहीं दे सकती क्योंकि वास्तव में यह बताना असम्भव है कि हम ने कितनी नई संस्थायें स्थापित की हैं । किन्तु मैं माननीय सदस्य को उन संस्थाओं की संख्या बता सकती हूं जिन्हें इस योजना के आधीन सहायता दी जा रही है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या इस योजना के आधीन ग्रामीण क्षेत्रों में कोई काम प्रारम्भ कर दिया गया है, जैसा कि माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में बताया है । यदि हां, तो किन राज्यों में तथा किन केन्द्रों में ?

राजकुमारी अमृतकौर : बहुत से केन्द्रों में यह योजना प्रारम्भ की गई है । दाइयों के प्रशिक्षण के ५१ स्कूलों को सहायता मिल रही है । २८ दाइयों के स्कूलों को ३० प्रकार के अध्यापन उपकरण प्रदान किये गये हैं और यह केन्द्र समस्त भारत में सभी राज्यों में फैले हुए हैं । परिचारिकाओं के लिये प्रशिक्षण स्कूलों की संख्या ५० है तथा २० प्रशिक्षण स्कूल ऐसे हैं जिन को अध्यापन उपकरण प्रदान किये गये हैं ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : इस योजना के अन्तर्गत कितने एशियाई देशों को लाभ पहुंचना है तथा वह देश कौन से हैं जो इस योजना में योगदान कर रहे हैं ?

राजकुमारी अमृतकौर : कोई भी एशियाई देश हमारे विकास में योगदान नहीं दे रहा है । उपकरण तथा राज्य सामग्री यूनीसेफ द्वारा प्रदान की जा रही है तथा शेष कार्य प्रायः हम स्वयं ही करते हैं ।

रेलवे आचताल

*१२२८. **श्री मुनिस्वामी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे में, स्थायी तथा अवतनिक आधार पर सेवा-युक्त डाक्टरों के अलावा अन्य डाक्टरों को रेलवे चिकित्सालयों में शल्य चिकित्सा करन की अनुमति देने के सम्बन्ध में क्या नीति है ।

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : साधारणतः रेलवे चिकित्सालयों में किसी बाहरी डाक्टर को शल्य चिकित्सा करने की अनुमति नहीं दी जाती है । आपतकालीन मामलों में जब कि रेलवे डाक्टर सरकारी सेवा में काम कर रहे किसी विशेषज्ञ अथवा दूसरे चिकित्सा अधिकारी से परामर्श करना आवश्यकीय समझे तो वह उसे परामर्श के लिये रेलवे चिकित्सालय में बुला सकता है ।

श्री मुनिस्वामी : क्या सरकार को यह ज्ञात है कि दक्षिणी रेलवे के मद्रास स्थित प्रधान चिकित्सा अधिकारी को शल्य चिकित्सा एक ग़ैर-रेलवे डाक्टर द्वारा की गई थी, और यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

श्री शाहनवाज खां : जी हां, यह बात हमारी जानकारी में आई है । डा० सोम शेखर, जो दक्षिणी रेलवे के प्रधान चिकित्सा अधिकारी थे, की शल्य चिकित्सा डा० सी० वी० मेनन द्वारा, जो कि सरकारी जनरल चिकित्सालय के, जो एक सरकारी चिकित्सालय है, अवतनिक डाक्टर हैं, की गई थी ।

श्री मुनिस्वामी : क्या मैं जान...

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । हम अगले प्रश्न को लेंगे । मैं इस प्रकार के व्यक्तिगत प्रश्नों की अनुमति नहीं दे सकता हूं ।

हल्दी गवेषणा केन्द्र

*११२९. **श्री संगण्णा:** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि उदयगिरि (उड़ीसा) के हल्दी गवेषणा केन्द्र को कुल व्यय का ७५ प्रतिशत भाग राजकीय सहायता के रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया जाता है; तथा

(ख) यदि हां, तो इस संस्था के ऊपर सरकार का किस प्रकार का नियंत्रण है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) १९४४–४५ से १९४८–४९ तक के आवर्तक व्यय को भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् तथा राज्य सरकार द्वारा ७५ : २५ के अनुपात में वहन किया गया था तत्पश्चात् इस का आधार ५० : ५० रहा है ।

(ख) यह संस्था प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकार द्वारा प्रशासित होती है, किन्तु प्रविधिक कार्यक्रम तथा संस्था में होने वाले कार्य की प्रगति की जांच भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् द्वारा की जाती है, तथा उसी के द्वारा पथ प्रदर्शन किया जाता है ।

श्री संगण्णा : क्या भारत सरकार के किसी प्राधिकारी ने इस संस्था का कभी दौरा किया है, और यदि हां, तो इस संस्था के कार्य-करण के सम्बन्ध में उस की धारणा क्या है ?

डा० पी० एस० देशमुख: मझे इस प्रश्न के लिय पूर्व-सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री संगण्णा : इस हल्दी गवेषणा केन्द्र से क्या लाभ प्राप्त किये गये हैं तथा इस संस्था की सेवाओं के विस्तार के लियें क्या व्यवस्था की गई है ?

डा० पी० एस० देशमुख: वैज्ञानिक गवेषणा के परिणामों को अच्छी कृषि करने तथा कृषि प्रणाली की भली प्रकार से देख रेख करन के लिये काम में लाना हमारा लक्ष्य रहा है; किन्तु मैं नहीं कह सकता कि यथार्थ में किया क्या गया है ?

श्री संगण्णा : क्या सरकार को कोई प्रगति सम्बन्धी प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं; और यदि हां, तो इस के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जैसा कि मेरे उत्तर में कहा गया है, हमें समय समय पर प्रगति सम्बन्धी प्रतिवदन प्राप्त होते हैं तथा यह विश्वास करने के लिये कि वे असंतोषजनक हैं हमारे पास कोई कारण नहीं है ।

रेलवे में भ्रष्टाचार

*१२३०. **श्री पी० एल० बारुपाल:** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कुछ ऐसे मामले पकड़े गये हैं, जिन में टिकट चकरों और अन्य रेलवे कर्मचारियों ने पैसे स्वयं हड़पने के प्रयोजन से यात्रियों को बिना टिकट बैठा लिया हो; तथा

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों में कितने कर्मचारी पकड़े गये और उन को क्या सज़ा दी गई ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी हां ।

(ख) सन् १९५३ में पूर्वी, उत्तर पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी तथा पश्चिमी रेलवे में ऐसे २१ मामले पकड़े गये थे । बारह मामलों में उपयुक्त अनुशासनिक कार्यवाही की जा चुकी है। दो मामलों में दोष सिद्धि नहीं हुई और शेष मामलों की अग्रेतर जांच की जा रही है । जहां तक मध्य रेलवे का सम्बन्ध है, जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

श्री पी० एल० बारुपाल : मैं जान सकता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि दिल्ली आदि प्रमुख स्थानों से जाने वाली गाड़ियों के डिब्बों

पर रेलवे कर्मचारी खड़िया से 'सुरक्षित स्थान' ऐसा लिख कर यात्रियों को धोखा देते हैं और गाड़ियों के चलने के कुछ देर पहले ही यात्रियों से पैसा ले कर बैठा देते हैं ?

श्री शाहनवाज़ खां : यह बात अभी तक हमारे इल्म (जानकारी) में नहीं है ।

दीवान राघवेन्द्र राव : क्या सरकार को विदित है कि इन भ्रष्टाचारी टिकट चेकरों के हिस्सेदार स्टेशनमास्टर, गार्ड तथा रेलवे पुलिस होती है, अतः सरकार इन लोगों का पता लगाने के क्या प्रयत्न करती है ?

श्री शाहनवाज़ खां : जसा कि मैं ने अभी निवेदन किया ऐसे २१ मामले हमारे ध्यान में आये है और हम उनके विरुद्ध कठोर अनुशासनिक कार्यवाही कर रहे हैं ।

कई मानमीय सदस्य उठे--

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । मेरे विचार में हमें अगले प्रश्न को लेना चाहिये ।

कोलार स्वर्ण क्षेत्र श्रमिक

*१२३२. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कोलार स्वर्ण क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के वेतनक्रम क्या हैं;

(ख) क्या सरकार नें श्रमिकों से उन के वेतनक्रमों के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; तथा

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्री (श्री के० के० देसाई) : (क) कोलार स्वर्ण क्षेत्र के श्रमिकों के वेतन-क्रमों और महंगाई भत्ते को दिखाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या २]**

(ख) और (ग). श्रमिकों द्वारा एक औद्योगिक विवाद खड़ा किया था और सरकार ने उसे अधिनिर्णयन के लिये एक औद्योगिक न्यायाधिकरण को सौंप दिया है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं जान सकता हूं कि यह न्यायाधिकरण इस मामले का निर्णय कब तक करेगा ?

श्री के० के० देसाई : हमें ज्ञात हुआ है कि इस महीने की १९ तारीख़ को न्यायाधिकरण बंगलौर पहुंच गया है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं जान सकता हूं कि क्या इन श्रमिकों को मजूरी और भत्तों आदि के बारे में कोई अन्तरिम सहायता दी गई है ?

श्री के० के० देसाई : अब चूंकि यह मामला न्यायाधिकरण को सौंप दिया गया है इसलिये सहायता देने अथवा न देने के बारे में वह ही निर्णय करेगा ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या श्रमिकों की अन्तरिम सहायता सम्बन्धी कोई मांग थी और क्या सरकार ने उस मांग पर विचार किया है ?

श्री के० के० देसाई : जैसा कि मैं ने निवेदन किया, सारे विवाद को न्यायाधिकरण को सौंप दिया गया है ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : प्रश्न यह है कि क्या निर्देश पदों में किसी अन्तरिम सहायता के दिये जाने का विषय भी सम्मिलित है ?

श्री के० के० देसाई : श्रमिकों ने जो मांगें की थीं वह यह थीं : मजूरियों का पुनरीक्षण, उपदान की समाप्ति । १९५१ के लिये बोनस । यह तीनों निर्देश-पद न्यायाधिकरण को सौंप दिये गये हैं ।

हैदराबाद में नई रेलवे लाईन

*१२३३. **दीवान राघवेन्द्र राव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) हैदराबाद राज्य सरकार द्वारा राज्य में नई रेलवे लाइनों के निर्माण के सम्बन्ध में की गई सिफारिशें क्या हैं;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में हैदराबाद राज्य के लोगों ने भी कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है; तथा

(ग) यदि हां, तो उन में से कौन कौन सी सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) इन रेलवे लाइनों के निर्माण की सिफारिश की गई है :

(१) रामागुंडम से निज़ामाबाद ।

(२) गदग से कोठागुडियम रायपुर गडबाल ।

(३) जालना से भीर, से उस्मानाबाद से आगे शोलापुर तक और पारलिवेजनाथ लाईन से इस का संयोजन ।

(४) आदिलबाद से राजूर ।

(५) मछेरला से नलगौंडा और आगे हैदराबाद-द्रोणाचैलम लाइन तक

(६) वाडी से बीज़ापुर ।

(ख) हां श्रीमान् ।

(ग) अभी तक कोई अन्तिम विनिश्चय नहीं किया गया है ।

दीवान राघवेन्द्र राव : मैं जान सकता हूं कि क्या शोलापुर-जालना लाइन का निर्माण कार्य आरम्भ किये जाने की कब तक सम्भावना है ?

श्री शाहनवाज़ खां : अभी तक इस मामले पर हम ने कोई अन्तिम विनिश्चय नहीं किया है ।

दीवान राघवेन्द्र राव : क्या सरकार को विदित है कि भीर और उस्मानाबाद के ज़िलों के आसपास कहीं भी रेलवे लाईन नहीं और इसलिये यह ज़िले इस प्रकार आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए रहे हैं ? क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि रेलवे लाईनों के निर्माण के लिये प्राथमिकता का निश्चय करने के हेतु किन किन बातों पर ध्यान दिया जाता है ?

श्री शाहनवाज़ खां : जैसा कि मैं ने कहा है कि अभी तक कोई अन्तिम विनिश्चय नहीं किया गया है । मुझे विश्वास है कि जब कोई निर्णय किया जायेगा तो इन सभी बातों पर विचार किया जायगा ।

श्री के० के० बसु : मैं जान सकता हूं कि जब नई रेलवे लाईनों का निर्माण आरम्भ किया जाता है तो क्या राज्य सरकारों की राय ली जाती है अथवा रेलवे विभाग स्वयं ही नई लाइनों के निर्माण के बारे में निर्णय करता है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : राज्य सरकारों की राय सदैव ली जाती है और वास्तव में, हम ने राज्य सरकारों को लिखा है कि वह अपने अपने राज्यों में निर्माण की जाने वाली रेलवे लाइनों की सूची भेजें और यह भी लिखें कि वह कौन सी लाइनों को प्राथमिकता देना चाहती हैं ।

अफ़गानिस्तान को सेवाओं का प्रत्यायोजन

***१२३४. श्री के० सी० सोधिया** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारतीय सेवा के कुछ कर्मचारियों को अफगानितान में संचरण सेवाओं और काबुल स्थित ऋतु विज्ञान स्टेशनों का संचालन करने के लिये भेजा गया है;

(ख) यदि हां, तो उन की संख्या क्या है और प्रत्यायोजन की अवधि कितनी है; तथा

(ग) क्या सरकार पर इन प्रत्यायोजित कर्मचारियों के बारे में कोई वित्तीय दायित्व लागू होती है, और यदि हां, तो कितनी ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग). अफगानिस्तान सरकार को काबुल और कन्धार में वैमानिक संचरण तथा

ऋतुविज्ञान सम्बन्धी सुविधाओं के स्थापन तथा संचालन के लिये आवश्यक सामग्री और प्रविधिक कर्मचारी भेज कर सहायता देने का प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है। इस विषय के सम्बन्ध में अभी अफ़गानिस्तान सरकार से बातचीत हो रही है।

श्री के० सी० सोधिया : क्या ऐसी बातचीत किसी अन्य देश से भी हो रही है ?

श्री राज बहादुर : अफगानिस्तान का मामला एक विशेष मामला है क्योंकि वहां आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करनी है और उन्हें प्रविधिक कर्मचारियों, उपकरणों, आदि की भी आवश्यकता है। उन से बातचीत हो रही है। मैं नहीं जानता कि इस समय हमारा किसी अन्य देश से ऐसा कोई सम्बन्ध है।

विस्थापित रेलवे कर्मचारी

***१२३५. श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या **रेलवे** मंत्री ५ अप्रैल, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १५८१ के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर का निर्देश कर के यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या बम्बई उच्च-न्यायालय के उस निर्णय का, जिस में यह कहा गया है "कि वह रेलवे कर्मचारी, जिन्हों ने अपनी सेवा के लिये पाकिस्तान का विकल्प दिया था परन्तु निर्धारित समय के अन्दर अन्तिम रूप से भारत को सेवा के लिये चुना, उसी दिन से अपने वेतन के अधिकारी होंगे, जिस दिन से उन्हों ने कार्य पर उपस्थित होने की रिपोर्ट दी थी" परीक्षण कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विनिश्चय किया गया है; तथा

(ग) उन कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्हें ऐसा वेतन नहीं दिया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (ग). यह विषय अभी विचाराधीन है।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : मैं जान सकता हूं कि यह लम्बा विचार कब तक अन्तिम रूप से समाप्त होगा, क्योंकि यह प्रश्न पांच साल से अधिक से लम्बित चला आ रहा है और इस सभा में भी इसे कई बार उठाया जा चुका है ?

श्री अलगेशन : माननीय सदस्य ने स्वयं ही प्रश्न में बम्बई उच्च-न्यायालय के निर्णय का निर्देश किया है, जिस के परिणामस्वरूप यह विषय विचाराधीन हो गया है। मेरे विचार में, और जैसा कि माननीय सदस्य ने स्वयं अपने पिछले प्रश्न में उल्लेख किया है, यह निर्णय मार्च, १९५४ के तीसरे सप्ताह में किया गया है। अतः श्रीमान्, हम केवल कुछ ही महीनों से इस विषय पर विचार कर रहे हैं।

श्री साधन गुप्त: इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पाकिस्तान का अस्थायी विकल्प देने वालों के इस प्रश्न से न केवल सम्बद्ध कर्मचारियों में बल्कि अल्प संख्यक जातियों में भी असंतोष उत्पन्न हो रहा है, क्या सरकार इस पर विचार को शीघ्र समाप्त करने की प्रस्थापना करती है और क्या सरकार यह कह सकती है कि कब तक यह विचार समाप्त हो जायेगा ?

श्री अलगेशन : हम गृह मंत्रालय से परामर्श करते हुए इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं। यद्यपि मैं कोई निश्चित समय-सीमा नहीं बता सकता हूं, फिर भी मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिला सकता हूं कि हम इस कार्य को यथा संभव शीघ्रता से समाप्त कर देंगे।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : भाग (ग) का अभी उत्तर नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : वह बाद में एक पृथक् प्रश्न पूछ सकते हैं ।

श्री टी० वी० विट्ठल राव : भाग (ग) में उल्लिखित, कर्मचारियों की संख्या का प्रश्न तो विचाराधीन नहीं हो सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : भाग (ग) का क्या उत्तर है ?

श्री अलगेशन : २३ कर्मचारियों द्वारा यह मामला उच्च-न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था ।

भारतीय नौवहन

*१२३६. **मुल्ला अब्दुलाभाई** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या योजना अवधि के अन्त तक के लिये निश्चित किये गये नौवहन टन भार के लक्ष्य की पूर्ति की संभावना है; तथा

(ख) सरकार द्वारा विभिन्न नौवहन समवायों को इस प्रयोजन के लिये अब तक कितना ऋण दिया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ३]**

श्री भागवत झा आजाद : क्या मैं तीन वर्षीय योजना में अब तक प्राप्त किये गये लक्ष्य को जान सकता हूं ?

श्री अलगेशन : प्रारम्भ में टन भार ३,९०,००० था । अब तक जो टन भार बढ़ाया गया है वह १,४९,०७० था । योजना अवधि के प्रारम्भ से इसी अवधि में क्षेप्य घोषित किया गया टन भार ६०,००० है । अब तक शुद्ध वृद्धि ८९,००० है, परन्तु हम निजी नौपरिवहन कम्पनियों को जो कि क्रय करने की व्यवस्था कर रही हैं ऋण दे रहे हैं और हम आशा करते हैं कि पंचवर्षीय योजना की अवधि के समाप्त होने से पूर्व हम ६,००,००० टन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे ।

श्री भागवत झा आजाद : जो आंकड़े दिये गये हैं उन को समझना कठिन है । अतः क्या मैं जान सकता हूं कि इन तीन वर्षों में पांच वर्ष की अवधि के लिये निश्चित किये गये लक्ष्य की कितनी प्रतिशतता प्राप्त की गई है ?

श्री अलगेशन : जैसा कि मैं ने निवेदन किया, कम्पनियां क्रय करने की व्यवस्था कर रही हैं । उन्हों ने ३,९०,००० टन से प्रारम्भ किया था ।

अध्यक्ष महोदय : मैं देखता हूं कि माननीय मंत्री की कठिनाई यह है कि मामला आंशिक रूप से निजी कम्पनियों के हाथों में है ।

श्री अलगेशन : ९० प्रतिशत से अधिक निजी कम्पनियों के हाथों में है ।

अध्यक्ष महोदय : इसलिये वह उत्तर देने में असमर्थ हैं ।

श्री यू० सी० पटनायक : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि निजी कम्पनियों को दिये गये ऋणों की कोई समुचित प्रतिक्रिया नहीं हुई है, क्या अन्य देशों में, जहां पोत निर्माण के लिये ऋण बहुत कम अथवा नाममात्र ब्याज की दरों पर दिये जाते हैं और जो लम्बी अवधि के बाद भुगताये जाने होते हैं और जिन के सम्बन्ध में शर्त यह होती है कि निर्माण नौसैनिक विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रारूपों के अनुसार हो, प्रचलित प्रणाली को अपना कर टन भार में वृद्धि करने को प्रोत्साहन देने की कोई प्रस्थापना है ?

श्री अलगेशन : मैं सभा को पहले ही सूचित कर चुका हूं कि अब सरकार द्वारा यह सब कुछ किया जा रहा है । हम कम्पनियों को हिन्दुस्तान शिपयार्ड को आर्डर देने में सहायता दे रहे हैं, और सरकार राजकीय

सहायता के रूप में इंगलैण्ड के समतुल्यता मूल्य तथा हिन्दुस्तान शिपयार्ड की वास्तविक लागत के अन्तर को देती है। इस के साथ साथ, हम ने नौ परिवहन कम्पनियों को विदेशों में आर्डर देने अथवा विदेशी शिपयार्डों में जहाज़ निर्माण कराने के लिये लंबी अवधि के ऋण दिये हैं।

हैदराबाद की जल प्रदाय योजना

***१२३७. श्री एच० जी० वैष्णव :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी :

(क) क्या हैदराबाद सरकार ने हाल ही में उक्त राज्य के नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जल प्रदाय करने से सम्बन्धित कोई योजना प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि हां, तो उस की अनुमानित लागत क्या है;

(ग) क्या इन योजनाओं के लिये केन्द्र द्वारा कोई ऋण अथवा सहायता अनुदान दिया गया है; तथा

(घ) यदि हां, तो किस सीमा तक ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : (क) जी हां।

(ख) २०२·९१ लाख रुपया नगरीय जल प्रदाय योजनाओं के लिये और २६·०० लाख रुपये ग्राम्य योजनाओं के लिये।

(ग) और (घ). पांच नगरीय जल प्रदाय योजनाओं के लिये हैदराबाद-सरकार को ३१·५५ लाख रुपये का एक ऋण दिया गया है। ग्राम्य योजनाओं के लिये की गई सहायता अनुदान की प्रार्थना विचाराधीन है।

श्री एच० जी० वैष्णव : क्या यह रक़म ऋण के रूप में दी गई है अथवा अनुदान के रूप में ?

राजकुमारी अमृतकौर : नगरीय योजनाओं के लिये दी गई रक़म ऋण के रूप में है, और ग्राम्य योजनाओं के लिये दी गई कोई भी धन राशि अनुदान के रूप में है।

श्री एच० जी० वैष्णव : मैं जान सकता हूं कि क्या योजनाओं के अन्तर्गत कार्य राज्य द्वारा प्रारम्भ कर दिया गया है ?

राजकुमारी अमृतकौर : हम ने पांच योजनाओं के लिये ऋण के रूप में धन दिया है और यह नगरीय योजनायें हैं। वह कब कार्य प्रारम्भ करने को हैं इस सूचना की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं।

उत्तर पूर्वी रेलवे में सीजन टिकट

***१२३८. श्री टी० के० चौधरी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि उत्तर पूर्वी रेलवे में इस सुविधा को कि यदि प्रत्येक मास के लिए जारी की गई सीज़न टिकटों को नया करवा लिया जाये, तो उन्हें अगले मास की ३ तारीख़ तक उपयोगी समझा जायेगा, वापस ले ली गई है;

(ख) क्या यह सत्य है कि यह सुविधा अन्य रेलों पर दी जाती है;

(ग) यदि हां, तो इस विभेद के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में, जनता से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां :

(ख) जी हां।

(ग) चूंकि अब सीजन टिकट प्रधान कार्यालय द्वारा नहीं बल्कि स्टेशन मास्टरों द्वारा जारी किये जाते हैं, इस लिए सीजन टिकटों को नया करवाने का समय घटा कर समाप्ति की तिथि के बाद एक दिन तक कर दिया गया है।

(घ) जी हां । उत्तर पूर्वी रेलवे से कहा गया है कि वह अन्य रेलों की तरह कार्यवाही करे ।

रेलवे वाच एंड वार्ड कर्मचारी

*१२३९. **श्री के० के० बसु** : क्या **रेलवे** मंत्री ३१ मार्च, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १४७२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या रेलवे वाच एंड वार्ड के पुनर्गठन को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस नई योजना पर अब तक कितना व्यय हुआ है; और

(ग) संगठन, कर्मचारियों के प्रशिक्षण, वेतन के ढांचे आदि का ब्योरा क्या है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) तथा (ग). पुनर्गठन योजना का ब्योरा तैयार किया जा रहा है और इसे शीघ्र अन्तिम रूप दे दिया जायेगा ।

(ख) व्यय वाच एंड वार्ड और अन्य सहायक स्थापनाओं के व्यय से बहुत अधिक नहीं होगा ।

श्री के० के० बसु : क्या नये प्रबन्ध के अधीन रेलों में, विशेष कर पूर्वी और उत्तर-पूर्वी रेलवे में वाच एंड वार्ड कर्मचारियों के स्थान पर सशस्त्र पुलिस के दस्ते नियुक्त किये जायेंगे ?

श्री शाहनवाज खां : वाच एंड वार्ड के पुनर्गठन में एक बात यह भी है कि उस के कुछ भाग सशस्त्र होंगे ।

श्री के० के० बसु : क्या वाच एंड वार्ड कर्मचारियों को सामान्यतया बहुत कम सूचना दे कर, चौबीस घंटों के अन्दर अन्दर स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिस से उन्हें बहुत असुविधा होती है ?

श्री शाहनवाज खां : यह सब सर्विस की परिस्थितियों पर निर्भर करता है । कभी कभी उन्हें तत्काल स्थानांतरित करना पड़ता है ।

श्री के० के० बसु : क्या सर्विस को प्रस्तावित नई शर्तों के अधीन उन के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ेगा ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : क्या माननीय सदस्य को प्रस्तावित नई शर्तें मालूम भी हैं ? संभवतः उन्हें मालूम नहीं । मेरे विचार में उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

आयुर्वेद में प्रशिक्षण

*१२४१. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी :

(क) आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली में प्रशिक्षण देने वाली उन संस्थाओं के नाम क्या हैं जिन्हें सरकार सहायता देती है; और

(ख) चालू वर्ष में उन्हें कितना अनुदान दिया गया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : (क) भारत सरकार आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली में प्रशिक्षण देने वाली किसी संस्था को न चलाती है और न सहायता देती है ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

श्री डी० सी० शर्मा : आयुर्वेदिक संस्था को सहायता न देने का क्या कारण है ?

राजकुमारी अमृत कौर : केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता न देने का कोई प्रश्न नहीं है यदि राज्य सरकारें इस काम को अपनी पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित करें तो धन दिया जाता है ।

श्री डी० सी० शर्मा : चालू वर्ष में इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकारों को कितना रुपया दिया गया है और इस में से कितना खर्च किया गया है ?

राजकुमारी अमृतकौर : मैं तत्काल कोई उत्तर नहीं दे सकती, क्योंकि यह राज्य सरकारों की योजनाओं पर निर्भर है ।

श्री डी० सी० शर्मा : आयुर्वेदिक संस्थाओं को और एलोपैथिक चिकित्सा प्रणाली में प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं को किस अनुपात से सहायता दी जाती है ?

राजकुमारी अमृतकौर : यह भी राज्य सरकारें बता सकती हैं क्योंकि दोनों प्रकार की संस्थाएं आयुर्वेदिक तथा आधुनिक वही चलाती हैं ।

श्री डी० सी० शर्मा : यदि इस वर्ष नहीं, तो पिछले वर्ष राज्य सरकारों को एलोपैथिक संस्थाओं के लिए कितनी सहायता दी गई है ?

राजकुमारी अमृतकौर : मैं केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई सहायता के आंकड़े नहीं बतला सकती, किन्तु जब तक कि सहायता केन्द्रीय सरकार द्वारा निश्चित किन्हीं विशिष्ट प्रयोजनों के लिए न हो, केन्द्रीय सरकार राज्यों की किसी संस्था को सहायता नहीं देती ।

रेलवे कर्मचारियों में भ्रष्टाचार

*१२४२. **श्री डाभी** : क्या **रेलवे** मंत्री १७ मार्च, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ११२४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या दक्षिण रेलवे के सुलेमनी स्टेशन पर होने वाली धांधली की जांच समाप्त हो चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो इस का परिणाम क्या है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) तथा (ख) एक विभागीय समिति द्वारा इस मामले की जांच की गई है और उस की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

दिल्ली में चिड़िया घर

*१२४३. **श्री एस० एन० दास** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री ३० नवम्बर, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३८५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या नई दिल्ली में पुराना किला के पास एक जंगली जानवरों का पार्क बनाने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए क्या प्रबन्ध किये गये हैं; और

(ग) इसे क्रियान्वित करने के लिए वर्तमान योजना तथा कार्यक्रम क्या हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) अभी नहीं ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) योजना अग्रेतर विचाराधीन है ।

श्री एस० एन० दास : क्या इस योजना को बनाने में सरकार "सहज पके सो मीठा होय" का अनुसरण कर रही है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मूल प्रस्ताव में यह योजना नहीं थी । इसे जंगली जानवर बोर्ड के प्रस्ताव पर अपनाया गया था । हमें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि समिति के अवैतनिक सचिव अकस्मात् चले गये हैं और इस योजना की कार्यान्विति में जिसे दो वर्षों में पूरा किया जाना था, कुछ विलम्ब हो गया है ।

श्री एस० एन० दास : क्या इस के क्रियान्वित हो जाने पर केन्द्रीय सरकार इस के लिए उत्तरदायी होगी या राज्य सरकार को भी इस में भाग लेने के लिए कहा जायगा ?

डा० पी० एस० देशमुख : समिति का अध्यक्ष दिल्ली का मुख्यायुक्त है । किन्तु वह

केन्द्रीय सरकार के अभिकर्ता के रूप में कार्य करेगा ?

उत्तर-पूर्व रेलवे में डकैती

*१२४४. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष उत्तर-पूर्व रेलवे के सराय और भगवानपुर स्टेशनों के बीच रेल में एक डाका पड़ा था;

(ख) क्या डाकू माल ले कर बच निकले थे;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कुछ जांच हुई है और यदि हां, तो उस के परिणाम क्या हैं; और

(घ) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) ५ जून, १९५४ को ३१२ डाऊन लखनऊ-कटिहार यात्री गाड़ी के आर० एम० एस० वैन में सराय और भगवानपुर स्टेशनों के बीच एक सशस्त्र डाका डाला गया था ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जी हां, किन्तु पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है ।

(घ) इस प्रकार के अपराध रोकने के लिए पुलिस विभिन्न राज्यों में सब प्रकार के पग उठा रही है । रेलवे ने अपनी ओर से भी यात्रियों की सुरक्षा के लिये वे विशेष उपाय किये हैं, जो वह कर सकती है ।

श्री विभूति मिश्र : मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार के पास सभी उपायों के रहते हुए भी जो गाड़ियों में चोरियां और डकैतियां हुआ करती हैं उन से यात्रियों का सुरक्षा के लिये और इसलिये कि उन को पूरी सुविधा मिले, सरकार क्या प्रबन्ध कर रही है ?

श्री शाहनवाज खां : चलती गाड़ियों में चोरियों और डकैतियों की जो वारदातें होती हैं उन का ताल्लुक ला ऐंड आर्डर से है और ला ऐंड आर्डर एक ऐसी प्राब्लेम है जिस को सिर्फ रेलवे हल नहीं कर सकती है ।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि हर एक स्टेशन से जो अपर क्लास के यात्री चढ़ते हैं उन की सुविधा के लिये और सुरक्षा के लिये सरकार क्या प्रबन्ध कर रही है ?

श्री शाहनवाज खां : अपर क्लास के पैसेन्जर्स के लिये डब्बों के अन्दर चटकनी लगा दी गई है ताकि वह सोने से पहले दरवाजे खुद अच्छी तरह से बन्द कर सकें और कोई डर उन के लिये न रह जाये ।

दक्षिण रेलों की अधिमान्य तालिका

*१२४५. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे की अधिमान्य तालिका में से चाय निकाल दी गई है;

(ख) यदि ऐसा है, तो कब तथा उस के कारण क्या हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि मालगाड़ी के डिब्बों का संभरण यथोचित् संख्या में न होने के कारण चाय के आने-जाने पर अनावश्यक नियंत्रण लगा है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) जी नहीं, मालगाड़ी के डिब्बों का संभरण यथोचित संख्या में न होने के कारण चाय के आने-जाने पर नियंत्रण नहीं है और छोटी लाइन क्षेत्र के पोल्लाची से ले कर

पालघाट ट्रांशिप से होते हुये बड़ी लाइन के स्टेशनों एवं बंगलौर रेलवे स्थित ज़िले में छोटी लाइन के स्टेशनों से ले कर बंगलौर नगर ट्रांशिप से होते हुये बड़ी लाइन के स्टेशनों के अतिरिक्त अन्य कहीं चाय के आने-जाने में अनावश्यक विलम्ब नहीं हुआ है। इन मार्गों से हो कर यातायात में वहां समय-समय पर उत्पन्न होने वाली परिस्थिति की दृष्टि से उस का विनियमन करना है।

पंडित मुनीश्वरदत्त उपाध्याय : इन अधिमान्य तालिकाओं को निश्चित करने के साधारणतः महत्वपूर्ण विचार क्या रहते हैं ?

श्री शाहनवाज़ खां : पदार्थों की महत्ता।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : क्या चाय के आने-जाने के लिये मालगाड़ियों के डिब्बों की वार्षिक मांग पूरी हो जाती है अथवा कमी रहती है ?

श्री शाहनवाज़ खां : साधारणतः यह मांग पूरी हो जाती है किन्तु कभी-कभी तालिका के अनुसार कुछ डिब्बों की कमी पड़ जाती है।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : वार्षिक मांग तथा संभरण कितना होता है ?

श्री शाहनवाज़ खां : मेरे पास वार्षिक मांग के नहीं वरन् दैनिक मांग के आंकड़े हैं। बड़ी लाइन के स्टेशनों पर सात तथा छोटी लाइन के स्टेशनों पर पांच डिब्बों की मांग अर्थात् बारह डिब्बे प्रतिदिन की मांग होती है।

विमान समवायों की आस्तियों का मुल्यांकन

*१२४७. **श्री बहादुर सिंह: संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या विमान समवायों को देय प्रतिकर का पता लगाने के लिये विमान समवायों की आस्तियों के मूल्यांकन की निष्पक्ष जांच करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : उन विमान समवायों के देय प्रतिकर का निर्धारण करने से सम्बन्धित कार्य के लिये विमान यातायात लेखों में काफी अनुभव रखने वाले एक उच्च अधिकृत गणक को विशेष कार्य पर नियुक्त किया गया है, जिन के उपक्रमों को दो निगमों ने ले लिया है। उन को अंशतः दो निगमों के विशिष्ट प्रशिक्षित कर्मचारियों, हिन्दुस्तान एअरक्राफ्ट लि० बंगलौर, नागरिक उड्डयन विभाग तथा अंशतः लेखा व लेखा-परीक्षा करने वाले कर्मचारियों से मिल कर बनी लेखा परीक्षा टोलियों से सहायता मिलती है। इन टोलियों को समवायों की विभिन्न आस्तियों की परीक्षा तथा जांच करने एवं रोकड़बही तथा लेखों की छान-बीन करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था।

श्री बहादुर सिंह : सरकार इन समवायों को कब से प्रतिकर देना आरम्भ करेगी ?

श्री राज बहादुर : हम आशा करते हैं कि यह कार्य अगले मास अर्थात् अक्टूबर से ही आरम्भ कर सकेंगे और नहीं तो इस वर्ष के समाप्त होने से पूर्व निश्चय रूप से।

श्री बहादुर सिंह : क्या जितने समय सरकार आस्तियों की जांच में व्यस्त थी, इतने समय के लिये सरकार ने इन समवायों को कोई वित्तीय सहायता दी है ?

श्री राज बहादुर: वे सरकार से सामान्यतः कोई वित्तीय सहायता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं।

श्री बहादुर सिंह : प्रतिवेदन के पृष्ठ १० पर यह दिया हुआ है कि सरकार ने भारत एयरवेज़ तथा एयर इण्डिया इन्टरनेशनल, लिमिटेड को वित्तीय सहायता दी है। क्या दी गई वित्तीय सहायता का समायोजन उन को दिये जाने वाले प्रतिकर में कर दिया जायेगा ?

श्री राज बहादुर : भारत एयरवेज़ को वित्तीय सहायता देने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। हम तो उन्हें राजकीय सहायता दिया

करते थे जो १९५३ के अन्त में रोक दी गई थी। अवशिष्ट के रूप में जो कुछ रह गई होगी वही उस को दी गई होगी। इस के अतिरिक्त, मैं नहीं समझता कि भारत एयरवेज़ को कोई इस प्रकार की वित्तीय सहायता शेष रह गई हो।

श्री के० के० बसु : क्या केवल बहियों की ही जांच की गई है अथवा स्टोरों की वास्तविक पड़ताल और उन के गुण प्रकार के बारे में और सामान विशेष है भी या नहीं इस की भी जांच हुई थी ?

श्री राज बहादुर : सभी सामान, इंजनों, अतिरिक्त पुर्ज़ों तथा अन्य स्टोर आदि की पक्की-पक्की जांच की गई थी और इस बात के सभी सम्भव उपाय किये गये थे कि इस में कोई गोलमाल नहीं हुआ है तथा उन की गणना में कोई गलती न की गई है।

रेलवे स्टोर की खरीदारी

*१२४८. **श्री विश्वनाथ रड्डी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे के लिये जो खरीदारी की गई है वह निम्नतम टेण्डर देने वाले से नहीं की गई है;

(ख) यदि ऐसा है, तो इस के कारण क्या हैं; और

(ग) क्या आर्डर देते समय भारतीय निर्माताओं को प्राथमिकता दी जाती है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) सामान्यतः निम्नतम टेण्डर स्वीकार कर लिया जाता है, किन्तु कुछ मामलों में वह स्वीकरणीय नहीं भी हो सकता है।

(ख) सूचना देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ४]**

(ग) जी हां।

श्री विश्वनाथ रेड्डी : क्या कुछ ऐसे मामलों की सूचना सरकार को दी गई है जिन विवरण में दिये हुए कारणों में से कोई भी कारण नहीं है और फिर भी एक भारतीय फर्म के स्थान पर अंगरेजी फर्म को प्राथमिकता दे कर उसे आर्डर दिया गया था ?

श्री अलगेशन : इस समय मुझे किसी व्यक्तिगत मामले की जानकारी नहीं है।

श्री विश्वनाथ रेड्डी : क्या सरकार को विदित है कि रेलवे बैटरी का निर्माण करने वाली बंगलौर की एक शरणार्थी की फर्म को, जिस का टेण्डर निम्नतम होने तथा बैटरी भी उस किस्म की होने, जो दक्षिण रेलवे में इस्तेमाल की जा रही है और जो रेलवे के लिये अच्छी पाई जाने पर भी उस को आर्डर नहीं दिया गया था ?

श्री अलगेशन : देशी फर्मों में निर्मित बैटरियों की रेलों में जांच की जा रही है। इन में से कुछ को आर्डर भी भेजे जा चुके हैं और उन की बैटरियों का परीक्षण किया जा रहा है। इस बीच हो सकता है कि अन्य सूत्रों से भी बैटरियां खरीदी गई हों।

चीनी मिलें

*१२४९. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३–५४ में भारत में बन्द पड़ी हुई चीनी मिलों की योग संख्या क्या थी;

(ख) उन को फिर से चालू करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है; और

(ग) क्या १९५४–५५ में वे सभी चालू कर दी जायेंगी ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) २२ ।

(ख) जो मिलें गन्ने की पर्याप्त संभरण की कमी के कारण बन्द पड़ी हैं उन मिलों के क्षेत्र में गन्ने के उत्पादन में वृद्धि करने का विचार है । ऐसी मिलों को, जहां ऐसा विकास सम्भव नहीं है, अधिक उपयुक्त स्थानों पर ले जाने का प्रयत्न किया जायेगा । प्रत्येक के सम्बन्ध में विस्तृत जांच करने के लिये एक विशेषज्ञ समिति की स्थापना की गई है और अग्रेतर कार्यवाही उक्त समिति की सिफारिशों के आधार पर की जायेगी ।

(ग) आशा की जाती है कि इन में से दो मिलें १९५४–५५ की फसल में चालू हो जायेंगी ।

डा० राम सुभग सिंह : सरकार को यह किस समय पता लगा कि ये मिलें गन्ने की कमी के कारण बन्द पड़ी रहेंगी ?

डा० पी० एस० देशमुख : प्रत्येक मिल के सम्बन्ध में पहले से यह बता देना सम्भव नहीं होता कि इन्हें पर्याप्त गन्ना नहीं मिल सकेगा । उदाहरण के लिये मध्य भारत की दो मिलों में ऐसा वर्षा की कमी के कारण हुआ था । तालाबों में ऊपर तक पानी न होने के कारण गन्ने का उत्पादन जितना अनुमान लगाया गया था, नहीं हो सका ।

डा० राम सुभग सिंह : सरकार किस समय तक यह आशा करती है कि वह गन्ने का इतना पर्याप्त संभरण कर सकेगी कि जिस से ये मिलें अपनी क्षमता भर कार्य कर सकेंगी ?

डा० पी० एस० देशमुख : ऐसा केवल कुछ मिलों के लिये सम्भव हो सकता है । जैसा कि मैं कह चुका हूं, कुछ मिलों पर हमारा नियन्त्रण नहीं है । यदि वर्षा अच्छी हुई, तो हो सकता है कि मिलों को गन्ना आवश्यक मात्रा में मिल सके । और मिलों के विषय में ऐसा नहीं है । सदैव ही गन्ने के संभरण की कमी वाली मिलों में से किसी मिल के अन्य प्रदेश में स्थानान्तरण करने की सम्भावना पर यह समिति जांच करेगी ।

डा० राम सुभग सिंह : इन मिलों की उत्पादन क्षमता का कुल औसत क्या है और देश में चीनी की कमी में इन मिलों ने कहां तक योग दिया था ?

डा० पी० एस० देशमुख : सम्पूर्णतः ये मिलें एक सी ही हैं । मेरे पास २२ मिलों की पूर्ण सूची है । उदाहरणस्वरूप, पश्चिमी बंगाल में एक मिल की क्षमता ७५० टन है तो दूसरी की ७५ टन है । इन में किसी का उत्पादन १०० टन है, तो किसी का ८० आदि । इस प्रकार विभिन्नता पाई जाती है इन में से बहुतों की योग क्षमता अपर्याप्त है ।

श्री एल० एन० मिश्र : विवरण से ऐसा जान पड़ता है कि चीनी मिलों को गन्ने की कमी के कारण काफी काम नहीं मिलता है । क्या सरकार को इस तथ्य का ज्ञान है कि भविष्य में गन्ने के मूल्य को कम करने के कथित प्रयत्नों से उत्पादकों को कम प्रोत्साहन मिलेगा और कृषक किसी अन्य वस्तु की खेती करना चाहेंगे ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह बड़ा सामान्य प्रश्न है और जहां तक गन्ने के मूल्य का सम्बन्ध है, इस पर कई बार मत-विभिन्नता हो चुकी है ।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि और कोई भी ऐसी फसल नहीं है जो मूल्य घटा देने पर भी इतनी अधिक लाभदायक हो जितनी कि गन्ने की फसल होती है ।

केन्द्रीय रेलवे में रेल का पटरी पर से उतर जाना

*२२५१. **श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या रेलवे मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या १ सितम्बर, १९५४ को केन्द्रीय रेलवे के भुसावल-इगातपुरी विभाग पर

देवलाली और लाहाविट के बीच में कोई मालगाड़ी पटरी पर से उतर गई ;

(ख) यदि हां, तो उस से कितनी क्षति हुई; और

(ग) गाड़ी के पटरी पर से उतर जाने का क्या कारण था ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) १ सितम्बर, १९५४ को लगभग ७-४० बजे, जब कि संख्या ९८ अप मालगाड़ी केन्द्रीय रेलवे के भुसावल-इगातपुरी विभाग पर देवलाली तथा लाहाविट स्टेशनों के बीच चल रही थी, तो इंजन और उस के पीछे के १४ भाण्ड-यान पटरी पर से उतर गये ।

(ख) अनुमानतः २०,२२५ रु० की रेलवे सम्पत्ति का नुकसान हुआ ।

(ग) भीषण वर्षा के परिणामस्वरूप बांध के हट जाने के कारण गाड़ी पटरी पर से उतर गई ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या रेलवे कर्मचारियों की मृत्यु के बारे में कोई सूचना मिली ?

श्री शाहनवाज खां : नहीं श्रीमान् ।

श्री भागवत झा आजाद : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में अनुपूरक प्रश्न केवल हंसी उत्पन्न करते हैं, क्या किसी रेलवे कर्मचारी अथवा स्टेशन मास्टर का इस में हाथ था ?

अध्यक्ष महोदय : क्या उन का आशय इसी घटना से है ?

श्री भागवत झा आजाद : इस घटना के होने में क्या रेलवे कर्मचारियों की कोई गलती थी ?

श्री शाहनवाज खां : प्रश्न का सम्बन्ध एक घटना से है। माननीय सदस्य भ्रष्टाचार की बात कह रहे हैं। मैं उन के आशय को नहीं समझ पाया ।

श्री भागवत झा आजाद : वे मेरे प्रश्न को नहीं समझ सके हैं। मैं भ्रष्टाचार की बा नहीं कह रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं कि गाड़ी का पटरी पर से उतर जाने का कारण रेलवे कर्मचारियों की असावधानी अथवा गलती थी या नहीं ।

श्री शाहनवाज खां : जी हां । जिस कर्तव्यपालन में लापरवाही करने से यह घटना घटी, उस के उत्तरदायी एक सहायक स्टेशन मास्टर तथा एक पेट्रोल मैन ठहराये गये हैं। अधिक वर्षा के परिणामस्वरूप बांध के हट जाने से यह घटना घटित हुई थी ।

श्री भागवत झा आजाद : उन कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

अध्यक्ष महोदय : हमें इस व्यक्तिगत प्रकरण के पीछे नहीं पड़ना चाहिए । अगला प्रश्न ।

पुलिस मुख्यालयों के लिये तार के सम्बन्ध

*१२५२. **श्री संगण्णा** : क्या **संचार** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि क्या यह सच है कि उड़ीसा के सब मुख्य पुलिस केन्द्र तार के द्वारा सम्बन्धित होने वाले हैं, और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्थापना की कार्यान्विति कब होगी ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). मार्च, १९५५ तक २९५ थाना केन्द्रों में से १४८ केन्द्रों को तार की सुविधायें मिल जायेंगी । शेष १४७ केन्द्रों को इस का उपबन्ध अगली पंचवर्षीय योजना में किया जायेगा ।

श्री संगण्णा : किसी भी स्थान पर तार-कार्यालय के खोलने में किन किन बातों का विचार किया जाता है ।

श्री राज बहादुर : विचारणीय बातें यह हैं : यदि परियोजना पर १००० रु० वार्षिक से ऊपर हानि नहीं होती है और यदि उस विशिष्ट केन्द्र से पांच मील के अर्धव्यास के अन्दर कोई अन्य कार्यालय स्थापित नहीं है तो ऐसे केन्द्र पर एक तार-कार्यालय खोला जाता है ।

श्री संगण्णा : क्या उड़ीसा सरकार ने इस वर्ष तार-कार्यालयों के खोलने के लिये कुछ स्थानों के बारे में प्रार्थना की है, और यदि हां, तो कितने स्थानों पर तार-कार्यालय खोल दिये गये हैं ?

श्री राज बहादुर : मुझे इस के बारे में मालूम नहीं ।

चावल-कृषि का जापानी ढंग

*१२५३. **श्री जेठालाल जोशी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १० सितम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५१४ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) इस समय कितने एकड़ भूमि में जापानी ढंग से चावल की कृषि हो रही है; और

(ख) इस भूमि के लिये उर्वरकों की कुल कितनी मात्रा अपेक्षित है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : देश के कई भागों में धान का प्रतिरोप अभी चालू है और इस समय यह बताना कठिन है कि वस्तुतः कितने एकड़ भूमि में जापानी ढंग से चावल की कृषि की जायेगी ।

(ख) वस्तुतः जितने एकड़ भूमि में इस ढंग से कृषि की जायेगी, उस पर ही यह बात निर्भर रहेगी ।

श्री जेठालाल जोशी : क्या यह सच है कि सरकार ने अप्रैल के महीने में ५०,००० टन उर्वरक के लिये आदेश दिया था और क्या मैं जान सकता हूं कि वह परेषण ठीक समय पर आ गया है ताकि खेतों में उन का प्रयोग हो सके ?

डा० पी० एस० देशमुख : माननीय मंत्री ने यह नहीं बताया कि उन का तात्पर्य किस राज्य से है । परन्तु मैं यह स्वीकार करता हूं कि संभरणों की कमी के कारण हम को कुछ असुविधायें रही हैं । सर्वाधिक आवश्यकता वाले स्थानों के लिये संभरण करने का हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री माधव रेड्डी : क्या यह सच है कि राज्य सरकारों से तकावी पर उर्वरकों के संभरण की प्रथा बन्द कर देने से इस साल जापानी तरीके से चावल की कृषि के लिये कई एकड़ भूमि कम हो गई है ?

डा० पी० एस० देशमुख : हां, श्रीमान् । संभवतः, उक्त वक्तव्य में कुछ अंश तक सत्यता है कि उचित मात्रा में तकावी अनुदान उपलब्ध न हुये हों । मुझे इस सम्बन्ध में आंकड़े प्राप्त नहीं हुये हैं ।

दीवान राघवेन्द्र राव : जापानी तरीके से चावल की कृषि बढ़ाने के हेतु क्या सरकार ने जापानी प्रकार के कृषि के उपकरण बनाने के लिये प्रोत्साहन दिया है और यदि हां, तो किन संस्थाओं को ?

डा० पी० एस० देशमुख : हम ने एक औजार आई० सी० ए० आर० में बनाया था । कुछ औजार गैर-सरकारी साथों द्वारा बनाये जाते हैं । कुछ प्रकरणों में उन उपकरणों को निःशुल्क भेंट के रूप में दे दिया जाता है और कुछ मामलों में परीक्षण के लिये ।

पंजाब में सिंचाई की छोटी योजनायें

*१२५५. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने पंजाब राज्य से १९५४-५५ के लिये सिंचाई की छोटी

योजनाओं के सम्बन्ध में कोई कार्यक्रम प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस का अनुमोदन हो गया है; और

(ग) इस के लिये कितना धन नियत किया गया है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) १,२०,८७,१२० रु० ।

श्री डी० सी० शर्मा : कितने धन के लिये प्रार्थना की गई थी ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे आंकड़े प्राप्त नहीं हुये हैं । बहुत से प्रकरणों में, जब तक कि योजना साररूप से अनुपयुक्त न हों, हम सामान्यतः राज्य सरकार की प्रस्थापनाओं का अनुमोदन कर देते हैं ।

श्री डी० सी० शर्मा : सिंचाई सम्बन्धी छोटी योजनाओं के नाम से विख्यात योजना में कौन कौन से मद सम्मिलित हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : कुछ अन्य शर्तों के अधीन रहते हुए सिंचाई की छोटी योजनाओं से हमारा तात्पर्य उन योजनाओं से है जिन में १० लाख रु० से अधिक व्यय नहीं होता ।

श्री डी० सी० शर्मा : ये योजनायें किस प्रकार की हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे शंका है कि इन का वर्णन करने में काफी समय लग जायेगा । हमारे अपने नियम हैं और कार्य की कुछ विशिष्ट श्रेणियां हैं जोकि इनमें सम्मिलित हैं ।

पशुओं का निर्यात

*१२५७. **श्री विश्वनाथ रेड्डी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय पशुधन का निर्यात घट रहा है क्योंकि आयात करने वाले डरते हैं कि भारत में पशु-सम्बन्धी रोग व्यापक रूप से फैला हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस भ्रम को दूर करने के लिये क्या पग उठाये गये हैं;

(ग) क्या यह देखने के लिये कोई संस्था स्थापित की गई है कि रोगी पशुओं के निर्यात की अनुमति न दी जाये; और

(घ) यदि हां, तो इस संस्था की संरचना कैसी है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

श्री एन० बी० चौधरी : किन किन देशों के लिये भारतीय पशुधन का निर्यात किया जा रहा है ?

डा० पी० एस० देशमुख : अधिकांशतः लंका के लिये । हम ने कुछ रूस तथा बर्मा, अफगानिस्तान, थाईलैंड और यू० एस० ए० के लिये भी भेजे हैं । परन्तु यह संख्या नगण्य है ।

अन्तर्राष्ट्रीय जनता कालिज एल्सीनौर

*१२५९. **श्री एस० एन० दास** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उन अभ्यर्थियों का अन्तिम चुनाव कर लिया है जिन्हें अन्तर्राष्ट्रीय जनता कालिज, एल्सीनौर (डेनमार्क) में कृषि और लोक-पाठशालाओं के प्रबन्ध सम्बन्धी पाठ्यक्रमों के लिए भेजा जाना है;

(ख) यदि कर लिया है तो चुने गये व्यक्तियों के नाम क्या हैं;

(ग) वे किन राज्यों से हैं; और

(घ) इस योजना के बारे में विस्तृत तथ्य क्या हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ)। एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ५]** ।

श्री एस० एन० दास : इस बात को देखते हुए कि बहुत संख्या में लोगों को इस प्रकार प्रशिक्षण देना होगा क्या सरकार का विचार अन्तर्राष्ट्रीय जनता कालिज के समान किसी संस्था की स्थापना करने का है ?

डा० पी० एस० देशमुख : नहीं, श्रीमान् ।

श्री एस० एन० दास : क्या यह चुनाव सीधा केन्द्र सरकार द्वारा किया गया है या राज्य सरकारों की सिफारिशों के आधार पर ?

डा० पी० एस० देशमुख : हम राज्य सरकारों से परामर्श लेते हैं । किन्तु यह चुनाव सीमित प्रकार का होता है क्योंकि हम उन्हीं लोगों को लेते हैं जो विस्तार प्रशिक्षण केन्द्रों में काम कर रहे होते हैं ।

श्री कासलीवाल : मेरा निवेदन है कि अन्तिम प्रश्न का उत्तर मिल जाना चाहिए । इस का विषय है विभिन्न राज्यों में अना-वृष्टि की स्थिति । यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है । केवल एक प्रश्न ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि प्रश्न-काल समाप्त हो चुका है ।

श्री के० के० बसु : इसे कुछ एक मिन्टों के लिए बढ़ाया जा सकता है ।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

आई० सी० ए० आर० द्वारा संभरित दूध

अल्प सूचना प्रश्न सं० १४. श्री गिडवानी : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली विधान सभा में १५ सितम्बर, १९५४, को स्वास्थ्य मंत्री द्वारा किसी प्रश्न के प्रति दिये गये इस उत्तर की ओर दिलाया गया है कि भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् द्वारा जो दूध दिल्ली के अस्पतालों, जेल इत्यादि को दिया जाता है वह अपमिश्रित पाया गया है और यह कि उन के दूध और मक्खन के भाव बाज़ार भाव से अपेक्षाकृत अधिक हैं;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि की गई है तो उस का परिणाम क्या रहा है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग)। एक पूर्ण विवरण सभा पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ६]** उस से यह ज्ञात होगा कि जब से आई० सी० ए० आर० की दूध सम्भरण योजना चालू हुई है तब से अस्पतालों को दिये जाने वाले दूध के गुण-प्रकार के बारे में सरकारी तौर पर कोई शिकायत नहीं मिली है । ऐसे उपाय लागू रहत हं जिन से गुण प्रकार को बनाये रखा जा सके और जनता को अच्छे नीरोगित दूध का संभरण किया जा सके जिस में निर्धारित वैधानिक स्तर से अधिक स्नेह की मात्रा हो । किन्तु, विस्तृत स्तर पर दूध वितरण की किसी भी प्रणाली में, जब कि दूध मुहरबन्द बोतलों में बन्द न किया जाता हो अपितु डिब्बों में से और प्रभारी विक्रेताओं के अधीन वितरण स्थानों से दिया जाता हो तो कहीं कहीं अनुदेशों का उल्लंघन हो सकता है । ऐसे कुछ एक प्रकरण (जो तीन वर्ष से अधिक कालावधि में पांच से अधिक नहीं थे) नगरपालिका प्राधिकारियों द्वारा १९५२ और १९५३ में हमें जतलाये गये थे और तब विक्रेता को या तो जुर्माना कर दिया गया था अथवा हटा दिया गया था । भविष्य में भी इस विषय में पूर्ण सावधानी

से काम लिया जायेगा जिस से ऐसे मामले न हो सकें ।

यह योजना लाभरहित आधार पर चलाई जा रही है अतः भाव न्यायोचित होते हैं । वास्तव में इस योजना के कारण दिल्ली में दूध का भाव, जिस में अत्यधिक उतार चढ़ाव रहा करता था, उचित स्तर पर स्थिर हो कर रह गया है । गैल्लप पोल द्वारा पता चला है कि जनता इस योजना से, अर्थात् गुणप्रकार और सेवा दोनों दृष्टिकोणों से, संतुष्ट है ।

श्री गिडवानी : जब कि दूध सरकारी डेरी फार्मों और अन्य अभिकरणों से लिया जाता है और सरकारी पदाधिकारी उस का अधीक्षण और उस की परीक्षा करते हैं और तब उसे मोहर-बन्द बर्तनों में चिकित्सालयों और अन्य संस्थाओं को भेजते हैं, तो क्या कारण है कि फिर भी १९५२ और १९५३ में कुछ नमूनों में जैसा कि मंत्री जी ने स्वीकार किया है मिलावट पायी गई थी ?

डा० पी० एस० देशमुख : जैसा कि मैं ने पहले कहा है हमें मोहर बन्द बोतलें नहीं मिलीं, अतएव हमारे भरसक प्रयत्न करने पर भी उस में कभी कभी मिलावट करने के मानव-सुलभ स्वभाव को सर्वथा समाप्त नहीं किया जा सकता ।

श्री गिडवानी : ऐसे कितने मामले पकड़े गये थे जिन में मोहर बन्द डिब्बों के नमूने नियत मानदण्ड से घटिया पाये गये थे, कितने अपराधियों के विरुद्ध अभियोग चलाये गये थे और उन्हें क्या दण्ड दिया गया था ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : पदच्युत कर दिया गया था ।

डा० पी० एस० देशमुख : उन्हें पदच्युत कर दिया गया था । मैं बता चुका हूं कि केवल पांच ऐसे मामले हुए थे और उन में से प्रत्येक में चिकनाई की मात्रा नियत मान से अधिक थी ।

श्री के० के० बसु : वितरण के लिए मोहरबन्द बोतलों की प्रणाली जारी करने में क्या कठिनाई है ?

डा० पी० एस० देशमुख : इस से लागत बढ़ जायेगी । फिर मूल्य में वृद्धि के सम्बन्ध में शिकायत की जायेगी ।

डा० रामाराव : चिकनाई की नियत मान क्या है ? क्या यह सच है कि यह दूध की प्राकृतिक चिकनाई की मात्रा से बहुत कम है ?

डा० पी० एस० देशमुख : श्रीमान् जिस नियत मान की ओर मैं ने निर्देश किया था वह गाय के दूध में ३·५ और गाय और भैंस के मिश्रित दूध में ४·५ है ।

श्री डाभी : क्या कारण है कि केवल भैंस का दूध देने की बजाय गाय और भैंस का मिश्रित दूध दिया जाता है, क्योंकि मिले हुए दूध में अपमिश्रण के लिए अधिक अवसर होता है ?

डा० पी० एस० देशमुख : हम दोनों प्रकार के दूध का संभरण करते हैं और हम यही उपयुक्त प्रबन्ध कर सकते हैं । जो दूध हमें मिलता है उस सब का वर्गीकरण करना और उसे अलग अलग करना संभव नहीं है ।

श्री डाभी उठे—

अध्यक्ष महोदय : अब मैं अगला कार्य आरम्भ करता हूं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

पंजाब में बी० सी० जी०

*१२०५. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि १९५३ में पंजाब राज्य में कितने लोगों को बी० सी० जी० के टीके लगाये गये ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : २,९४,३५१ व्यक्तियों को ।

चावल पर पालिश चढ़ाना

*१२०८. **श्री डाभी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि जब चावल को मिलों द्वारा कूट कर पालिश चढ़ाया जाता है तो उस का बहुत सा पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाता है और इस के प्रयोग से बलहारी जैसे कई भयानक रोग पैदा हो जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का मिलों द्वारा कूट कर चावल पर पालिश चढ़ाने को निषिद्ध कर देने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) हां, श्रीगान्, चावल पर चाहे मशीनरी द्वारा पालिश चढ़ाया जाये या हाथ की कुटाई द्वारा पालिश चढ़ाया जाये इस के पौष्टिक तत्व पर बुरा प्रभाव पड़ता है और पौष्टिक तत्व की मात्रा पालिश की मात्रा पर निर्भर करती है। जिस भोजन में विटामिन बी की कमी हो और उस में अत्यधिक पालिश चढ़ाये हुए चावल का निरन्तर प्रयोग किया जाये, तो उस से बलहारी जैसा विटामिन की कमी से उत्पन्न होने वाले रोग हो जाते हैं।

(ख) सरकार एक समिति नियुक्त कर रही है जो देश की चावल की विभिन्न प्रकार की मिलों के कार्य की सभी पहलुओं अर्थात् टेक्निकल, पौष्टिकता सम्बन्धी, उपभोक्ता के अधिमान इत्यादि, से जांच करेगी और सिफारिश करेगी कि भविष्य में सरकार को क्या नीति अपनानी चाहिये। समिति से प्रतिवेदन मिलने पर सरकार यह निश्चय करेगी कि इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करनी चाहिये।

रेलवे कार्य कुशलता विभाग

*१२०८. **श्री एस० एन० दास**
डा० सत्यवादी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे कार्यकुशलता विभाग ने अब तक कौन कौन से ऐसे महत्पूर्ण ढंग निकाले हैं जिन से रेलवे संचालन के विभिन्न क्षेत्रों में अधिक कुशलता आ गई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : कार्यकुशलता विभाग ने संचालन के इन क्षेत्रों में कुशलता-मापन के ढंग निकाले हैं :

(१) छोटी बड़ी लाइनों के मिलने के स्थानों से, माल के गुजरने का समय;

(२) माल को एक गाड़ी से दूसरी में बदलने के स्थान पर प्रत्येक लाइन के माल के डिब्बों का रोका जाना;

(३) माल के डिब्बों का उपयोग विभाग ने इन को मापने के ढंग भी निकाले हैं;

(४) रेलवे के बड़े कार्य विभागों में से प्रत्येक का कार्य-भार ; और

(५) रेलवे की प्रशासन व्यवस्था का कार्य-क्रम।

विश्व स्वास्थ्य संघ की पानीकल चालकों की गोष्ठी

*१२११. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी :

(क) क्या हाल ही में नई दिल्ली में विश्व स्वास्थ्य संघ की ओर से पानीकल चालकों की कोई गोष्ठी हुई थी, और

(ख) इस गोष्ठी की वे सिफारिशें क्या हैं जिन पर तुरन्त ध्यान देने और उन्हें प्रवर्तित करने की आवश्यकता है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर): (क) जी हां।

(ख) गोष्ठी ने कोई सिफारिशें नहीं कीं। यह पानीकल चालकों के लिए प्रत्या-स्मरण पाठ्यक्रम का काम देने के लिये की गयी थी।

कोचीन पत्तन

*१२१२. **श्री ए० एम० थामस** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत कोचीन पत्तन के विकास के लिए कुल कितनी राशि नियत की गई है;

(ख) अब तक कितनी राशि व्यय की जा चुकी है; और

(ग) कौन से कार्य वस्तुतः किये जा चुके हैं और कौन से बाकी हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के प्रभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) २०१ लाख रुपये ।

(ख) जुलाई, १९५४ के अन्त तक १८·४५ लाख रुपये ।

(ग) कार्य की प्रगति दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिए परिशिष्ट ८, अनुबन्ध सं० ७]**

पेरिस के मेले का टिकटादि संग्रह विभाग

*१२१३. **ठाकुर लक्षमण सिंह चाडक** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारत के उन प्रतिनिधियों के नाम क्या हैं जो मई १९५४ में हुए पेरिस के मेले के टिकटादि संग्रह विभाग में गये थे; और

(ख) सरकार ने इन प्रतिनिधियों पर कितना व्यय किया था ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादर) : (क) मई, १९५४ में पेरिस में हुए अन्तर्राष्ट्रीय टिकटादि संग्रह मेले में अलग से कोई प्रतिनिधि मण्डल नहीं भेजा गया था । श्री एच० एल० जयरथ, महा निदेशक डाक तथा तार विभाग और श्री टी० एन० महता, टिकट पदाधिकारी डाक तथा तार विभाग जिन्हें पहले ही यूरोप के देशों में भेजा हुआ था. पेरिस के मेले में सम्मिलित होने के लिये भेजे गये थे ।

(ख) लगभग २,४५० रुपये ।

'फूजी' ट्रैक्टर

*१२१४. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि गवेषणा संस्था में "फूजी" ट्रैक्टरों का प्रदर्शन किया गया था;

(ख) सरकारी विशेषज्ञों का इस सम्बन्ध में क्या मत है कि ये ट्रैक्टर भारत के विभिन्न राज्यों की मिट्टी में काम आ सकते हैं अथवा नहीं;

(ग) क्या सरकार का जापानी सार्थ के सहयोग से भारत में उक्त ट्रैक्टरों का निर्माण आरम्भ करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) जी हां ।

(ख) यह प्रदर्शन बहुत थोड़े समय के लिये किया गया था । अतएव सरकारी विशेषज्ञों के लिए ट्रैक्टरों की उपयुक्तता के सम्बन्ध में मत देने के लिए आवश्यक आंकड़े संग्रह करना संभव नहीं था ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दूध विपणन बोर्ड

*१२१६. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने देश भर में दूध विपणन बोर्ड स्थापित करने का समर्थन किया है; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में इस दिशा में कितनी प्रगति हुई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) योजना आयोग ने ऐसे बोर्ड स्थापित करने का सुझाव दिया था ।

(ख) इस सुझाव से मुख्यत: राज्य सरकारों का सम्बन्ध है । अब तक उन से प्राप्त हुए विचारों का सारांश सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिए परिशिष्ट ८, अनुबन्ध सं० ८**]

कलकत्ता उप-नगरीय रेल सेवा

*१२१८. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कलकत्ते की उप-नगरीय लाइनों के लिये बिजली की गाड़ियां तथा दूसरा सामान, जो बाहर के देशों से मंगाया गया था कब तक पहुंचने की आशा है;

(ख) उक्त लाइन के सम्बन्ध में अन्य प्रारम्भिक कार्य कब तक आरम्भ होने की आशा है; और

(ग) भूतपूर्व बंगाल नागपुर रेलवे की खड़गपुर तक उपनगरीय लाइन का निर्माण कब तक आरम्भ होने की आशा है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) अभी तक कोई आर्डर नहीं दिये गये हैं । अभी तक केवल विश्वम्भर के भाव पूछे गये हैं और वे नवम्बर और दिसम्बर १९५४ में प्राप्त होंगे । इसलिये सामान प्राप्त होने के बारे में इस समय ठीक ठीक कोई जानकारी नहीं दी जा सकती ।

(ख) कुछ छोटा-मोटा प्रारम्भिक कार्य आरम्भ हो चुका है ।

(ग) इस के लिये कोई तिथि निश्चित नहीं की गई है ।

किसानों को सहायता

१२२१. **श्री वीरेन दत्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या १९५०-५३ में त्रिपुरा के किसानों को लगान कम करने अथवा ऋण माफ करने के रूप में कोई सहायता दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की सहायता दी गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) और (ख). कृषि सम्बन्धी ऋण दे कर सहायता की गई है ।

चाम्पा कौरवा रेलवे लाईन

*१२२२. **श्री जांगड़े** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पूर्वी रेलवे की प्रस्तावित चाम्पा-कौरबा लाइन के निर्माण में क्या प्रगति हुई है;

(ख) अब तक उस पर कितना खर्च हुआ है; और

(ग) क्या यह सच है कि रेलवे अधिकारियों द्वारा रखी गयी शर्तों पर ही काम करने के लिये स्थानीय मजदूरों के तैयार रहने पर भी बाहर के मजदूरों और कर्मचारियों को भरती किया जा रहा है ।

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) लगभग ३३ प्रतिशत ।

(ख) जुलाई, १९५४ की समाप्ति तक इस कार्य पर लगभग २२ लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं ।

(ग) नहीं, श्रीमान् ।

सर्कल सेवा के तार कर्मचारियों

*१२२७. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि वेतन निर्धारण के लिये न्यायानिर्णयन पंचाट के लागू न करने के सम्बन्ध में सर्कल सेवा तार कर्मचारियों के अभ्यावेदन पर सरकार लगभग तीन वर्ष से विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो निर्णय की कब तक आशा है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) जी हां, क्योंकि इस में विभिन्न श्रेणियों की सेवा की शर्तों और समय समय पर उन्हें सौंपे जाने वाले कार्यों की बहुत अच्छी प्रकार जांच करने की आवश्यकता है। अतः इस विषय में वित्त तथा गृह-कार्य मंत्रालयों की मंत्रणा से ही निश्चय किया जा सकता है।

(ख) चालू वर्ष के समाप्त होने से पूर्व।

गोदावरी पर पुल

*१२३१. **श्री रघुरामैया** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या आंध्र राज्य में गोदावरी नदी पर सड़क पर एक पुल बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उस पर कितनी लागत का अनुमान है; और

(ग) पुल का निर्माण कब तक आरम्भ तथा सम्पन्न होने की आशा है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री **(श्री अलगेशन)** : (क) जी हां; गोदावरी नदी की दो शाखाओं अर्थात् गौतमी और वसिष्ठा पर पुल बनाने का विचार है।

(ख) गौतमी पुल १२४·७९ लाख रु० वसिष्ठा पुल लगभग ६५ लाख रु०।

(ग) आशा है कि १९५५ के प्रारम्भ में गौतमी पुल का कार्य आरम्भ हो जायेगा और १९५५ के पिछले भाग में वसिष्ठा के पुल का कार्य आरम्भ हो जायेगा। गौतमी पुल के निर्माण में पांच वर्ष और वसिष्ठा के पुल के निर्माण में तीन वर्ष लग जायेंगे।

हिन्दी

*१२४०. **श्री एम० एन० सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय के प्रतिवेदनों, सांख्यकीय और अन्य महत्वपूर्ण प्रकाशनों के हिन्दी संस्करण प्रकाशित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब तक कार्यान्वित होगा;

(ग) क्या रेलवे द्वारा कर्मचारियों की भरती और पदोन्नति के लिये समय समय पर ली जाने वाली परीक्षाओं में हिन्दी एक विषय है; और

(घ) यदि नहीं तो इस का क्या कारण है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). शनैः शनैः रेलवे मंत्रालय के सरकारी प्रकाशनों, प्रतिवेदनों इत्यादि के हिन्दी संस्करण निकालने का विचार है।

(ग) रेलवे द्वारा भरती अथवा पदोन्नति के लिये ली जाने वाली किसी परीक्षा में इस समय हिन्दी का विषय सम्मिलित नहीं है। परन्तु रेलवे सेवाओं में भरती किये गये गजेटेड पदाधिकारियों को स्थायी होने से पूर्व हिन्दी में एक निम्न श्रेणी की विभागीय भाषा परीक्षा में उत्तीर्ण होना पड़ता है।

(घ) इस विषय में कोई भी निर्णय सामूहिक रूप से सारे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये करना प

पालम हवाई अड्डा

*१२४६. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पालम हवाई अड्डे का नियन्त्रण **संचार** मंत्रालय को सौंपने के बारे में कोई निश्चय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या विमान बल के लिये कोई अलग हवाई अड्डा बनाने का विचार है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बेहाला का नाविक गृह

*१२५०. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कलकत्ते के निकट बेहाला में स्थित "नाविक-गृह" के संचालन के बारे में शिकायतों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है ?

(ख) उस में कितना स्थान है और वास्तव में प्रति मास उस में से औसत कितने स्थान में नाविक रहते हैं; और

(ग) क्या उन्हें "खाद्य ऋण" देने का सरकार का विचार है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) सरकार को एक छोटी सी शिकायत मिली थी जो जांच करने पर निराधार पायी गई ।

(ख) नाविक गृह में एक ही समय २५६ नाविक रह सकते हैं । नाविक गृह खुलने के समय अर्थात् १० फरवरी से प्रत्येक मास उस स्थान की औसत जिस में वास्तव में नाविक ठहरे हैं इस प्रकार रही है :

१० से २८ फरवरी, १९५४

तक	लगभग	१७	प्रतिशत
मार्च, १९५४	"	२१	"
अप्रेल, १९५४	"	२८	"
मई, १९५४	"	२३	"
जून, १९५४	"	२८	"
जुलाई, १९५४	"	२५	"
अगस्त, १९५४	"	२९	"

(ग) ऐसे किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार नहीं कर रही है ।

कृष्णा पर पुल

*१२५४ **श्री रघुरामैया** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या विजयवाड़ा के निकट कृष्णा नदी पर विनियामक व सड़क के पुल की लागत में केन्द्रीय सरकार का भाग निश्चित कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार कितनी राशि निश्चित की गई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) ३९·८ लाख रुपये ।

भारतीय नौवहन

*१२५६. **सरदार हुक्म सिंह**: क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३–५४ में भारतीय भांडार विभाग द्वारा ख़रीदी गई कुल वस्तुओं में से कितने प्रतिशत भारतीय व्यापारिक नौवहन द्वारा लायी गईं; और

(ख) पिछले १२ मास में भारतीय व्यापारिक नौवहन में कितने जहाज़ बढ़ाये गये ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) मोटे रूप में लगभग ४० प्रतिशत ।

(ख) सितम्बर १९५३ से अगस्त १९५४ में कुल ५१,४०० पंजीकृत टन के १५ जहाज़ ।

रेलवे में नौकरी

*१२५८ **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या बहुत देर से स्थापित भोजन व्यवस्था करने वाले एक समवाय के कर्मचारियों को रेलवे में नौकर रख लेने के सम्बन्ध में १७ अगस्त, १९५४ के "अमृत बाज़ार पत्रिका" (कलकत्ता संस्करण) में सम्पादकीय टिप्पणी की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे तथा परिवन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) इन में से कुछ रेलवे विभाग द्वारा विभागीय भोजन-व्यवस्था करने वाली स्थापनाओं में रख लिये गये हैं और कुछ दूसरे ठेकेदारों द्वारा ।

राज्यों में सूखे की स्थिति

*१२६०. **डा० राम सुभग सिंह :**
श्री कासलीवाल :
श्री पी० एल० बारुपाल :
श्री साधन गुप्त :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि मानसून न आने के कारण देश के कुछ भागों में सूखे अथवा सूखे की सी स्थिति उत्पन्न हो गई है;

(ख) यदि हां, तो किन किन क्षेत्रों में सूखे की स्थिति है; और

(ग) इस सूखे की स्थिति से फसलों और चारे को कहां तक हानि पहुंची है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) जी हां ।

(ख) उड़ीसा के कुछ भागों, दक्षिणी बिहार, अजमेर, पंजाब तथा पश्चिमी राजस्थान में सूखे की स्थिति हो गई है ।

(ग) फसलों को हुई कितनी क्षति पहुंची है इस का अभी तक अनुमान नहीं लगाया जा सका है ।

राजस्थान के जिला सदर मुकामों मे तारघर

५९४ **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान के कितने ज़िला सदर मुकामों में तार-घर नहीं हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : सब २५ ज़िला सदर मुकामों में तार की सुविधायें हैं ।

बर्दवान रेलवे डाक सेवा कार्यालय

५९५. **श्री रामानन्द दास** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि जिस भवन में बर्दवान का रेलवे डाक सेवा कार्यालय है उस में स्थान की इतनी तंगी है कि अपेक्षित संख्या में छांटने की पेटियां भी नहीं रखी जा सकतीं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस विषय में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जिस भवन में बर्दवान का रेलवे डाक सेवा कार्यालय है उस में स्थान की कमी है ।

(ख) पोस्टमास्टर जनरल, बिहार को इस कार्यालय के लिये अधिक स्थान की आवश्यकता का पूर्णतया ज्ञान है और वह इस स्थानाभाव को दूर करने के लिये सभी सम्भव कार्यवाही करते रहे हैं ।

पंजाब का चावल

५९६. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पंजाब सरकार ने १९४६ से १९५३ तक प्रतिवर्ष केन्द्र तथा विभिन्न राज्यों को अलग अलग कुल कितना चावल भेजा; और

(ख) पंजाब सरकार द्वारा भेजे गये विभिन्न प्रकार के चावलों की प्रति मन दर क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) वर्तमान पंजाब राज्य १५ अगस्त, १९४७ को बना था । पंजाब सरकार ने १९४९ से चावलों का निर्यात आरम्भ किया था । एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है जिस में पंजाब द्वारा १९४९ से १९५३ तक के वर्षों में प्रत्येक राज्य को दिये गये चावल की मात्रा दी हुई है । [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ९**]

(ख) दो विवरण सभा-पटल पर रखे जाते हैं । [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या १०**]

उत्तर रेलवे के प्लेटफार्मों पर बिजली लगाना

५९७. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाल में बनाये गये सुविधा सम्बन्धी कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर रेलवे के कितने और कौन कौन से रेलवे स्टेशनों के प्लैटफार्मों पर बिजली की बत्तियां और पंखे लगाने का विचार किया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): यात्रियों के लिये सुविधाओं के कार्यक्रम में १९५४–५५ से १९५८–५९ तक यदि धन उपलब्ध हुआ और पंजाब ग्रिड प्रणाली या अन्य स्रोतों से बिजली मिल गई तो संलग्न सूची [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ११**] में बताये हुए उत्तर रेलवे के १३० रेलवे स्टेशनों पर बिजली लगाने का विचार किया गया है ।

गन्ने के मूल्य का चुकाया न जाना

५९८ **श्री झूलन सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि बिहार तथा अन्य राज्यों में चीनी के कारखानों के पास वर्षों से ऐसा बहुत सा गन्ने का मूल्य पड़ा हुआ है जिस का कोई दावेदार नहीं है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार ऐसा कितना धन पड़ा हुआ है;

(ग) इतनी शेष धन राशि का निबटारा क्यों नहीं हुआ है; और

(घ) क्या सरकार का इस धन को गन्ने के विकास के लिये व्यय करने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) से (ग). एक विवरण, जिस में १९५०–५१, १९५१–५२, १९५२–५३ और १९५३–५४ के लिये चीनी के कारखानों के पास विद्यमान शेष गन्ने के मूल्य दिये हुए हैं, लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या १२**] इन में से कुछ देय धन इसलिये शेष है क्योंकि गन्ना उगाने वालों ने या तो इस कारण इस के भुगतान की मांग नहीं की क्योंकि वे मर गये हैं अथवा इसलिये क्योंकि वे गन्ने के सम्भरण की रसीदें नहीं दे सकते ।

राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि दूसरे मामलों में शेष धन का भुगतान किया जा रहा है ।

(घ) नहीं, श्रीमान्, क्योंकि शेष धन उगाने वालों के सच्चे दावों का है और जब तक वस्तुत: उस का भुगतान न हो जाये तब तक कारखानों का दायित्व पूरा नहीं होता ।

आई० एम० सी० ओ० अभिसमय

५९९. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या आर्थिक व सामाजिक परिषद् के १५ वें सत्र में स्वीकार किये गये समुद्र जल को खराब करने, आई० एम० सी०ओ० अभिसमय के अनुसमर्थन तथा सड़क चिह्न तथा संकेत सम्बन्धी तीनों संकल्पों पर मार्च, १९५४ में न्यूयार्क में हुए इस के सत्रहवें सत्र में पुन: विचार किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निश्चय किये गये हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण, जिस में अपेक्षित जानकारी दी हुई है, सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या १३]**

अग्रिम विकास परियोजनायें

६००. **श्री राधा रमण** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) फोर्ड प्रतिष्ठान द्वारा वित्तपोषित अग्रिम विकास परियोजनाओं, विस्तार शाखाओं तथा विस्तार प्रशिक्षण केन्द्रों में क्या प्रगति हुई है;

(ख) इन योजनाओं पर अभी तक कितना व्यय हुआ है;

(ग) इन योजनाओं के अधीन कितने विदेशी विशेषज्ञ काम कर रहे हैं; और

(घ) वे कब तक इस प्रकार काम करते रहेंगे ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या १४]**

(ख) ३१ मार्च, १९५४ तक लगभग ७७,०५,७०० रुपये व्यय किये गये थे ।

(ग) पांच ।

(घ) इन विदेशी विशेषज्ञों के काम करने की अवधि बारह से अट्ठारह महीने तक का है ।

अनधिकृत ट्रांसमीटर

६०१. **श्री बहादुर सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) श्रवण केन्द्र जो नियंत्रण रखता है, उस के द्वारा क्या पहली जनवरी, १९५४ से ३१ अगस्त, १९५४ तक की अवधि में अनधिकृत प्रसारण में लगे हुए किन्हीं अवैध ट्रांसमिटरों का पता लगा था, और क्या उन्हें जब्त कर लिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उन की संख्या कितनी है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) १५ अगस्त, १९५४ तक इक्कीस । इस संख्या में मद्रास और उत्तर प्रदेश राज्यों के कुछ जिलों और आंध्र, बिहार, बिलासपुर, जम्मू तथा काश्मीर, मध्य प्रदेश, मनीपुर, उड़ीसा, पंजाब और त्रिपुरा सम्बन्धी सूचना सम्मिलित नहीं है; सम्बन्धित राज्यों से इस के आने की प्रतीक्षा की जा रही है, और उन के पास से आ जाने पर वह बता दी जायेगी ।

समाचार-पत्र प्रतिनिधियों को दिल्ली यातायात सेवा के पास

६०२. **श्री कृष्ण चन्द्र** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या दिल्ली सड़क यातायात प्राधिकारी ने समाचारपत्र प्रतिनधियों के लिये सब मार्गों के निःशुल्क पासों की योजना लागू की है; और

(ख) यदि हां, तो अभी तक कितने पास और किन किन व्यक्तियों को दिये गये हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) पच्चीस । जिन व्यक्तियों को ये पास दिये गये हैं, तथा जिन समाचार-पत्रों या समाचार-एजेंसियों का वे प्रतिनिधित्व करते हैं, उन के नाम दिखाने वाला एक विवरण पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या १५]**

डाक जीवन बीमा योजना

६०३. **श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) दिसम्बर, १९५३ तक डाक जीवन बीमा योजना के अन्तर्गत पालिसी लेने वालों की संख्या क्या है;

(ख) इन पालिसियों की कुल राशि कितनी है; और

(ग) १९५४ की पहली छमाही में उन की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) १,०५,५६३ ।

(ख) २४,३१,८९,९८८ रुपये ।

(ग) ५·७ प्रतिशत ।

कृषि गवेषणा योजनायें

६०४. **श्री वी० मिश्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् ने राज्य सरकारों के सहयोग से १९५४–५५ में कितनी गवेषणा योजनाएं चालू की हैं; और

(ख) किन विषयों में यह गवषणा होगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवाई) : (क) १७६.

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या १६]**

सड़कें

६०५. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि प्रथम पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत अब तक कितने मील लम्बी लड़कें बनाई गई हैं;

(ख) इन सड़कों के निर्माण पर कुल कितना व्यय हुआ है;

(ग) क्या यह सच है कि सड़कों के निर्माण कार्य में अब तक जो प्रगति हुई है वह निर्धारित समय-अनुसूची से बहुत कम है; और

(घ) यदि हां तो इस धीमी प्रगति के क्या कारण हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) राज्यों की सड़कों का निर्माण-कार्य जिस के लिए प्रथम पंच वर्षीय योजना में राज्यों के क्षेत्र में व्यवस्था की गई है, मुख्यतः राज्य सरकारों का कार्य है । योजना के अन्तर्गत केन्द्र वाले क्षेत्र के सड़क विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक ६१९ मील नई सड़क बनी है ।

(ख) योजना के केन्द्र वाले क्षत्र में नई सड़कों के निर्माण में १९५१–५२ से १९५३–५४ तक ५·१४ करोड़ रुपये व्यय हुए हैं ।

(ग) तथा (घ). प्रगति सामान्यत: सन्तोषजनक है ।

दिल्ली के बाजारों मे सफाई

६०६. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी :

(क) क्या दिल्ली नगरपालिका के क्षेत्र में विस्थापित व्यक्तियों के लिये बनाये गये बारह बाजारों में सफाई का प्रबन्ध असन्तोषजनक है; और

(ख) यदि हां, तो इन बाज़ारों की दशा सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) सफाई का प्रबन्ध पूरी तरह से सन्तोषजनक नहीं है ।

(ख) दिल्ली राज्य सरकार दिल्ली नगरपालिका से परामर्श कर के वांछित सुधार करने के लिए आवश्यक कार्यवाही कर रही है ।

सड़क परिवहन

६०७. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या परिवहन मंत्री देश में सड़क परिवहन (मोटर) सेवा के बारे में भविष्य में किये जाने वाले विकास के सम्बन्ध में भारत सरकार की नीति बताने की कृपा करेंगे ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : संविधान के अनुसार सड़क परिवहन सेवाओं का विषय राज्य सरकारों के कार्यपालिका क्षेत्राधिकार में आता है, जो इस विषय सम्बन्धी नीति निर्णय के लिये मुख्यत: उत्तरदायी हैं । परन्तु भारत सरकार सड़क तथा रेल परिवहन के समन्वित विकास में रुचि रखती है और यह समन्वय किस प्रकार का होना चाहिए इस सम्बन्ध में सरकार के विचार सड़क परिवहन निगम अधिनियम १९५० में निहित हैं ।

रेलवे पार्सलों का भुगतान

६०८. **श्री विश्वनाथ रेड्डी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि क्या दिल्ली में भी रेलवे पार्सलों को गली गली से एकत्रित करने और भुगतान करने की योजना चालू करने का विचार है जैसा कि आजकल मद्रास में होता है; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में अभ्यावेदन किये गये हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). नहीं ।

विशेष रेल गाड़ियां

६०९. **श्री यू० एन० त्रिवेदी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि जुलाई १९५४ में होने वाली अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की गत बैठक के दिनों में अजमेर के लिए कितनी विशेष गाड़ियां चलाई गई थीं;

(ख) किन किन स्थानों से वे चलाई गई थीं; और

(ग) क्या यह सच है कि उन यात्रियों की औसत संख्या, जिन्हों ने इन विशेष गाड़ियों से यात्रा की, १० से भी कम थी ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) सात ।

(ख) दिल्ली, नीमच, मारवाड़ जंकशन, बांदीकुई, भीलवाड़ा और फुलेरा ।

(ग) नहीं ।

बम्बई में नाविकों द्वारा प्रदर्शन

६१०. **श्री गिडवानी :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि क्या यह सच है कि १८ अगस्त, १९५४ को बम्बई में बेलार्ड एस्टेट स्थित नाविकों के काम दिलाइ दफ्तर के सामने नाविकों ने प्रदर्शन किया था; और

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण थे ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

माल-डिब्बे

६११. **श्री रामानन्द दास :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि विभिन्न रेलों में ऐसे कितने माल के डिब्बे हैं जिन का उपयोग नहीं हो रहा है;

(ख) उस के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इन में से कुछ माल-डिब्बों को छोटी छोटी मरम्मत के बाद काम में लाया गया है और कुछ बेच दिये गये हैं अथवा लोहे या लोहे के कबाड़ के रूप में छोड़ दिये गये हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). प्रत्येक रेल की स्थित द्योतक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या १७]**

(ग) जी हां । इस प्रकार उपयोग आ सकने वाले माल के डिब्बे मरम्मत के बाद काम में लाये गये हैं । ऐसे वैगनों को, जिन की मरम्मत आर्थिक दृष्टि से लाभदायक नहीं समझी जाती, उन के काम में आने वाले पुर्जों अथवा भागों को रोक कर, बेंच दिया जाता है ।

चीनी-मिलों का स्थानान्तरण

६१२. **श्री वोडयार :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि दक्षिण भारत में चीनी की मिलें खोलने के लिए कितने प्रार्थना पत्र सरकार के यहां विचार करने के लिए निलम्बित हैं;

(ख) किन किन स्थानों पर आजकल चीनी की मिलें खोलने की आज्ञा दी गई है;

(ग) किन किन व्यक्तियों को अपने कारखाने खोलने की आज्ञा दी गई है; और

(घ) क्या भारत सरकार ने इन कारखानों की सहायता के लिए धन देने का वचन दिया है अथवा धन दिया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) २५ ।

(ख) तथा (ग). दक्षिण भारत में चीनी के नये कारखाने खोलने की अनुज्ञप्तियां निम्न संस्थानों को दी गई हैं:—

क्रम संख्या	संस्थान का नाम	स्थान
१.	श्री मूलजी भाई पी० मधवानी, सिंगारा एस्टेट, कून्नोर, मैसूर ।	शिमोगा (मैसूर)
२.	मैसर्स थिरूवन्नामलाई शुगर मिल लि०, थिरूवन्नामलाई, नार्थ अरकाट, (मद्रास)	थिरूवन्नामलाई (मद्रास)
३.	मैसर्स छल्लापाले, शुगर, छल्लापाले लि०, जिला छल्लापाले, किस्तना ।	(मद्रास)
४.	मैसर्स कुलित्तालाई शुगर फैक्टरी लि०, कुलित्तालाई, (मद्रास)	कुलित्तालाई (मद्रास)

५.	मैसर्स वी० एस० थ्याग-राजा मुदलियार, ५३ पोर्टर्स रोड (मद्रास)	वेदापथिमंगलम (मद्रास)
६.	श्री वी० डी० चिताले ३१ वेस्टर्न इंडिया हाउस, बम्बई।	मलसिरास (बम्बई)
७.	मैसर्स पैरी एन्ड कम्पनी लि०, मद्रास	कीलियानूर (मद्रास)

(ख) नहीं।

छपरा स्टेशन पर प्रतीक्षालय

६१३. **श्री एम० एन० सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या उत्तर-पूर्व रेलवे के छपरा स्टेशन के तीसरे दरजे के प्रतीक्षालय को सुधारने और प्लेटफार्म पर छत डालने के लिये कुछ समय पहले मंजूरी दी गयी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या वे दोनों कार्य अब पूरे हो चुके हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस का क्या कारण है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख) अभी तक नहीं।

(ग) कार्यक्रम के आधार पर यात्रियों को सुविधा देने की व्यवस्था निश्चय ही की जायेगी। इस प्रकार के कार्यों के लिए निधि की उपलब्धि, तुलनात्मक महत्व, अत्यावश्यकता विभिन्न स्टेशनों पर कार्य की आवश्यकता आदि को ध्यान में रख कर यात्री-सुविधा-समिति द्वारा वार्षिक कार्यक्रम बनाये जाते हैं। छपरा स्टेशन के प्रतीक्षालय को सुधारने तथा प्लेटफार्म की छत को और बढ़ाने के कार्य को आगामी कार्यक्रम में सम्मिलित कर लेने की आशा है।

चाय के गोदाम

६१४. **श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि क्या कलकत्ता में चाय के गोदामों पर एकाधिकार का अधिकार पत्तन आयुक्तों द्वारा बालमेर लोरे एन्ड कम्पनी को दिया गया है;

(ख) क्या अन्य गैर-सरकारी पक्षों ने गोदामों को किराये पर लेने के लिए प्रार्थना पत्र दिये थे किन्तु इन्कार कर दिया गया जब कि कुछ खाली गोदाम ऐसे थे जो बालमेर लोरे एन्ड कम्पनी के लिये नियत कर दिये गये थे; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) नहीं।

(ख) नहीं। उन सभी गैर सरकारी पक्षों को, जिन्हों ने २५ जुलाई, १९५४ से पूर्व आयुक्तों के गोदामों में चाय रखने के लिए स्थान मांगा था, उन की आवश्यकता के अनुसार जगह दे दी गई थी। २५ जुलाई, १९५४ के बाद मिले उन सभी प्रार्थना पत्रों को जिन में ३,००० वर्ग फुट से अधिक जगह किराये के लिए मांगी गई थी पत्तन आयुक्त द्वारा रद्द कर दिये गये थे क्योंकि उस समय कोई स्थान उपलब्ध नहीं था।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली-गोहाटी विमान सेवा

६१५. **श्री गोहेन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि नई दिल्ली और गोहाटी के बीच सीधी विमान सेवा कब से आरम्भ होगी; और

(ख) क्या सरकार को इस बात का ज्ञान है कि इस विमान सेवा के बन्द कर देने से दिल्ली से आसाम जाने वाले यात्रियों को बड़ी कठिनाई होती है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) नई दिल्ली तथा गोहाटी के बीच सीधी विमान सेवा चालू करने का आजकल कोई विचार नहीं है ।

(ख) दिन में चालू विमान सेवा द्वारा आसाम के यात्री कलकत्ता जा सकते हैं और वहां से उन्हें दिल्ली, बम्बई, मद्रास आदि को जाने के लिए रात को चलने वाली डाक विमान सेवा मिल सकती है ।

पूर्व रेलवे लेखा विभाग

६१६. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि यद्यपि नियंत्रक महालेखा परीक्षक के आधीन काम करने वाले उच्च श्रेणी के क्लर्कों तथा रेलवे लेखा विभाग (पूर्व रेलवे) के प्रथम श्रेणी के क्लर्कों का वेतन क्रम समान है, फिर भी रेलवे लेखा विभाग के जिन क्लर्कों ने परिशिष्ट २ की परीक्षा पास कर ली है उन को १०० रुपये से आरम्भ होने वाला वेतन नहीं दिया जाता है जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक के क्लर्कों को दिया जाता है ।

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : हां । इस अंतर का कारण यह है कि दोनों प्रकार के कर्मचारियों का कार्य भिन्न प्रकार का है तथा उन की भर्ती के लिये निर्धारित अर्हतायें भिन्न भिन्न हैं ।

ओंगोल-बोरिंगपेट रेलवे सम्पर्क

६१७. **श्री विश्वनाथ रेड्डी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ये ओंगोल-कुडुपाह-बोरिंगपेट रेल सम्पर्क की जांच की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे सम्पक की संभाव्यता तथा वांछनीयता के सम्बन्ध में अन्तिम विनिश्चय किया जा चुका है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) अब तक इस सम्बन्ध में कोई विनिश्चय नहीं किया गया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किन विशेष योजनाओं का निर्माण आरम्भ किया जायेगा ।

(ख) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

गुंतकल जिला दक्षिणी रेलवे

६१८. **श्री विश्वनाथ रेड्डी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे के गुंतकल ज़िले के छोटी लाइन के सेक्शन के लिये इस वर्ष के आयात से ७० इंजनों का आवंटन किया गया है;

(ख) क्या इन में से कुछ इंजन पाकाला-धर्मावरम् सेक्शन में भी काम में लाये जायेंगे; और

(ग) क्या पाकाला-धर्मावरम् सेकशन का मार्ग, इन अधिक भारी इंजनों के योग्य बनाये जाने के लिये, इस वर्ष, और भी दृढ कर दिया जायेगा ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) नहीं । जिन इंजनों का दक्षिण रेलवे ने आर्डर दिया है उन को ज़िलों में बांटने के सम्बन्ध में अभी कोई विनिश्चय नहीं किया गया है ।

(ख) नहीं । जब तक मार्ग सुदृढ़ न बना दिया जाये वे इस सेकशन पर नहीं चल सकते हैं ।

(ग) १९५५-५६ तक ९० मील मार्ग तथा १९५७-५८ तक शेष ५१ मील मार्ग सुदृढ़ बनाया जा सकता है ।

[तिलहन

६१९. **श्री विश्वनाथ रेड्डी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पंचवर्षीय योजना का तिलहन के उत्पादन का लक्ष्य कहां तक पूरा किया जा चुका है;

(ख) योजना काल समाप्त होने पर कितनी कमी रहने की संभावना है; और

(ग) इस के मुख्य कारण क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) पंचवर्षीय योजना में निश्चित किया गया तिलहन के उत्पादन का लक्ष्य पूरा हो चुका है ।

(ख) और (ग). ये प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं ।

डाक तथा तार प्रशिक्षण केन्द्र

६२०. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) हैदराबाद स्थित डाक तथा तार प्रशिक्षण केन्द्र के लिये क्या किसी इमारत पर सरकार द्वारा अधिकार किया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या उपाय करने का विचार करती है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) नहीं ।

(ख) विभागीय भवन निर्माण करने के लिये एक भूमिखण्ड लेने का विचार है ।

रेलवे स्टाल के ठेकेदारों की फीस

६२१. **श्री मुनिस्वामी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि अन्य भारतीय रेलों की अपेक्षा दक्षिण रेलवे में स्टाल के ठेकेदारों की फीस असाधारण रूप से बहुत अधिक है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार सब रेलों के फीस की एक समान दर निर्धारित करने का विचार करती है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). ऐसी तुलना करना व्यवहारिक नहीं है चूंकि रेलवे, बिक्री की संभाव्यताओं तथा स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर प्रत्येक मामले के गुणावगुणों पर विचार करने के पश्चात् ही, अनुज्ञप्ति की फीस निर्धारित करती है । भारतीय रेलों में की जाने वाली आहार व्यवस्था के अन्य पक्षों के साथ साथ, विभिन्न रेलों में वसूल की जाने वाली अनुज्ञप्तियों की फीसों में और अधिक एकरूपता उत्पन्न करने की व्यवहारिकता पर भी विचार किया जा रहा है ।

शास्त्री पंचाट

६२२. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल १९५३ में प्रकाशित शास्त्री पंचाट के विरुद्ध बैंक कर्मचारी संघ की तथा अन्य अपीलें बम्बई के श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने कितने समय तक विचाराधीन रहीं ?

श्रम मंत्री (श्री के० के० देसाई) : लगभग एक वर्ष ।

केदारनाथ तीर्थस्थान में बेतार केन्द्र

६२३. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमालय के तीर्थस्थान केदारनाथ में बेतार का केन्द्र स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उस केन्द्र के कब तक स्थापित हो जाने की आशा है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) यह विषय विचाराधीन है ।

(ख) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

उड़ीसा में शताब्दी प्रदर्शनी गाड़ी

६२४. **श्री संगण्णा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या शताब्दी प्रदर्शनी गाड़ी ने जुलाई तथा अगस्त १९५४ में उड़ीसा का दौरा किया;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां यह गाड़ी रुकी;

(ग) इन स्थानों में इस गाड़ी को देखने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है; और

(घ) उड़ीसा के दौरे के सम्बन्ध में हुआ आय तथा व्यय कितना है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जून तथा जुलाई १९५४ में शताब्दी प्रदर्शनी गाड़ी ने उड़ीसा के स्टेशनों का दौरा किया ।

(ख) पुरी, कटक तथा सम्बलपुर ।

(ग) ५८,५२८ ।

(घ) आय : १२, ९९६ रुपये ८ आने । व्यय : केवल उड़ीसा के स्टेशनों के दौरे से सम्बन्धित व्यय के पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

गन्ना

६२५. **श्री रामदास** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५२–५३ तथा १९५३–५४ में पंजाब, पेप्सू तथा हिमाचल प्रदेश राज्यों की चीनी मिलों में कुल कितने गन्ने की खपत हुई; और

(ख) उपर्युक्त राज्यों में गुड़ चीनी तैय्यार करने वाली मिलों की संख्या कितनी है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) :

(क)	१९५२–५३	१९५३–५४
	लाख मन	लाख मन
पंजाब	३१·२७	३०·९०
पेप्सू	४९·७६	३४·९१
हिमाचल प्रदेश	कुछ नहीं	कुछ नहीं

(ख) १९५२–५३ अथवा १९५३–५४ में उपर्युक्त राज्यों में किसी चीनी मिल ने गुड़ से चीनी नहीं तैय्यार की ।

पालघाट डाकघर

६२६. **श्री आई० ईयाचरण** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) गत चार वर्षों में पालघाट के मुख्य डाक घर में घटित होने वाले, नक़द रुपये तथा बीमा किये गये पारसलों के गायब हो जाने के मामलों की संख्या कितनी है;

(ख) अपराधियों को पकड़ने के लिये कौन कौन से उपाय किये गये तथा कितनी सफलता मिली; और

(ग) ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये कौन कौन से उपाय किये गये हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) :

(क) १९५०–५१—कुछ नहीं ।

१९५१–५२—नकद रुपये के ग़ायब होने के दो मामले तथा बीमा किये हुए लिफाफों (पारसल नहीं) के ग़ायब होने का एक मामला हुआ । लगभग २,१०० रुपये के मूल्य के तीन बीमा किये हुए तीन लिफ़ाफ़े ग़ायब हो गये ।

१९५२–५३—कुछ नहीं ।

१९५३–५४—कुछ नहीं ।

(ख) सभी मामलों की सूचना पुलिस को दे दी गई थी किन्तु वह अपराधियों का पता नहीं लगा सकी ।

(ग) पदाधिकारियों द्वारा असावधानी दिखाने के परिणामस्वरूप आर्थिक दायित्व उन पर रखा गया और इस का उन पर बहुत प्रभाव हुआ ।

खानों में दुर्घटनायें

६२७. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३ में कोयला, सोना, अभ्रक और मैंगनीज़ की खानों में कितने श्रमिक अ-घातक दुर्घटनाओं में घायल हुए तथा एक सप्ताह अथवा अधिक समय के लिये शरीर से लाचार हो गये;

(ख) १९५२ की अपेक्षाकृत ये आंकड़े कैसे हैं; और

(ग) इन खानों में होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने के कौन से उपाय किये जा रहे हैं ?

श्रम मंत्री (श्री के० के० देसाई): (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या १८**]। भारी चोट वह है जिस में किसी व्यक्ति को देखने तथा सुनने में स्थायी रूप से असमर्थ हो गया हो या उस का कोई अंग टूट गया हो या ऐसी चोट आई हो जिस के कारण उसे बीस दिन से अधिक काम से अलग रहना पड़ा हो । कम गंभीर प्रकार की दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में जानकारी अभी एकत्रित नहीं हुई है परन्तु आलोचनार्थ प्रकाशित खान नियमों के प्रारूप के अन्तर्गत "मामूली दुर्घटनाओं का रजिस्टर" के उपबन्ध करने का विचार किया गया है ।

(ग) खान विभाग खानों में काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा के लिये खान अधिनियम के उपबन्धों तथा तत्सम्बन्धी नियमों, विनियमों तथा उपविधियों को लागू कर के सभी प्रकार की सुरक्षात्मक व्यवस्था कर रहा है । विनियमों का संशोधन होने वाला है और उन के लागू करने से खानों में काम करना और भी सुरक्षापूर्ण हो जायेगा । निरीक्षण की बारम्बारिता बढ़ाने के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

उत्तर पूर्वी रेलवे

६२८. **ठा० युगल किशोर सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर-पूर्वी रेलवे में विभिन्न रेलवे माल गोदामों तथा स्टेशनों तक पहुंचाने वाली सड़कों की मरम्मत में जो हाल की बाढ़ के कारण कट गयी थीं, कितना समय लगेगा ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : अधिकतर मामलों म यद्यपि सड़कें डूबी हुई थीं, फिर भी कोई नुकसान नहीं हुआ । आवश्यक मरम्मत या तो की गयी है अथवा की जायेगी, जब बाढ़ का पानी घट जायेगा और स्थानीय स्थिति अनुकूल होगी ।

सीतामढ़ी में डाकघर

६२९. **ठा० युगल किशोर सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दो हजार या अधिक जनसंख्या वाले गांवों के प्रत्येक समुदाय के लिए एक डाक घर खोलने की सरकारी नीति के अनुसार सीतामढ़ी उपविभाग में कौन कौन से नये डाकघर खोले जा रहे हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : विवरण पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्धन संख्या १९**]

'ल्यूबन क्लोवर' खाद

६३०. **श्री बुचिकोटैय्या** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि यह तथ्य है कि उत्तर प्रदेश में "ल्यूबन क्लोवर" नाम की खाद फसल के पीज बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो खाद के रूप में उस का किस प्रकार उपयोग किया जायेगा;

(ग) खाद की अन्य फसलों की तुलना में इस फसल की क्या विशेषता है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) हां, ह्यबम क्लोवर (न कि ल्यूबन क्लोवर जैसे प्रश्न में उल्लिखित है) के बीज बढ़ाने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं। इस क्लोवर के बीज अमेरिका से प्राप्त किये गये थे और अब तक इस पौधे के ५ मन बीज पैदा किये गये हैं।

(ख) असिंचित भूमि में जहां अन्य कोई पैदावार नहीं हो सकती, देर से बोयी गयी धान की फसल के बाद पैदावार के लिए यह उपयुक्त है। ह्यूबम क्लोवर से धान के खेतों के उपजाऊ-पन में वृद्धि होगी और परिणाम स्वरूप धान की औसत पैदावार में भी वृद्धि होगी।

(ग) ह्यूबम क्लोवर क्लोवर की एक कठोर जाति है जो बरसीम की तुलना में रूखी है। पशु इस को उस हद तक नहीं खाते जितना कि बरसीम को। बिना सिंचाई के यह बढ़ सकती है और यही इस की विशेषता है। अत: नवम्बर से अप्रैल के महीनों के बीच पैदावार के लिए यह सब से अधिक उपयुक्त है जब देर से बोया गया धान काट लिया गया हो जहां बरसीम असिंचित भूमि में नहीं पैदा हो सकती। यह बरसीम के तरह उपजाऊ बनाने वाली क्लोवर फसल है किन्तु इसे सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती जब कि बरसीम को आवश्यकता होती है।

हावड़ा रेलवे स्टेशन के निकट जलमग्न क्षेत्र

६३१. **श्री एन० बी० चौधरी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि हावड़ा स्टेशन के निकट रेलवे की जमीन पर के तालाब मछली निकालने के लिए पट्टे पर देने के विषय में सरकार के समक्ष कोई प्रस्थापना है; और

(ख) यदि हां, तो वे पश्चिमी बंगाल सरकार को दिये जायेंगे अथवा सीधे किसी गैर-सरकारी व्यक्ति को ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) नहीं श्रीमान्।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

बिना टिकट यात्रा

६३२. **श्री संगण्णा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि बना टिकट यात्रा के सम्बन्ध में १९५३ तथा १९५४ वर्षों में परलाकीमेडी लाइट रेलवे तथा वाल्टेयर-रायपुर रेलवे लाइन (पूर्वी रेलवे क्षेत्र) पर वाणिज्यिक पदाधिकारियों के व्यक्तिगत देखरेख के अन्तर्गत विशेष टिकट-चैकिंग किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उस के क्या परिणाम हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) हां, १ अप्रैल १९५३ से।

(ख) परिणाम निम्नलिखित हैं :—

१ अप्रैल, १९५३ से १० सितम्बर १९५४ तक

	परलाकी-मैडीलाइट रेलवे खंड	वाल्टेयर रायपुर खंड
(१) किये गये टिकट चैकिंग की संख्या	५६	११
(२) अभियुक्त व्यक्तियों की संख्या	१,११९	४९
(३) किराया आदि वसूल करने के बाद मुक्त व्यक्तियों की संख्या	५३४	१९
(४) प्राप्त धन		
(i) किराया	रु० ५,६७९	रु० ३२५
(ii) दंड	रु० १,६२४	रु० ११४
(iii) जुर्माना	रु० २,७५७	रु० ६७

मध्य प्रदेश में काम दिलाऊ दफ्तर

६३३. **श्री एन० ए० बोरकर** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि पिछले तीन वर्षों में मध्य प्रदेश में काम दिलाऊ दफ्तरों में कितने भूतपूर्व सैनिक पंजीकृत हुए हैं;

(ख) उक्त अवधि में कितने व्यक्तियों को काम दिलाऊ दफ्तरों से नौकरियां प्राप्त हुई हैं;

(ग) उन में कितने व्यक्ति अनुसूचित जातियों के हैं ?

श्रम मंत्री (श्री के० के० देसाई): (क) अगस्त १९५१ से जुलाई १९५४ तक की अवधि में ६,१७७ ।

(ख) १,५०१ ।

(ग) जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि अनुसूचित जातियों के भूतपूर्व सैनिकों से सम्बन्धित अलग आंकड़े नहीं रखे जाते ।

खाद्य भंडार

६३४. **श्री एन० एम० लिंगम** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सारे देश में विनियंत्रण की घोषणा के समय विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा रखे हुए खाद्यान्न का क्या परिमाण है ।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : विवरण पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या २०**]

चीनी का आयात

६३५. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि चालू वर्ष में आयात की जाने वाली चीनी का संभाव्य मूल्य क्या है;

(ख) कितनी अवधि तक देश में चीनी का आयात जारी रहेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) अप्रैल से दिसम्बर १९५४ के बीच प्रस्थापित आयात की जाने वाली साफ की हुई ६,९०,००० टन चीनी का भाड़े सहित संभाव्य मूल्य ३५,४२,५३,००० रुपये है ।

(ख) जब तक चीनी का देशी उत्पादन आन्तरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपर्याप्त पाया जायेगा ।

रेल दुर्घटनाओं में अंतर्ग्रस्त रेलवे कर्मचारी

६३६. **श्री साधन गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि पूर्वी रेलवे के अलीपुरद्वार ज़िले में दुर्घटनाओं के कारण हाल में कतिपय रेलवे कर्मचारियों की जान गई है;

(ख) यदि हां, तो ये दुर्घटनायें किस प्रकार की थीं और उन के क्या कारण थे;

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). २३ अगस्त १९५४ को लगभग ३ बजे प्रातःकाल जब कि माल जंकशन के निर्माण-निरीक्षक ट्राली चलाने वाले कर्मचारी के साथ एक लाइट इंजिन में हाथी वाला पुल के उपर नदी में असाधारण बाढ़ को देखते हुए उस के सुरक्षित होने के सम्बन्ध में जांच करने के लिए जा रहे थे, तो पुल के नीचे का खंभा टूट जाने के कारण इंजिन नदी में गिर गया । निर्माण निरीक्षक के अतिरिक्त जो ३० अगस्त, १९५४ को मृतप्राय अवस्था में पाये गये तथा जो अब अस्पताल में हैं, बाकी चार मृत समझे जाते हैं ।

अलीपुरद्वार ज़िला उत्तरपूर्वी रेलवे में है, न कि पूर्वी रेलवे में जैसा कि प्रश्न में कहा गया है ।

(ग) यह एक असाधारण घटना होने के कारण, ऐसे मामलों को रोकने के लिए कोई विशेष कार्यवाही नहीं की गयी है ।

आसाम लिन्क में पटरी का टूट जाना

६३७. **श्री साधन गुप्त** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि उत्तर पूर्वी रेलवे के अलीपुर द्वार जिले में रेलवे लाइनों में तथा नयी आसाम लिन्क लाइन में कितने स्थानों पर पटरी टूट गई है;

(ख) पिछले वर्षों में भी कितने स्थानों में पटरी टूटी है; और

(ग) भविष्य में पटरी न टूटे इस के पूर्वोपाय के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) नयी आसाम रेल लिन्क में २८ स्थानों पर पटरी टूटी है तथा उत्तर पूर्वी रेलवे के अलीपुरद्वार विभाग में ५१ स्थानों पर पटरी टूटी है।

(ख) १९५२ में जिन ७ स्थानों पर पटरी टूटी है वहीं इस वर्ष पुनः पटरी टूट गई है।

(ग) बाढ़ से क्षति रोकने के लिए आवश्यक उपायों के सम्बन्ध में रेलवे तथा राज्य प्राधिकारियों की संयुक्त समिति की सिफारिशों के आधार पर रेलवे यह निर्णय करेगी कि कौन से कदम उठाये जायें।

पर्यटकों के लिए प्रचार

६३८. **मुल्ला अब्दुल्लाभाई** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५३–५४ में (१) भारत में तथा (२) भारत के बाहर पर्यटकों के लिए प्रचार पर कितना व्यय किया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : पर्यटकों के लिए प्रचार सामग्री साधारणतया भारत में तैयार की जाती है और वह भारत में तथा विदेश में वितरित की जाती है। व्यय के अलग अलग आंकड़े अभी नहीं रखे जाते। १९५३–५४ में कुल व्यय २,५४,८०० रुपये हुआ था।

आसाम में पुल

६३९. **श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या आसाम में मिसामारी रेलवे स्टेशन के पास नदी पर पुल का निर्माणकार्य पूर्ण हो चुका है; और

(ख) यदि हां, तो पुराने पुल का क्या होगा ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) नये पुल का ९८ प्रतिशत निर्माणकार्य पूर्ण हो चुका है।

(ख) पुराना पुल तोड़ दिया जायेगा क्योंकि रक्षा विभाग और आसाम सरकार में से कोई भी पुराने पुल को, सड़क के पुल के रूप में प्रयोग करने के लिए, मोल लेना नहीं चाहते।

भारतीय विमान परिचारिकाओं की वर्दी

६४०. **डा० राम सुभग सिंह** :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय विमानों की परिचारिकाओं की वर्दी किसी प्रतिमान की निर्धारित की जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का विस्तृत विवरण क्या है ?

संचार उपमंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) इस मामले की जांच हो रही है। अभी कोई प्रस्ताव तैयार नहीं किये गये हैं।

दिल्ली परिवहन सेवा के किराये

६४१. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन सेवा की बसों के किराये कम किये जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां तो कब से ऐसा होगा।

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

लाऊशिपत क्षेत्र

६४२. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५२–५३ तथा १९५३–५४ में मनीपुर के लाऊशिपत क्षेत्र में कितने एकड़ भूमि कृषियोग्य बनाई गई;

(ख) सरकार ने कितना धन दिया; और

(ग) कृषियोग्य बनाई गई भूमि से सरकार को प्रति वर्ष कितना राजस्व प्राप्त होगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) से (ग)। अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं है, तथा राज्य सरकार से मंगाई गई है। सूचना प्राप्त होते ही पटल पर रखी जायेगी।

प्लेटफार्मों पर छत डालना

६४३. **श्री जी० एल० चौधरी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३–५४ में उत्तर-पूर्व रेलवे के जिन प्लेटफार्मों पर छत डालने के कार्य के लिये मंजूरी दी गई थी उस में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) १९५२–५३ में जिन स्टेशनों के प्लेटफार्मों की छतें बनाने के लिये स्वीकृति दी गई थी उन में से कितने स्टेशनों पर यह कार्य पूरा हो चुका है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) दो स्टेशनों पर कार्य पूर्ण हो गया है। तीन स्टेशनों पर लगभग ७५ प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। पांच स्टेशनों पर कार्य आरम्भ किया गया है। चार स्टेशनों पर निर्माण कार्य आरम्भ करने के लिए सामान जोड़ा जा रहा है। एक स्टेशन पर कार्यमार्ग में कुछ परिवर्तन होने के पश्चात् निर्माण-कार्य आरम्भ होगा।

(ख) दस।

ओवरसीयर पाठ्यक्रम

६४४. **श्री रामशरण** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या मंत्रालय की शिल्पिक प्रशिक्षण योजना के अधीन 'ओवरसीयर पाठ्यक्रम' का कोई प्रशिक्षण दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो आजकल यह प्रशिक्षण किन किन स्थानों पर दिया जाता है; और

(ग) क्या केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें दिये गये प्रमाणपत्र को मान्यता देती हैं ?

श्रम मंत्री (श्री के० के० देसाई) : (क) तथा (ख)। ओवरसीयर पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण, जो पिछले दिनों तक कलकत्ता, कोनी बिलासपुर (मध्य प्रदेश) तथा बनारस स्थित प्रशिक्षण केन्द्रों / संस्थाओं में दिया जा रहा था अगस्त १९५४ में आरम्भ हुये नये पाठ्यक्रम के साथ ही समाप्त कर दिया गया है। इस पाठ्यक्रम को पुनः आरम्भ करने का प्रश्न विचाराधीन है।

(ग) इस कार्य के लिए इस मंत्रालय ने जो प्रमाणपत्र दिये हैं, उन्हें अब तक आसाम, दिल्ली, बिहार, पेप्सू तथा हिमाचल प्रदेश की सरकारों की मान्यता प्राप्त हुई है। मध्य-प्रदेश की सरकार ने इस को अपनी सेवा की

सब-ओवरसीयर श्रेणी के लिए मान्यता दी थी। केन्द्रीय सरकार के अधीन पदों के लिए इस प्रमाणपत्र की मान्यता का प्रश्न अभी विचाराधीन है।

राष्ट्रीय मलेरिया नियन्त्रण कार्यक्रम

६४५. **श्री सी० आर० चौधरी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि राष्ट्रीय मलेरिया नियन्त्रण योजना के अधीन आंध्र सरकार को १९५३ तथा अगस्त १९५४ के अन्त तक कितने धन की सहायता दी गई है?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : राष्ट्रीय मलेरिया नियन्त्रण योजना के अधीन १९५३ में तथा अगस्त १९५४ के अन्त तक आंध्र सरकार को भारत सरकार द्वारा सहायता के रूप में दिये गये धन के आंकड़े इस प्रकार हैं :—

सामग्री		अनुमानित मूल्य रु०
डी० डी० टी०	२,८२,१३५ पौण्ड	४,६४,३७६
अणुवीक्षणयंत्र	२	३,६७०
जीपें	२	१६,०१०
एन्टरोक्स	३७२ पौण्ड	७६०
		४,८४,८१६
रिसोचिन टिकिया	९६,६६६	(संख्या में)

आसनसोल के एलूमीनियम कारखाने में दुर्घटना

६४६. **श्री के०के० बसु** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या मई १९५४ में आसनसोल स्थित जे० के० एलूमिनियम कारखाने में कोई दुर्घटना हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उस का कारण क्या था;

(ग) कितने लोगों को चोट आई;

(घ) क्या कोई जांच पड़ताल समिति नियुक्त की गई है; और

(ङ) क्या उन व्यक्तियों के विरुद्ध, जिन के कारण यह दुर्घटना हुई थी, कोई कार्यवाही की गई है?

श्रम मंत्री (श्री के० के० देसाई) : (क) जी हां।

(ख) एक तिपीड-तापक (ओटोक्लेब) के तले से, जिसे खाली कर दिया गया था और जो तीन दिन से प्रयोग में नहीं था निष्क्रागन कपाट (वाल्व) को हटाते हुए तिपीड-तापक (ओटोक्लेब) से तरल कास्टिक सोडा, जो उस में रह गया होगा, कपाट (वाल्व) हटाने वाले मज़दूरों पर छलक गया।

(ग) पांच। इन में से तीन की बाद में अस्पतालों में मृत्यु हुई। अन्य दो को केवल थोड़ी थोड़ी चोट आई थी।

(घ) कारखानों के निरीक्षक ने एक जांच पड़ताल की थी।

(ङ) पश्चिमी बंगाल के कारखानों के प्रमुख निरीक्षक ने इस मामले का पुनर्विलोकन किया और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि किसी व्यक्ति को दुर्घटना के लिए उत्तरदायी नहीं कहा जा सकता। भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उन्होंने कार्यवाही की है।

गुन्टूर तथा तेनाली में रेलवे लाईन के उपर से जाने के पुल

६४७. **श्री रघुरामैया** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या आंध्र राज्य में गुन्टूर तथा तेनाली नगरों के घने क्षेत्रों में रेलवे लाइनों के ऊपर से जाने के लिए पुल बनाने की आवश्य-

कता को जोरदार शब्दों में अभिव्यक्त करने वाला कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निश्चय किया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) गुन्टूर-अमरावती सड़क पर विद्यमान रेलवे क्रासिंग (रेलवे लाइन तथा सड़क के मिलने का स्थान) के स्थान पर सड़क के ऊपर पुल के निर्माण को १९५५–५६ के आय-व्ययक में सम्मिलित करने का विचार है ।

तेनाली में सड़क के ऊपर से पुल बनाने की व्यवस्था की अभी राज्य सरकार ने सिफारिश नहीं की है ।

माल गाडियों की औसत चाल

६४८. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर-पूर्व रेलवे की मालगाड़ियों की प्रति घंटा चाल कितनी है और प्रति वर्ष एक डिब्बे में औसतन कितनी बार माल लादा जाता है ?

रेलवे तथा **परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : १९५३–५४ में उत्तर-पूर्वी रेलवे की छोटी लाइन तथा तंग लाइन पर सारी मालगाड़ियों की औसत गति क्रमानुसार ७·३८ मील तथा ६·७७ मील प्रति घण्टा थी । और उत्तर पूर्व रेलवे पर छोटी लाइन के डिब्बे में, औसत रूप में, ४७ बार माल लादा गया ।

लोक-सभा

बुधवार,
२२ सितम्बर, १९५४

वाद विवाद

Chamber Lib. 18/X/23

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated
Parliament Library

खंड ७, १९५४

(१३ सितम्बर से ३० सितम्बर, १९५४)

सप्तम सत्र
१९५४

विषय-सूची

खंड ७—१३ सितम्बर से ३० सितम्बर, १९५४

सोमवार १३ सितम्बर, १९५४

	स्तम्भ
सभा का कार्य	१२९३—१२९५, १३००—१३०७
स्थगन प्रस्ताव—	
कलकत्ते में गोवध-विरोधी प्रदर्शनकारियों पर लाठी व अश्रु गैस का प्रयोग	१२९५–१२९६
पटल पर रखे गये पत्र—	
बिजली के पीतल के लैम्प होल्डर उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन, १९५४ और सरकारी संकल्प	१२९६
परिरक्षित फल उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन, १९५४ और सरकारी संकल्प तथा अधिसूचना आदि.	१२९६–१२९७
शीशे की चादरें बनाने के उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन, १९५४ और सरकारी संकल्प तथा अधिसूचना आदि	१२९७
साइकिल उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन, १९५४ और सरकारी संकल्प तथा अधिसूचना आदि	१२९७–१२९८
सुरमा उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन, १९५४ और सरकारी संकल्प तथा अधिसूचना .	१२९८
रूई तथा बालों के पट्टे के उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन, १९५४ और सरकारी संकल्प तथा अधिसूचना	१२९८–१२९९
कोको पाउडर और चाकलेट उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन, १९५४ और सरकारी संकल्प तथा अधिसूचना	१२९९–१३००
विभिन्न आश्वासनों, वचनों और प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही सम्बन्धी विवरण . . .	१२९९–१३००
१९५४–५५ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें—प्रस्तुत की गई .	१२९९
भारत में बाढ़ की स्थिति सम्बन्धी प्रस्ताव—संशोधित रूप में पारित	१३०८–१३०९
संविधान (तृतीय संशोधन) विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपा गया	१३०९–१३११
विशेष विवाह विधेयक—खण्डवार विचार—असमाप्त . . .	१३१२–१३७६

मंगलवार, १४ सितम्बर १९५४

विशेष विवाह विधेयक—खंडवार विचार—असमाप्त . .	१३७७–१४६६

बुधवार, १५ सितम्बर १९५४

	स्तम्भ
पटल पर रखे गये पत्र—	
भारतीय शस्त्रास्त्र (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर रायें .	१४६७
भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, १९५४ . .	१४६८
भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, १९५४ . .	१४६८
अखिल भारतीय सेवायें (यात्रा भत्ता) नियम, १९५४ . .	१४६८
अखिल भारतीय सेवायें (चिकित्सा सुविधा) नियम, १९५४ .	१४६८
अखिल भारतीय सेवायें (प्रतिकर भत्ता) नियम, १९५४. .	१४६८
भारतीय पुलिस सेवा (वर्दी) नियम, १९५४. . .	१४६८
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति के चौथे प्रतिवेदन का उपस्थापन	१४६८–१४६९
समिति के लिये निर्वाचन—नारियल जटा बोर्ड . . .	१४६९
चन्द्रनगर (विलय) विधेयक, १९५४—पुरःस्थापित . .	१४६९
विशेष विवाह विधेयक—खण्डवार विचार—असमाप्त . .	१४६९–१५५३
रेलवे प्लेटफार्मों पर रूसी प्रकाशनों की बिक्री . . .	१५५३–१५६४

बृहस्पतिवार, १६ सितम्बर, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र—	
भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन तथा भारतीय पुलिस सेवा) वेतन नियम १९५४ का परिशिष्ट	१५६५
राज्य-सभा से सन्देश	१५६५–१५६६
तारांकित प्रश्न संख्या २३२३—क के उत्तर की शुद्धि . .	१५६६
संयुक्त समिति के लिये सदस्यों का नामनिर्देशन संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, १९५४ के अन्तर्गत नियम बनाने के लिये संयुक्त समिति	१५६७
सदस्य की दोष-सिद्धि	१५६७
औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) विधेयक—पुरःस्थापित	१५६८
विशेष विवाह विधेयक—संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—असमाप्त	१५६८–१६५८

शुक्रवार, १७ सितम्बर, १९५४

भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५४—याचिका की सूचना दी गई	१६५९
भारतीय शस्त्रास्त्र (संशोधन) विधेयक, १९५४—सम्मतियां प्राप्त हुई . . .	१६६०

दहेज निषेध विधेयक तथा दहेज का निषेध विधेयक—याचिका उपस्थापित की गई . . . . . स्तम्भ १६६०

बैंकों की अपीलों पर श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के विनिश्चय में रूप भेद करने के आदेश के सम्बन्ध में वक्तव्य . . १६६१

विशेष विवाह विधेयक—संशोधित रूप में पारित . . १६६१–१७०८, १७१८-१७२०

भारतीय आय-कर (संशोधन) विधेयक —विचारार्थ प्रस्ताव—असमाप्त १७०९–१७१८

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के साठवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत . . १७२०–१७२६

भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक, १९५४—पुरःस्थापित . १७२६

काजी विधेयक, १९५४—पुरःस्थापित . . . १७२७

अत्यावश्यक वस्तु (अस्थायी शक्तियां) संशोधन विधेयक, १९५४—वाद-विवाद स्थगित हुआ १७२८–१७४०

बनस्पति उत्पादन तथा विक्रय प्रतिषेध विधेयक, १९५४—विचारार्थ प्रस्ताव—असमाप्त . . . १७४१–१७७२

शनिवार, १८ सितम्बर, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र—

समुद्र–सीमा-शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें . . १७७३

भारतीय आयकर (संशोधन) विधेयक—पारित . . १७७३–१८५३

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक (संशोधन) विधेयक, १९५४—विचारार्थ प्रस्ताव—असमाप्त १८५३–१८६०

सोमवार, २० सितम्बर १९५४

राज्य-सभा से सन्देश १८६१–१८६२

पटल पर रखे गये पत्र—

परिसीमन आयोग, भारत, अंतिम आदेश संख्या १६, दिनांक ३० अगस्त, १९५४ . . . . . १८६२–१८६३

संविधान (तृतीय संशोधन) विधेयक—संयुक्त समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित १८६३

सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति के चौथे प्रतिवेदन के सम्बन्ध में प्रस्ताव—स्वीकृत १८६३

स्थगन प्रस्ताव—

लाजपत नगर में विस्थापित व्यक्तियों पर लाठी चार्ज . . १८६४–१८६५

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा लवण (संशोधन) विधेयक–पारित . १८६५–१९११

चन्द्रनगर (विलय) विधेयक—संशोधित रूप में पारित . . १९११–१९३९

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक—विचारार्थ प्रस्ताव—असमाप्त १९३९–१९५४

मंगलवार, २१ सितम्बर १९५४

स्थगन प्रस्ताव— स्तम्भ

लाजपत नगर में नीलाम के अवसर पर कथित लाठी चार्ज १९५५–१९५७

पटल पर रखे गये पत्र—

सीमेन्ट सम्बन्धी औद्योगिक समिति के दूसरे सत्र की कार्यवाही का सारांश १९५७

विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण १९५७–१९५८

भारत के औद्योगिक वित्त निगम का छठा वार्षिक प्रतिवेदन . १९५८

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक—संशोधित रूप में पारित १९५८–१९७६

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) विधेयक—विचारार्थ प्रस्ताव—संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—असमाप्त १९७६–२०५८

बुधवार, २२ सितम्बर १९५४

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—बारहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन . . . २०५९

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) विधेयक—पारित . २०५९–२१२४

संविधान (तृतीय संशोधन) विधेयक— विचार करने का प्रस्ताव (चर्चा असमाप्त) २१२४–२१६६

बृहस्पतिवार, २३ सितम्बर, १९५४

पटल पर रखा गया पत्र—

काफी विक्रय विस्तार (संशोधन) विधेयक सम्बन्धी प्रवरस मिति के सामने दिये गये साक्ष्य २१६७

राज्य-सभा से सन्देश २१६७–२१६८

मनीपुर राज्य पहाड़ी लोग (प्रशासन) विनियमन (संशोधन) विधेयक—राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, पटल पर रखा गया . . २१६८–२१६९

संविधान (तृतीय संशोधन) विधेयक—पारित . . . २१६९–२२३१

भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक—विचार करने तथा, परिचालित करने के प्रस्तावों पर चर्चा—असमाप्त . . २२३१–२२४४

शुक्रवार, २४ सितम्बर, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र—

भेषजीय जांच समिति का प्रतिवेदन २२४५

	स्तम्भ
उन मामलों के विवरण जिन में भारतीय भंडार विभाग ने न्यूनतम राशि के प्राक्कलन पत्र (टेंडर) स्वीकार नहीं किये थे .	२२४५–२२४६
स्थगन प्रस्ताव——	
बैंक कर्मचारियों की हड़ताल	२२४६–२२४८
लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर ध्यान दिलाना—इस्पात संयंत्र के बारे में रूस का प्रस्ताव	२२४८–२२४९
रेलवे बोर्ड के पुनर्निर्माण और पुनः संगठन के बारे में वक्तव्य .	२२४९–२२५१
भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक——विचारार्थ प्रस्ताव—स्वीकृत	२२५१–२३११
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के बारहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत . .	२३१२
बाढ़ के कारण हुई क्षति को सुधारने के लिये आसाम को वित्तीय सहायता के बारे में संकल्प—वापस लिया गया . . .	२३१३–२३२१
हिन्दी विधि आयोग की नियुक्ति के बारे में संकल्प——अस्वीकृत .	२३२१–२३५२
सरकारी कर्मचारियों की सेवा को सुरक्षित बनाने के बारे में संकल्प—असमाप्त	२३५२–२३६६

शनिवार, २५ सितम्बर १९५४

पटल पर रखे गये पत्र——	
दामोदर घाटी निगम का वार्षिक प्रतिवेदन (भाग २) . .	२३६७
दामोदर घाटी निगम जांच समिति के प्रतिवेदन की सिफारिशों के सम्बन्ध में निर्णय	२३६७–२३६८
राज्य सभा से सन्देश	२३६८
समिति के लिये निर्वाचन—लोक-लेखा समिति . . .	२३६९–२३७०
भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक—पारित . .	२३७०–२४०५
निष्क्रान्त सम्पत्ति व्यवस्था (संशोधन) विधेयक—संशोधित रूप में पारित	२४०५–२५०४

सोमवार, २७ सितम्बर, १९५४

राज्य सभा से सन्देश	२५०५
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—पांचवां प्रतिवेदन उपस्थापित	२५०५
लोक-लेखा समिति—नवां प्रतिवेदन उपस्थापित. . . .	२५०६
जेल से संसद् सदस्य की रिहाई . . .	२५०६
समिति के लिये निर्वाचन——	
कर्मचारी राज्य बीमा निगम	२५०६–२५०७
सभा का कार्य	२५०७

	स्तम्भ
कराधान विधियां (जम्मू तथा काश्मीर में विस्तार) विधेयक—पारित	२५०७–२५२७
मध्यभारत आय पर कर (मान्यीकरण) विधेयक—पारित .	२५२८–२५३८
१९५४–५५ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें—असमाप्त .	२५२८–२६२६

मंगलवार, २८ सितम्बर, १९५४

राज्य सभा से सन्देश—	
विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) विधेयक, १९५४ के सम्बन्ध में	२६२७
पटल पर रखे गये पत्र—	
मसाला जांच समिति का प्रतिवेदन . . .	२६२७
तारांकित प्रश्न संख्या २१३० के उत्तर की शुद्धि के सम्बन्ध में वक्तव्य	२६२८
पुनर्वास वित्त प्रशासन के सम्बन्ध में प्रतिवेदन तथा वक्तव्य .	२६२८–२६२९
केन्द्रीय उत्पादन तथा लवण अधिनियम, १९४४ के अधीन अधिसूचनायें	२६२९
लोक-लेखा समिति—प्रतिवेदनों का उपस्थापन . . .	२६२९
स्थगन प्रस्ताव—	
बीमा कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल—अस्वीकृत .	२६२९–२६३१
१९५४–५५ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें—स्वीकृत .	२६३२–२६६९
विनियोग (संख्या ३) विधेयक, १९५४—पुरःस्थापित तथा पारित .	२६६९–२६७०
खाद्य तथा कृषि पदार्थों के मूल्यों में गिरावट पर चर्चा . .	२६७०–२६८८
सेवाओं के नियमों के सम्बन्ध में प्रस्ताव . . .	२६८८-२७५२
कलकत्ता पत्तन के उप-नौवहन अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार के कथित आरोपों के सम्बन्ध में चर्चा . . .	२७५२–२७६०

बुधवार, २९ सितम्बर, १९५४

हैदराबाद राज्य में यशवन्तपुर के निकट रेलवे दुर्घटना के सम्बन्ध में वक्तव्य	२७६१–२७६८
पटल पर रखे गये पत्र—	
पंचवर्षीय योजना की १९५३-५४ की प्रगति का प्रतिवेदन .	२७६८–२७६९
विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण . . .	२७६९
महानदी पुल समिति का प्रतिवेदन	२७६९
खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें	२७६९–२७७१
वस्त्र जांच समिति का प्रतिवेदन	२७७१
राज्य सभा से सन्देश	२७७१

	स्तम्भ
भारतीय शस्त्रास्त्र (संशोधन) बिधेयक पर रायें .	२७७१
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति—दूसरा प्रतिवेदन—उपस्थापित .	२७७१
प्राक्कलन समिति—दसवां तथा ग्यारहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	२७७२
समितियों के लिये निर्वाचन—	
लोक-लेखा समिति	२७७२
कर्मचारी राज्य बीमा निगम . . .	२७७२
अनुपस्थिति की अनुमति	२७७२–२७७३
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव—चर्चा—असमाप्त . .	२७७३–२८७८

बृहस्पतिवार, ३० सितम्बर, १९५४

रांज्य सभा से सन्देश	२८७९
पटल पर रखे गये पत्र—	
प्राक्कलन समिति द्वारा अपने नवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों का सारांश और उन पर सरकार के विचार या की गई या की जाने वाली कार्यवाही	२८८०
इस्पात परियोजना सम्बन्धी प्रगति का अग्रेतर ब्यौरा देने वाला विवरण	२८८०–२८८३
कुछ राज्य उद्यमों के वार्षिक प्रतिवेदन, अन्तिम लेखे तथा सन्तुलन पत्र	२८८३–२८८४
पुनर्वास वित्त प्रशासन का लेखा-परीक्षित सन्तुलन पत्र तथा हानि-लाभ लेखा	२८८४
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—तेरहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	२८८४
लोक-लेखा समिति—दसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित .	२८८५
याचिका समिति—चौथा प्रतिवेदन—उपस्थापित .	२८८५
जेल से सदस्य की रिहाई	२८८५
हैदराबाद राज्य में यशवन्तपुर के समीप रेल दुर्घटना के बारे में अनुपूरक विवरण	२८८५–२८८६
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक—पुरःस्थापित . .	२८८६–२८८७
समुद्र सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक, १९५४—पुरःस्थापित .	२८८७
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के सम्बन्ध में प्रस्ताव—संशोधित रूप में स्वीकृत .	२८८७–२९५०
मोटरगाड़ी उद्योग	२९५०–२९७५
राज्य सभा से सन्देश	२९७५–२९७६

लोक सभा

बुधवार, २२ सितम्बर, १९५४

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

---

१२ म०

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

बारहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री आल्तेकर (उत्तर भारत) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का बारहवां प्रतिवेदन उपस्थित करता हूं ।

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) विधेयक—जारी

अध्यक्ष महोदय : सभा अब २१ सितम्बर को श्री भोंसले द्वारा प्रस्तुत किये गये इस प्रस्ताव पर विचार करेगी

"विस्थापित व्यक्तियों को प्रतिकार तथा पुर्नावास, अनुदानों के भुगतान तथा तत्संबंधी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार किया जाय ।"

इस के पश्चात् संविधान (तृतीय संशोधन) विधेयक लिया जायेगा ।

कार्यक्रम प्रारम्भ करने से पूर्व समय की न्यूनता को ध्यान में रखते हुए मैं विधेयक की अंतिम दो स्थितियों के हेतु लिये जाने वाले समय का उल्लेख करूंगा इस समय हम सामान्य चर्चा कर रहे हैं हमें कब तक इसे जारी रखना चाहिये ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : मेरे विचार से सामान्य, चर्चा के लिये एक घंटा अधिक आवंटन किया जाये और ४५ मिनट खंडों के लिये दिये जायें, संशोधन अधिक नहीं हैं और जो हैं भी वह बहुत साधारण हैं तृतीय वाचन के लिये आधा घंटा दिया जा सकता है । कदाचित् एक दो सदस्य ही साधारण चर्चा में बोलना चाहेंगे । मुझे भी उत्तर देने के लिये आधे घंटे की आवश्यकता होगी ।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मेरे विचार से आप का सुझाव अधिक अच्छा है । यदि मैं अपने सहयोगी को यह सुझाव दूं कि प्रथम स्थिति में ही अधिक समय व्यय करने के कारण पीछे कठिनाई पड़ती है इसलिये प्रथम स्थितियों में समय बचा लेना अधिक अच्छा है ।

विधेयक

अध्यक्ष महोदय : मैं पूरी तरह से सभा के हाथों में हूं । मैं सोचता हूं कि हमें एक घंटा खंडों पर चर्चा के लिये तथा आधा घंटा तृतीय वाचन के लिये नियत करना चाहिये । अभी ४५ मिनट शेष हैं । कोई तीन या चार सदस्य भाषण देने वाले हैं इसलिये वे १५-१५ मिनट ले सकते हैं । माननीय मंत्री आधा घंटा बोलेंगे । पंडित ठाकुर दास भार्गव ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : जहां तक इस बिल का ताल्लुक है इस के क्लाज़ेज़ पर मुझे ज्यादा बहस करने की जरुरत नहीं है सिवा एक क्लाज़ के जिस के लिये कल शाम मैं ने अमेंडमेंट दिया है । मुझे उम्मीद है, जैसा कि अभी हमारे आनरेबल मिनिस्टर साहब ने फरमाया है कि क्लाज़ेज़ के ऊपर ज्यादा बहस नहीं होगी और इस की खास वजह है क्योंकि यह बिल इस किस्म का है जिस पर कि क्लाज़ेज़ पर बहस हो ही नहीं सकती है । यह बिल एक स्केलिटन बिल है और जहां तक इस के असूल का सावल है उस पर सिलेक्ट कमेटी में ऐसी यूनैनिमिटी थी कि जिस चीज़ को हम ने चाहा मिनिस्टर साहब मानते चले गये और इसलिये हमें इस में कोई लम्बी चौड़ी बहस नहीं करनी है ।

आनरेबल मिनिस्टर साहब ने खुली इज़ाजत दी कि जैसा चाहो कर लो । मैं अदब से अर्ज़ करूंगा कि ज्यादा झगड़ा तो तब पड़ेगा जब रुल्स बनेंगे । उस के वास्ते भी आनरेबल मिनिस्टर साहब ने हम को यक़ीन दिला रखा है कि वह हमारे एक्सीपीरियेंस से, हमारी मदद और सलाह से रुल्स बनायेंगे और यह बिल उन बिलों में से है जिस पर सारे मेम्बरों की पूरी यूनैनिमिटी होगी । इस वास्ते मैं अर्ज़ करूंगा कि यह एक खुश किस्मत बिल है कि जिस में मेम्बरों के दरमियान और, गवर्नमेंट के दरमियान पूरी तरह से और अच्छी तरह यूनैनिमिटी है ।

एक चीज़ जिस का ज़िक्र मेरे कल बजुर्ग श्री पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया उस के मुताल्लिक मुझे चन्द अलफ़ाज कहने हैं । उन्होंने हाउस में कल यह फरमाया कि यह जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस और पब्लिक बाडीज़ को कम्पेन्सेशन पूल में से निकाल दिया गया है, यह गलत हुआ है । अब वह जो कुछ इर्शाद फरमायें उस को मैं कंट्रैडिक्ट करने को तैयार नहीं हूं । मुमकिन है हम ने ग़ल्लती की हो लेकिन जिन वजूहात से हम ने ऐसा किया उनको में अर्ज़ करना चाहता हूं । एक तो बात यह थी कि हमारे पास कोई कम्पेरेबिल प्रापर्टीज़ नहीं थी वहां के इवैकुई प्रापर्टी की । कोई ऐसे पब्लिक इंस्टीट्यूट्स और पब्लिक ट्रस्ट नहीं थे जिन के रुपये से उस डिमांड को पूरा किया जा सकता । इस के अलावा आनरेबुल मिनिस्टर ने यह फ़रमाया कि ३५ लाख रुपया तक़रीबन गवर्नमेंट पब्लिक ट्रस्ट और पब्लिक इंस्टीट्यूट्स को दे चुकी है और गवर्नमेन्ट की अपनी स्कीम में यह दर्ज था कि गवर्नमेंट बाकियों को भी जितना गवर्नमेंट मुनासिब समझेगी मदद देगी और क़ाफी मदद देगी । इतना ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट की तो यह भी ख्वाहिश थी कि उन की और भी ज्यादा लिबरली मदद की जाय । ऐसी सूरत में हम ने यही मुनासिब समझा, गवर्नमेंट की मंशा नहीं थी । हम ने जो कमेटी के मेम्बर थे उस को मंजूर किया कि कम्पेन्सेशन पूल में से इस रक़म को बाहर निकाल दिया जाय । ताकि वह कम न हो, क्योंकि हम जानते थे कि गवर्नमेंट इन को ज़रुर मदद देगी । लेकिन में इस क्रिटिसिज्म

[श्री बर्मन पीठासीन हुए].

को जो हमारे बुर्ज़र्ग टंडन जी ने किया । अब यह जितने इंस्टीट्यूट्स हैं यह गवर्नमेंट की

खिदमत में कासा गदाई ले कर जायेंगे, गवर्नमेन्ट कोई मदद दे या न दे, इस को मैं महसूस करता हूं। इस सारे बिज़नेस में, इस कम्पेन्सेशन के सारे बिज़नेस में, मेरे हाथ में कासा गदाई है यह मैं नहीं मानता, लेकिन गवर्नमेंट से मैं कम्पेन्सेशन इस तरह से भी नहीं मांगता हूं कि जैसे कोई लड़ कर कुछ मांगता है। श्री विनोबा भावे ने, जिन्होंने इस देश के अन्दर एक बड़ा भारी यज्ञ चलाया है उन का मत है कि भूदान में जो लोग देते हैं वह दान के तौर पर नहीं देते हैं, वह अपनी सोशियल जस्टिस को जो डिमांड है उस को पूरा करते हैं। यह दान नहीं है, यह एक फ़र्ज़ की अदायगी है और वह कहते हैं कि आख़िर में हमारे हाथ में सैंप्टर आफ़ सोशियल जस्टिस है। यह जो कम्पेन्सेशन का पैसा हम मांगते हैं, तो कहते हैं कि यह कासा गदाई है लेकिन इस कासा गदाई के पीछे मैं बताना चाहता हूं कि वह सोशियल जस्टिस की फ़ोर्स है, महज़ एक बेगार नहीं है। इस के अन्दर बड़ी भारी वजूहात हैं जिन की वजह से अगर यह पब्लिक इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट से सहायता मांगेंगे तो गवर्नमेंट अगर उन की मदद करेगी तो यह उन के ऊपर कोई रियाअत नहीं करेगी। गवर्नमेंट का फ़र्ज है कि वह ऐसी संस्थाओं को मुआविज़ा दे, उनको ज़िन्दा रखे, मुआविज़े से ज्यादा दे क्योंकि एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन का हक़ मामूली आदमी के हक़ से ज्यादा होता है। अगर हम ने ग़लती की तो वह जो ग़लती हम ने की है तो उस के हिस्सेदार हमारे आनरेबुल मिनिस्टर भी हैं। वह खुद देख लेंगे कि अगर हम ने ग़ल्ती की तो वह उस ग़लती को मेक अप करेंगे और जितना उन का हक़ है उस से ज्यादा इमदाद देंगे। जनाब वाला, जहां तक कि इस सारे कम्पेन्सेशन बिल का सवाल है, मैं ने अर्ज़ किया है और मैं ने सिर्फ एक अमेंडमेंट दफ़ा १४ पर भेजा है। दफ़ा १४ पर मैं जनाब का ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं। इस अमेंडमेंट के मुताल्लिक भी जो कुछ मुझे अर्ज़ करना है अभी बहुत कुछ अर्ज़ कर दूंगा और उस वक्त अगर ज़रुरत हुई तो उस अमेंडमेन्ट को सिर्फ मूव कर दूंगा।

जिस वक्त सन् १९४७ में हिन्दुस्तान के अन्दर पन्द्रह अगस्त को बराबर के कमरे में गवर्नमेंट ने शासन की बागडोर पंडित नेहरु के हाथ में सौंपी, उस वक्त देश का जो हाल था वह किसी से छिपा नहीं है। अमृतसर में और लाहौर में और देश के दूसरे हिस्सों में उस यूनाइटेड पंजाब में जो कुश्त खून हुआ और जो हालत थी वह किसी से छिपी नहीं है। मैं आज उस की तरफ़ तवज्जह दिलाना नहीं चाहता हूं। मुझे मालूम है कि पार्टीशन के वक्त भी हमारे टंडन जी और महात्मा जी उस के हक़ में नहीं थे लेकिन वह वक्त ऐसा था कि आज मैं अपने दिल पर हाथ रख कर कह सकता हूं सन् ४६ में जैसे दिन देखे उस से हम सब पर यह असर था कि अगर इस तरह से पार्टीशन नहीं हुआ तो हिन्दुस्तान की गवर्नमेंट का चलना मुश्किल हो जायगा। इन दो बुज़र्गों के अलावा मैं और किसी बड़े बुज़र्ग को नहीं जानता जिन्होंने पार्टीशन का विरोध किया हो। आज मास्टर तारासिंह और दूसरे हिन्दू भाई भले ही गालियां दें और कहें कि कांग्रेस ने ग़लती की लेकिन मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि वह सब के सब सहमत थे, सब के सब राज़ी थे और उन सब की रज़ामंदी से यह पार्टीशन हुआ। मैं यह नहीं अर्ज़ करना चाहता कि जिस गवर्नमेंट ने पार्टीशन किया उस की किसी तरह से कम्पेन्सेशन देने की लीगली ज़िम्मेदारी है। जिस चीज़ के ऊपर और जिस मज़बूत फ़ाउंडेशन पर क्लेम रखता हूं वह बिल्कुल इस से डिफ़रेंट है। बेशक हम ने एक गलती की थी और जिस का मैं बहुत दफ़ा एतराफ़ कर चुका हूं। हम ने यह बेवकूफ़ी की कि 'हम अंग्रेजों

[पंडित दाकुर दास भार्गव]

के कहने में आ गये और यह शर्त मान ली कि तीस नवम्बर सन् ४७ तक पाकिस्तान और हिन्दुस्तान की फ़ौजें अचिनलेक के हाथ में रहेंगी और यही वजह थी जो दोनों जगहों पर इतना कुश्त खून हुआ । यह हमारी नातजुर्बेकारी थी कि हम ने उस शर्त्त को मान लिया अगर हम वह चीज़ न माने होते तो इतना खूनी पार्टीशन इस देश में नहीं होता । खैर, जो कुछ हुआ वह तो हो गया । मैं जिस चीज़ पर यह कम्पेन्सेशन का क्लेम बेस करता हूं वह बिल्कुल दूसरी चीज़ है । उस प्रीडीसैसर कैबिनेट ने जिस के बड़े रुक्न हमारे प्राइम मिनिस्टर और सरदार पटेल थे, उस वक्त एक ऐसे तदव्वुर और आला हौसलगी का सबूत दिया, ऐसा इंतज़ाम करने की क़ाबलियत का सबत दिया जिस की मिसाल नहीं मिल सकती । मैं उस स्कीम की तरफ़ आप की तवज्जह दिलाना चाहता हूं जो हमारे कबिनेट ने इवैकुएशन के वास्ते की । पचास लाख आदमियों को उधर से इधर लाया गया और उस के लिये देश की भारी रिसोर्सेज़ सारी रेलें, मोटर कारें, ऐरोप्लेन, लारी, गड्डे और जो कुछ भी हमारे पास रिसोसज़ थे सब के सब इस इवैकुएशन को कामयाब बनाने के लिये इस्तेमाल किये गये और इसी का नतीजा था कि इतने थोड़े अर्से में इतने लाखों आदमी जो करोड़ों के करीब पहुंचते —उधर से इधलर ले जाये गये और उन को हिफ़ाज़त से लाया गया और यह एक करिश्मा था । शायद हिस्ट्री के अन्दर बहुत थोड़े करिश्मे हुए होंगे । इसी सिलसिले में मैं आप की खिदमत में इस प्रॉबलम का जो एक मौरेल ऐसपेक्ट है उस को रखना चाहता हूं । एक वक्त में मैं रिहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री की तरफ़ से पंजाब के वास्ते ऐडवाइज़र था । मैं फ़ीरोज़पुर के एक कैम्प में गया और वहां जा कर मेरी एक बूढ़ी औरत से बातचीत हुई । उस औरत ने जिस तरीके से कि इवैकुएशन को समझा और जिस तरह गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी को समझा, मैं वह आप की खिदमत में रखना चाहता हूं । वह औरत कहने लगी कि हमें कांग्रेस गवर्नमेंट और पंडित नहरू ने जीवन दान दिया है और अगर उन्होंने हमें न बचाया होता तो हम वहीं मर जाते, उसी देश के अन्दर दफ़न हो जाते, हमारी कब्र बन जाती या कोई हम को जला देता । अब हम को इस देश में ला कर और जीवन दान दे कर क्या किया चाहते हैं? क्या पंडित नेहरु और कांग्रेस गवर्नमेंट यह चाहती है कि वहां मरने के बजाय हम यहां मरें, इंच वाई इंच हम यहां मरें । आप जो हमारी ज़िन्दा लाश को वहां से निकाल लाये तो आप उस लाश को इंसान की तरह रखना चाहते हैं या आप हम को मार देना चाहते हैं । मेरा सीधा सवाल है उस कैबिनेट से और उस के मेम्बर्स से कि आप इवैकुएशन कर के पचास लाख आदमी इस देश के अन्दर ले आये, बे सरो सामान । मैं ने वह ज़माना देखा है और खुश किस्मत अपने को समझता हूं कि मैं ने हिन्दुस्तान को आज़ादी मिलने का जशन देखा और बदकिस्मत इस मानी में कि जुलाई और अगस्त में पंजाब में लाहौर के अन्दर और साथ ही दिल्ली के अन्दर जो कुछ मेरी नज़रों से गुज़रा, भगवान न करे किसी आदमी को वह सब देखना पड़े । मैं ने वह वक्त देखा है जब यहां पर हमारे रिफ्यूजीज़ भाई आये, जिन स्टेशनों से वह पास होते थे वहां के लोग उन को हर तरह की सहूलियत पहुंचाते थे और उन को हलवा पूरी आदि देते थे । यह समझ कर कि मुसीबतज़दा हमारे भाई पाकिस्तान से आये हैं, मेहमानों की तरह उन की खातिर करते थे । आज मैं अदब से सिर्फ़ इतना पूछना

चाहता हूं कि हम उन भाइयों के साथ इंसाफ़ करने को तैयार हैं कि नहीं, जिन को हम इस हालत में लाये और जो कि अगर न लाये जाते तो वहां मर जाते, जैसे शेखूपुरा में एक अहाते में १२ हज़ार आदमियों को भून दिया गया, वे भी अगर वहां से न लाये जाते तो कत्ल हो जाते और आप का सिर दर्द भी खत्म हो जाता; लेकिन अब चूंकि आप उन को यहां पर निकाल लाये हैं, तो अब आप उन के बारे में क्या करने जा रहे हैं ? मैं इन सफ़ेद पोशों का जिक्र नहीं करना चाहता जिन को आप सात, सात हज़ार रुपये कम्पेन्सेशन के देंगे मैं तो उन एक लाख आदमियों का जिक्र करना चाहता हूं जिन के बारे में श्री निकुंज बिहारी ने कहा था कि उन्होंने कोई क्लेम ही नहीं दिया है । ऐसे आदमी जिन्होंने एक पैसे का भी क्लेम नहीं दाखिल किया है और जिन की नागुफ़्ताबेह हालत है उन के लिये आप क्या करने जा रहे हैं ? पलवल, फ़रीदाबाद, और गुड़गांव में कितने ही ऐसे ग़रीब शरणार्थी पड़े हैं जो नहीं जानते कि रिहैबिलिटेशन क्या होता है, जिन को दोनों वक्त पेट भर खाना नहीं मिलता, जिन को मज़दूरी नहीं मिलती और जो बेकार बिना काम के हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोई मुआविज़ा पाने के लिये क्लेम भी नहीं दिया है और बहुतों ने जिन्होंने क्लेम दिय हैं उन की बाबत मैं आप को आगे बताऊंगा आप को मालूम है कि वहां पर कितने ही सरकार द्वारा मड हट्स बनायी गई हैं जिन पर गवर्नमेंट का करीब ९० हज़ार या जयादा रुपये खर्च आया लेकिन गवर्नमेंट जब उन लोगों से पार्ट आफ़ दी प्राइस एडवांस में केवल आठ रुपये मांगती है, तो कितने ही वहां पर लोग ऐसे हैं, जो कि आठ रुपये भी एक मकान को हासिल करने के वास्ते नहीं दे सकते हैं ।

विधेयक

मैं ने श्री अजीत प्रसाद जैन साहब की खिदमत में भी जा कर उन गरीब आदमियों का जिक्र किया कि उन की ऐसी हालत है कि वह आठ आठ रुपये भी नहीं दे सकते हैं और उन में से हजारों लाखों शरणार्थी इस वक्त ऐसे मौजूद हैं जिन को न रिहैबिलिटेशन बेनिफिट मिला और जिन की हालत नागुफ़्ता बेह है । मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि अगर आप उन को जिन्दा रखना चाहते हैं तो इस रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट को तब तक खत्म न कीजिये जब तक आप इस तरफ़ अच्छी तरह से न देख लें और रिहैबिलिटेट न कर लें । मैं इतना ही अर्ज़ करूंगा कि आप इस को मुलाहिजा फरमायें कि आप क्या दे रहें है और क्या उन लोगों को जरुरत है ।

आप कहते हैं कि ८५ करोड़ रुपया हम ने रिहैबिलिटेशन के ऊपर खर्च किया । मैं आप को इस का क्रेडिट देन को तैयार हूं कि जहां तक भाखड़ा डैम का ताल्लुक है, जहां तक फाइव इअर प्लान का ताल्लुक है, उन के अन्दर आप शरणार्थियों को बहुत सी इनविज़िबल हेल्प दे रहे हैं, मैं इस के लिये आप का बहुत मश्कूर हूं, लेकिन यह जो ८५ करोड़ की बात की जाती है, यह ठीक है कि उस से बहुत से शरणार्थियों को मदद मिली है, लेकिन जो यह ८५ करोड़ रुपया है उस की फेस वैल्यू कुछ है और उस की रिअल वैल्यू कुछ है ।

इसी तरह से आप फरमाते हैं कि आप मकानात देंगे जायदाद देंगे । लेकिन अगर आप उस जायदाद को नीलाम कर दें जो कि मुसलमानों की है, तो शायद वह किसी कदर १०० करोड़ से बढ़ जाए, लेकिन मैं आप की पालिसी जानता हूं और यह भी जानता हूं कि इस से ज्यादा कोई जुल्म नहीं होगा कि जो लोग मकानों में बैठे हैं उन को आप बेदखल कर दें और नय सिरे से उन को फ़िर रिफ्यजी बना दें । बहरसूरत यह

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

१०० करोड़ अगर हो भी जाय, तो भी, मुमकिन है कि जो बहुत गरीब शरणार्थी हैं उन की कुछ सुनवाई हो और उन को आइन्दा कुछ दे दिया जाय । मुझे पता नहीं कि इस कम्पेन्सेशन पूल की कितनी कीमत हो जायेगी ।

मैं जनाब चेअरमैन साहब की खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूं कि मैं ने जो नं० १४ का अमेन्डमेन्ट दिया हुआ है उस के बारे में आप से मुझे बहुत कुछ अर्ज़ करना है । वह काफी लम्बा चौड़ा और काफी अहमियत का है, लेकिन उस के ऊपर मैं दुबारा अर्ज़ नहीं करुंगा । जो वक्त मुझ को आप उस वक्त देते वह इसी वक्त इनायत कर दें तो बेहतर है ।

तो मैं यह अर्ज़ कर रहा था कि यह जो १०० करोड़ रुपया है उस की तरफ़ गौर किया जाय । मैं नहीं चाहता कि एक भी मुसलमान को तकलीफ़ हो, जिस का मालिक मौजूद हो, उस की प्रापर्ट्री को इवैक्वी प्रापर्टी न करार दिया जाय, लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि आप यह किस हिसाब से कह रहे हैं कि १८५ करोड़ रुपया दिया गया है । इस का क्या कोई मेआर भी है ? यह १०० करोड़ रुपया कोई शरणार्थियों की जायदाद नहीं है, अगर यह ऐबन्डन्ड प्रापर्ट्री की कीमत है तो गवर्नमेन्ट का यह कहना कि गवर्नमेन्ट ने १८५ करोड़ रुपया खर्च किया है यह जायज चीज़ नहीं है । या तो आप कम्पेन्सेशन न देते और कहते कि हम कम्पेन्सेशन देने की हलात में नहीं हैं, लेकिन अगर कम्पेन्सेशन देते हैं, तो कम्पेन्सेशन के मानें है कि फुल चीज़ । फुल कम्पेन्सेशन इस का मतलब है ट्रंकेटेड कम्पेन्सेशन नहीं । मैं जानता हूं कि गवर्नमेन्ट ने जो कुछ किया, मुहब्बत और जांफिशानी से किया । जो भी शरणार्थी पूरा हिन्दूस्तान का पिक्चर देखता है वह नहीं कहता कि उस को १०० पर सेन्ट कम्पेन्सेशन दे दिया जाये । सिलेक्ट कमेटी के अन्दर जो मौजूद स्कीम थी उस को छोड़ कर हमारे बुजुर्ग ने गुजारिश की कि लेवी को ऐडवोकेट किया जाये । लेकिन जो कुछ मेरे अमेन्डमेन्ट में शामिल है आप कम से कम उसे कर सकते हैं । अगर आप कम्पेन्सेशन का नाम देते हैं तो कम्पेन्सेशन रखिये, लेकिन अगर आप किसी को ८ आ० से कम कम्पेन्सेशन देते हैं तो वह कम्पेन्सेशन नहीं है । मुझे खुशी है कि हमारे ५१ मेम्बरों ने जिस में कि हमारे श्री ए० पी० जैन भी और श्री जे० के० भोंसले भी शामिल हैं, सब नें मुत्तफिका रिपोर्ट पेश की और उस में गवर्नमेन्ट से प्रस्ताव किया कि वह इतना मुआवजा दे दे । मैं इस की तरफ फिर लौटूंगा ।

मैं दो बातें जनाब की खिदमत में अर्ज़ कर दूं । वह यह कि जिस वक्त यह इवैक्वी प्रापर्ट्री का कानून बना था और कम्पेन्सेशन का सवाल उठा था उस वक्त हमें मालूम हुआ कि दोनों गवर्नमेन्टों, यानी पाकिस्तान और हिन्दुस्तान, के सैक्रेट्रीज़ मिले और फैसला किया कि दोनों मुल्कों की जमीनों की कीमतों में जो फर्क हो वह पाकिस्तान हिन्दुस्तान को अदा कर दे । जब मि० जिन्ना के पास यह मामला गया तो वह कहने लगे कि आप तो सारे पाकिस्तान को मार्टगेज करना चाहते हैं, चुनांचे वह खत्म हो गया । पाकिस्तान ने उस वायदे को आज तक पूरा नहीं किया । लेकिन मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं हिन्दुस्तान की गवर्नमेन्ट को । यह हमारा ही कैरेक्टर था कि महात्मा गांधी के कहने पर कि गुड़गांव स्टेशन पर जो एक लाख मेव दूसरे मुल्क को जा रहे थे, उन को रोक लो, हमारी गवर्नमेन्ट ने उन को रोका और मेहरबानी कर के उन की जमीन और मकान वापस किये । जिन को अभी तक

नहीं वापस किया गया उन के लिये मैं फिर कहता हूं कि वापस किया जाय । नेहरू लियाकत पैक्ट में यह था कि जो आदमी चले गये थे उन को वापस ला कर उन की जायदाद को उन को वापस किया जाय । श्री जवाहरलाल नेहरू के हुक्म से हर एक उस आदमी को जो ईस्टर्न पाकिस्तान से वापस आया २०० रु० दिये गये, लेकिन जो यहां के शरणार्थी थे उन को पाकिस्तान ने एक पैसा भी नहीं दिया । मैं नहीं कहता कि इस इवैक्वी प्रापर्ट्री ला की रू से किसी मुसलमान की प्रापर्ट्री को ले कर शरणार्थी को दे दी जाये, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आप ने किस क्राइटेरियन से १८५ करोड़ रुपये की रकम मकर्रर कर दी और कह दिया कि हम इतनी रकम आगे देना चाहते हैं । मैं इस के ऊपर अपना क्लेम नहीं रखता कि ६६ पर सेन्ट आपने रुरल आदमियों को दे दिया, मैं तो कहूंगा कि आप ने रूरल आदमियों को जितना दिया सब ठीक है । वह शहरियों के मुकाबिले में कमजोर हैं । उन को जितना ज्यादा से ज्यादा आप दे सकते हैं जरुर दें । लेकिन मैं आप से पूछता हूं कि क्या आप की दलील है ? आप कहते हैं कि हम बड़े आदमियों को गरीब जेब से ले कर नहीं दे सकते । कौन कहता है कि दीजिये । दीवान कृष्ण किशोर जिस को दस हजार रुपये महीने किराये की आमदनी थी आज आप की खिदमत में यह कहने नहीं गया कि मेरा पैसा दे दो, मेरी जायदाद दे दो । लाला राम दास की जो हैसियत थी उस को सब जानते हैं, वह तो मांगने नहीं गया । न मैं उस के लिये अर्ज कर रहा हूं और न वह अपने लिये अर्ज करते हैं । आप ने जो सीलिंग रखी है कि जिन की एक करोड़ रुपये की सम्पत्ति थी उन को आप पचास हजार रुपये की जायदा दे रहे हैं, आप उस को बढ़ाइये या न बढ़ाइये मेरे से पूछ तो कम से कम एक लाख तो कर दें । लेकिन जिस की तीन हजार से कम की प्रापर्ट्री थी उस को कैसे सब्र आ सकता है अगर उस को भी आप बराबर की प्रापर्ट्री का मुआवजा न दें । जिस की दस हजार रुपये महीने की आमदनी थी, उस को आप अगर एक लाख रुपये की जायदाद भी दें तो न के बराबर है लेकिन सच तो यह है वे बेचारे तो चुपचाप पड़े हैं और कभी आप का दरवाजा नहीं खटखटाते । मैं जानता हूं कि बहुत लोगों ने तो अपने क्लेम तक नहीं दिये क्योंकि वह गलतफहमी में थे । मैं कहता हूं कि जिस को आप ३,००० रुपये मुआवजा दे रहे हैं, उस को आप १६ आ० दीजिये, जिस को ३,००० से १०,००० तक दे रहे हैं उस को १४ आने दीजिये और जो इस के ऊपर के क्लेम हैं उन के ऊपर आप ८ आ० या ४ आ० दें ।

मैं जनाब की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि अब वक्त आ गया है जब कि हमारे शरणार्थी भाइयों का मामला आखिरी मरहले पर है । उन की तकलीफ को देख कर कोई शख्स ऐसा नहीं है जिस का दिल नहीं पसीजता । जो वहां से जिन्दा लाशें बे सरो सामान आई हैं, आप का फर्ज है कि आप उन को जिन्दा ही न रखें, बल्कि इस काबिल भी बनायें कि वह अपनी रोटी कमा सकें । अगर किसी खान्दान के अन्दर —जैसा हमारा हिन्दुस्तान एक खान्दान है— एक लाचार आदमी है, जख्मी आदमी है, बीमार है, तो उस को आप को दवा देनी ही होगी, उस को दूध पिलाना ही होगा, उस के जख्मों पर मरहम रखना ही होगा । मैं जानता हूं कि गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया है, इन सालों में उस ने जो कुछ शरणार्थियों के लिये किया है वह मुझ से छिपा हुआ नहीं है । इस बारे में मैं हमेशा गवर्नमेंट की तारीफ करता रहा हूं कि उस ने जो कुछ किया, तकलीफ उठा कर भी शरणार्थियों

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

की मदद की, वह बहुत काफी था। लेकिन ताहम मैं इस चीज को छिपा नहीं सकता कि अगर आप चाहते हैं कि इन शरणार्थी भाइयों को और दूसरों को साइकालोजिकल सैटिस्फैक्शन हो, आप उस को अपनी तरफ से मदद कीजिये। हम कुछ और ज्यादा नहीं मांगते हैं, यही हमारी छोटी सी मांग है कि आप शरणार्थियों को साइकोलोजिकल सैटिस्फैक्शन दीजिये और कम अज़ कम ५० प्रतिशत उन के मुआवज़े की वेरीफाइड रकम उन पर खर्च कीजिये या मुआवजा दीजिये। आखिर में मैं यह अर्ज़ कर रहा था कि मैं किस के खिलाफ शिकायत करूं। जितने भी अमेंडमेंट हैं वे आनरेबुल मिनिस्टर के खिलाफ नहीं हैं। यह जो अमेंडमेंट दिये गये हैं क्या यह जैन साहब के खिलाफ हैं या भोंसले साहब के खिलाफ हैं? यह दोनों तो ५१ आदमियों के साथ कासाये गदाई लिये सब से आगे थे। मैं जानता हूं कि अगर उनकी चले तो हम को बहुत ज्यादा मदद मिले। सिलेक्ट कमेटी वालों की तो यह राय है ही कि और ज्यादा मिलना चाहिये, जो सिलेक्ट कमेटी में नहीं थे वह भी यही कहते हैं कि इस को बढ़ा दिया जाय। मैं जानता हूं कि यह इस हाउस की और सारे देश की मुत्तफिका राय है कि यह रकम बढ़ाई जाय। मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस मामले में हमारे आनरेबुल मिनिस्टर साहिबान की भी यही राय है और मैं आनरेबुल मिनिस्टरान के ज़रिये कैबिनैट से गुजारिश करना चाहता हूं कि वह इस मामले पर गौर करे। जहां तक पंडित नेहरू का ताल्लुक है उन्होंने तो शरणार्थियों की सब से ज्यादा मदद की है? एक बार उन के यह ब्रेन वेव आयी कि शरणार्थियों को उस वक्त तक न हटाया जाय जब तक कि उन को आल्टरनेटिव एकोमोडेशन न दे दी जाय.....

सभापति महोदय: उन का समय समाप्त हो गया है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: मुझे अफसोस है कि आज ऐसे मौके पर जब कि मैं चाहता था कि कैबिनेट के सामने अपना दिल निकाल कर रख दूं तो मेरे पास वक्त नहीं है और इसलिये मैं इस से ज्यादा कुछ अर्ज़ नहीं करना चाहता कि यह इस वक्त सिर्फ किसी एक पार्टी की मांग नहीं है, यह सारे हाउस की मांग है कि कम्पेन्सेशन की रक़म को बढ़ाया जाय। सिलेक्ट कमेटी की, जिस में कि गवर्नमेंट के मिनिस्टर शामिल हैं, यही यूनानिमस रिपोर्ट है, जैसी कि कभी नहीं होती है। मैं जानता हूं कि इस मामले में हमारे बहुत कैबिनेट के मिनिस्टर साहिबान क्या चाहते हैं। इसलिये मैं दस्तबस्ता कैबिनेट के पास एक मारुज़ा भेजना चाहता हूं और वह यह कि वह इस मौके को हाथ से न गंवाये और वह इस वक्त इन शरणार्थियों को मौका दें कि वे साइकोलोजिकल सैटिस्फैक्शन हासिल करें कि उन की अर्ज़ आखिरी मरहले पर आ कर कबूल हो गयी। और ५० प्रतिशत वेरीफाइड़ कलेम्स का उन को मिले या उन पर खर्च हो।

श्री ए० पी० जैन: सभापति जी, कल प्रोफेसर शर्मा ने अपने व्याख्यान के दौरान में दो बारा बसाने के मसले को एक ड्रामा या खेल कहा। एक हद तक उन का यह कहना ठीक है। दुनिया एक खेल है, दुनिया एक ड्रामा है। लेकिन दुनिया के ड्रामा में जो ऐक्टर होते हैं वे असली ऐक्टर होते हैं, बनावटी ऐक्टर नहीं होते हैं। और यह दोबारा बसाने का जो खेल खेला गया इस में हमारे शरणार्थी भाइयों ने अच्छा खेल खेला और मैं हिम्मत के साथ यह भी कह सकता हूं कि गवर्नमेंट ने भी अच्छा खेल खेला।

प्रो० शर्मा ने साथ ही साथ यह भी कहा कि यह खेल एक ट्रेजेडी है। इस सम्बन्ध में मैं उन से इत्तिफाक नहीं करता क्योंकि आम तौर से देखा जाता है कि ट्रेजेड़ी इस तरह से शुरू होती है कि एक दो आदमी अच्छी तरह से जिन्दगी बसर करते हैं। ज्यों ज्यों वह आगे को बढ़ते हैं उन के सामने कुछ कठिनाइयां पड़ती हैं और आखिर म उन को इन्तिहाई तकलीफ उठानी पड़ती है। यह खेल बिल्कुल उस का उल्टा है। पुरुषार्थी भाई यहां आये थे मुसीबत में। किसी के घर वाले वहां पर रह गये थे, सब लोग अपनी जायदादें वहां पर छोड़ कर आये थे। यहां उन के लिये न घर था न द्वार था, कैम्पों में वे रह रहे थे। आज सात बरस बाद हम देख रहे है कि हर एक आदमी के वास्ते एक छत है। हो सकता है कि उस किस्म की छत न हो जैसा कि उन के पास पाकिस्तान में थी। कुछ के पास उस से अच्छी छतें भी हैं, कुछ के पास उतनी अच्छी नहीं हैं, लेकिन आज छत हर एक के लिये है। कुछ कारोबार कर रहे हैं, कुछ के लिये रुपये का भी प्रबन्ध हुआ है। कुछ को कारीगरी की ट्रेनिंग दी गयी और मैं समझता हूं कि आज हम उस मंज़िल पर हैं जब कि इस ड्रामा का आखिरी ऐक्ट खेला जा रहा है और कुछ समय बाद हम इस को खुशी के साथ खत्म करेंगे। जो तकलीफ में आये थे उन की तकलीफ दूर होगी और वे हिन्दुस्तान के उसी तरह से बाशिन्दे होंगे जैसे कि और लोग यहां पर बसे हैं। यह चन्द लफ्ज मैं ने कहे हैं तमहीद के तौर पर। लेकिन पेश्तर इस के कि जो कल बहस हुई उस के खास मजमून पर आऊं मैं आप की तवज्जह चन्द उन शब्दों की तरफ़ दिलाना चाहता हूं जो कल श्रद्धेय बाबू पुरुषोत्तम दास टंडन ने इस्तेमाल किये। मेरे पास उन की स्पीच की रिपोर्ट है। मैं उस में से पढ़ कर आप को सुनाता हूं।

विधेयक

"सरकार की ओर से इतना छोटा और ओछा बनियापन मुझे अच्छा नहीं लगता। हमारे मंत्री जी हैं तो बनियां, हिसाब किताब में चतुर हैं, परन्तु हिसाब किताब की चतुराई सदा इसी में नहीं होती कि काट कपट किया जाय। हिसाब कम बनाना ही हिसाब किताब की चतुराई नहीं है।"

श्री टंडन (जिला इलाहाबाद—पश्चिम) : हिसाब कम बनाना ?

श्री ए० पी० जैन : यह आप ने खुद कहा था।

श्री टंडन : कम बनाने के मानी कोई फोर्जरी करने से नहीं है किन्तु मुनासिब से कमदेना है।

श्री ए० पी० जैन : मैं श्रद्धेय टंडन जी का आदर करता हूं। मैं इन शब्दों का कुछ उत्तर नहीं देना चाहता। लेकिन मैं इतना ज़रूर अर्ज़ करना चाहता हूं कि इन शब्दों को इस्तेमाल कर के उन्होंने अपना और इस हाउस का बड़प्पन कुछ ऊंचा नहीं किया।

श्री टंडन : मैं मंत्री जी से इतना निवेदन कर दूं कि इन हास्यरस के वाक्यों को वे अन्यथा न समझें। वे स्वयं भी हास्य रस को पहचानने वाले हैं। वह इतना समझ सकते हैं कि इन हास्य रस के वाक्यों द्वारा कोई वयक्तिक आक्षेप तो असम्भव था। मेरे मुंह से अपने मित्र के बारे में आक्षेप का तो प्रश्न ही नहीं उठ सकता था : यह तो गवर्नमेंट की नीति की बात थी जो मेरे मन में थी। और जो मंत्री जी की इस में चर्चा आ गई वह तो केवल हास्य रस में था। चूंकि वे वैश वृत्ति के हैं इस लिये एक बात मेरे मन में आ गयी और मैं ने कह दी।

श्री ए० पी० जैन : अगर "छोटा और ओछा बनियापन" और "काट कपट करना" हास्य रस के शब्द हैं तो ठीक हैं।

श्री टंडन : ये शब्द हास्य रस के नहीं है। ये सरकार की नीति के बारे में कहे गये थे। परन्तु मंत्री जी की वैयक्तिक बात हास्य रस में कही गयी थी।

श्री ए० पी० जैन : मैं इस सम्बन्ध में कुछ जवाब नहीं देना चाहता, न बदला लेना चाहता हूं और न कुछ आगे अर्ज करना चाहता हूं। मैं इस बात को यहीं समाप्त करता हूं।

कल आनरेबुल श्री एन० बी० चौधरी ने इस विधेयक के सम्बन्ध में यह शिकायत की कि इस में एक बड़ा और जनरल खाका दिया हुआ है। इस में वह तफसील नहीं है जिस से मालूम हो कि क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। उन की जो यह नुक्ताचीनी है उस को मैं तसलीम करता हूं। लेकिन यह जितनी जटिल समस्या है, जितनी इस के अन्दर कठिनाइयां हैं, जितनी इस के अन्दर पेचीदगियां हैं उन को सामने रखते हुए यह लाजिमी था कि बिल इस किस्म का हो कि जिस में मोटे मोटे उसूल रखे जायें और उस की जो बारीक बातें हैं या जो उस की पूरी शक्ल देनी है वह रुल्स के जरिये से दी जाय। हमें तो इस वक्त यह भी एक सुभीता हासिल है कि एक अंतरिम कम्पेन्सेशन स्कीम हम ने जारी की थी जिस में कि इस स्कीम की रूप-रेखा दी हुई है। और जो आइन्दा होने वाला है वह कमी बेश उन्हीं उसूलों के ऊपर होगी कि जो उस इंटेरिम स्कीम के अन्दर दिये हुए हैं। सभा को यह भी पता है कि इस बिल के अन्दर एक दफ़ा है जिस के मातहत क़ायदे बनाये जायेंगे, वह क़ायदे हाउस के सामने रखे जायेंगे और हाउस को इस बात का अधिकार होगा कि उन के अन्दर परिवर्त्तन कर सके। मैं समझता हूं कि इस मसले की नज़ाकत और पेचीदगी को ध्यान में रखते हुए कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता था। जिस वक्त कि सिलेक्ट कमेटी के अन्दर, यह मसला आया तो हम ने खाली इस के अन्दर जो क्लाज़ेज थे, दफात थीं, उन के अन्दर अपने आप को महदूद नहीं रखा बल्कि जनरल उसूलों के ऊपर भी बहस की गयी और बहुत सी बातें कही गयीं। एक शिकायत हमारे मित्र प्रोफेसर शर्मा ने की कि देरी हुई। रिहैबिलिटेशन का जितना काम हुआ उस में जगह जगह पर देरी हुई है। मैं इस सम्बन्ध में इतना ही अर्ज़ करना चाहता हूं कि कल जब आप के सामन बहस हुई तो यह कहा गया कि लोगों को इस बात का हक़ फिर दुबारा दिया जाय कि वह अपने क्लेम दाखिल कर सकें। क्लेम जुलाई १९५० में मंगायें गये थे, आज उस को चार वर्ष से ज्यादा हो गये। जब आप चाहते हैं कि क्लेम दाखिल करने के लिये लोगों को चार वर्ष से ज्यादा दिये जायेंगे तो इस बात की शिकायत करना कि क्लेम के अदा करने में, उन की जांच पड़ताल करने में, हर एक को पैसा देने में तीन साल का वक्त ज्यादा है, यह मेरी समझ में नहीं आता है। मैं चाहता हूं कि इस चीज़ को इंसाफ की निगाह से देखा जाय कि क्यों देरी होती है, क्या कारण है, मिनिस्ट्री की कितनी खता है, मेरे अफ़सरान की खता है या और भी वजह है जिस की वजह से देरी होती है। मेरा यह बराबर तजुर्बा रहा है कि पुरुषार्थी भाइयों के जो नेता हैं, जो उन का नेतृत्व करते हैं वह किसी चीज़ को वक्त पर होने नहीं देना चाहते हैं। हर एक चीज़ को बढ़ाना, किसी चीज़ की मियाद न मुक़र्रर करना, अपनी किसी तरह की जिम्मेदारी न समझना और जो कुछ

जिम्मेदारी है वह सरकार की है मैं समझता हूँ कि यह गलत तरीका है इन चीज़ों को देखने का। कुछ उसूली चीज़ें हैं कि जो कही गयीं। मैं इस विधान के अन्दर जो दफ़ात हैं उन के बारे में चर्चा नहीं करूंगा। मेरे सरकारी डिप्टी मिनिस्टर ने अपनी प्रारम्भिक स्पीच में उन की काफ़ी चर्चा कर दी है, लेकिन कुछ उसूली चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं कुछ सफाई करना चाहता हूं, मैं समझता हूं कि उस के बाद बहुत सारे जो अमेंडमेंट्स, बहुत सारी दिक्कतें शायद दूर हो जायेंगी। पहला सवाल यह है कि कोई नये क्लेम लिये जायें या न लिये जायें। इस सभा को इसका पूरा इतिहास मालूम है। पिछली बार जब वेरीफ़िकेशन आफ़ क्लेम्ज़ एन्ड (सप्लीमेन्टरी) एक्ट पर बहस हो रही थी तो यह मसला पेश किया गया था कि क्लेम्स् को दुबारा नये सिरे से मंगाया जाय। उस वक्त इस सभा ने उस को मंजूर नहीं किया था और आज भी मेरी यही राय है कि हम आम तौर से इस बात की इज़ाजत नहीं दे सकते कि क्लेम्स् को दुबारा दाखिल करने का लोगों को हक़ दिया जावे। लेकिन कुछ सवालात पेश हुए सिलेक्ट कमेटी के सामने और सिलेक्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इस बात की सिफारिश की है कि इस किस्म के जैनविन यानी असलियत रखने वाले क्लेम्स् को जो वक्त पर न दाखिल किये जा सकें हों उन की तरफ़ गौर किया जाये और दूसरे उन लोगों के क्लेम्स् के बारे में जो क्लेम्स् दाखिल करने की आखिरी तारीख के बाद आये हैं, उन पर ध्यान दिया जाये। मैं इस बात को मंजूर करता हूं कि जो आखिरी तारीख के जिस वक्त तक कि लोगों को क्लेम दाखिल करने का हक़ था, उस तारीख के बाद यहां आये हैं उन के क्लेम्स् को उसी तरह से जांच पड़ताल कर के क़ायम किया जाये कि जैसे हम ने दूसरे क्लेम्स् के बारे में किया है। वह लोग कि जिन्होंने किसी गल्ती की वजह से क्लेम्स् नहीं दाखिल किये उन को भी मैं मंजूर करने के लिये तैयार हूं लेकिन यह बात साफ़ करना चाहता हूं कि यह जो कहा जाता है कि बड़ी तादाद में क्लेम्स् दाखिल नहीं किये गये, यह मैं मानने को तैयार नहीं हूं। पश्चिमी पाकिस्तान से पिछली जनगणना के अनुसार कुल ४७ लाख आदमी आये हैं जिन के दस लाख से कम कुनबे बैठते हैं। क़रीब क़रीब साढ़े पांच लाख या पौने छै लाख आदमियों ने देहाती जमीनों के क्लेम्स् दाखिल किये हैं, शहरी देहातियों में तीन लाख अस्सी हज़ार के क्लेम्स् दाखिल किये, अगर इन दोनों को जोड़ा जाय तो क्लेम्स् की संख्या नौ लाख से ऊपर बैठती है, मुमकिन हो सकता है कि कुछ ऐसे आदमी हों जिन के जमीन के भी क्लेम्स् हों और शहरी जायदाद के भी। इस से मालूम होता है कि हर दस आदमियों में से आठ और नौ आदमियों ने अपने क्लेम्स् दाखिल किये हैं। मैं भी हिन्दुस्तान का बाशिन्दा हूं, मैं ने कुछ वकालत भी की है और भूखा नंगा भी नहीं हूं, मैं आप के सामने यह ऐलान करना चाहता हूं कि न मेरे पास कोई मकान है और न ही मेरे पास कोई अपनी जमीन है और मैं समझता हूं इस सभा में बहुत सारे ऐसे मेम्बर होंगे जिन के पास न अपना कोई मकान होगा और न ही जमीन होगी। हिन्दुस्तान में हर एक आदमी के पास अपनी जमीन और अपना मकान नहीं है। मुझे हैरत इस बात पर होती है कि दस में से आठ और नौ लोगों ने अपनी जमीनों के या मकानों के क्लेम दाखिल किये हैं। मेरा ख्याल है कि अगर बाकी हिन्दुस्तान का औसत निकाला जायगा तो इतना ऊंचा औसत कभी नहीं बैठेगा, इतने फी सदी लोगों के पास जमीन और मकान नहीं निकलेंगे। उस को जाने दीजिये लेकिन मैं यह मानने के लिये तैयार

[श्री ए० पी० जैन]

नहीं हूं कि बहुत से लोगों ने अपनी जायदादों के क्लेम्स् दाखिल नहीं किये हैं। हां, यह हो सकता है कि कोई आदमी ऐसे रह गये हों जिन्होंने किसी गलती या किसी और वजह से अब तक अपने क्लेम दाखिल न किया हों। जिन को क्लेम दाखिल करने का हक़ था और जो दाखिल नहीं कर सके दो शर्तों के मातहत हम उन के क्लेम्स् लेने को तैयार हैं। अव्वल तो यह कि माकूल वजह दें इस बात की उन्होंने अब तक क्लेम क्यों नहीं दाखिल किया। दूसरे यह कि उन के पास लिखा हुआ कोई टाइटिल डीड, मिल्कियत का कागज होना चाहिये जिस से यह मालूम हो सके कि असल में वह पीछे कोई जायदाद छोड़ कर आये हैं। जो इन शर्तों को पूरा करेंगे हम उन के केसेज़ को लेने को तैयार होंगे। ऐसे क्लेम कानून की डेफीनीशन के अन्दर तो नहीं आयेंगे, लेकिन सरकार को बिना क्लेम वालों को ग्रान्ट देने का हक है, मैं उन्हें उसी स्केल पर ग्रान्ट्र दूंगा जैसे कि और दूसरे क्लेमेंट्स को कम्पेन्सेशन या रिहैबिलिटेशन ग्रांट दी जायगी। मैं समझता हूं कि इस के बाद कोई गुंजायश शिकायत की नहीं रहती है। हमारी सिलेक्ट कमेटी ने इस बात को महसूस किया है कि अगर ऐसा कर दिया जाय तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी।

एक सवाल मकानों के बेचने के बाबत उठाया गया, उन को मुनासिब क़ीमत पर अलाट करने का, मैं जानता हूं कि यह बहुत अहम मसला है। सभा में कोई ऐसा सदस्य नहीं होगा जो मुझ से ज्यादा इस मसले की अहमियत को महसूस करता होगा। मंत्री की हैसियत से मैं ने इस बात की जिम्मेदारी ली है कि लोगों को बसाऊं, कोई आदमी अगर मकान के अन्दर बैठा हुआ है और मैं उस को वहां से उखाड़ कर फेंक देता हूं किसी दूसरी जगह पर तो खाली में उसे मकान से महरूम ही नहीं करता बल्कि मैं उस को रोजगार से भी महरूम करता हूं, आस पास दुकान आदि से जो कुछ कर लेता है, इस लिये मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि मैं खाली उस को छत ही न दूं बल्कि मैं उस को रोजगार की सुविधा भी दूं। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि अपनी जिम्मेदारी को बढ़ाऊं। चुनांचे मैं इस बात की अहमियत को पूरे तौर से महसूस करता हूं कि जो आदमी जहां पर बैठा है मैं पूरी इस बात की कोशिश करूं कि उस को वहीं पर बना रहने दूं। और उस को वहां से हटाऊं नहीं।

चुनांचे मोटे तौर से मैं ने जिस स्कीम को सोचा है वह यह है कि जहां तक गवर्नमेंट के बनाये हुए मकानों का ताल्लुक है, मैं उन मकानों को एक मुनासिब कीमत पर, क्या मुनासिब कीमत है उस की मैं आगे चल कर चर्चा करूंगा, उन लोगों को दूं जो उन मकानों के अन्दर बैठे हुए हैं। जिन के क्लेम्स हैं उन के क्लेम्स में उन को ऐडजस्ट कर दें और जिन के क्लेम्स नहीं हैं उन को भी मालिक बना दें और वाजिब किस्तों में उन मकानों की कीमत हम उन से वसूल कर लें। एक बात है, अगर कोई किसी हालत में भी मकान लेने को तैयार नहीं है, तो मुझे बहुत तकलीफ के साथ उस का कोई दूसरा प्रबन्ध करना होगा। लेकिन मैं उन मकानों पर जिन में कि पुरषार्थी बैठे हुए हैं किसी दूसरे आदमी की मिल्कियत नहीं कायम कर सकता हूं, जिस वक्त तक कि जो लोग उन में बैठे हुए हैं वह लेना चाहते हैं।

इस के साथ एक और सवाल उठाया गया और मुझे कल इस बात को देख कर

दुःख हुआ कि एक आनरेबुल मेम्बर ने एक बिल्कुल गल्त और बिल्कुल बे-बुनियाद बयान दिया कि तीन बार लाठी चार्ज किया गया नीलाम के दौरान में । कल ही मैं ने सवेरे एक बयान दिया था कि कोई लाठी चार्ज नहीं किया गया है और यह बिल्कुल गलत बात है । इसी के ऊपर जो ऐडजर्नमेंट मोशन दिया गया वह रद्द किया गया था । लेकिन इस भवन में हर एक को आज़ादी है कि वह जो चाहे कहे, ठीक क या गल्त कहे । उन्होंने फिर इस बात को कह दिया । बहरहाल यह उन के लिये शायाने शान नहीं था कि यहां पर कोई गल्तबयानी करें।

दिल्ली के अन्दर २५० मकान ऐसे हैं जो हम ने बेचने के लिये बनाये हैं, अलाट-मेन्ट के लिये नहीं । इस वक्त वह हमारे पास मौजूद हैं । कुछ और दूसरे मकान हैं जिन को हम शायद इसी तरह से मुन्तकिल करें, उन मकानों के अन्दर कोई बैठे हुए नहीं हैं और वह बहुत दिनों से खाली पड़े हुए हैं । मैं ने इस बात को तय किया कि अब उन को मुन्तकिल किया जाय और मैं ने बेहतरीन तरीका यह समझा कि रिफ्यूजी भाइयों को इस बात का मौका दिया जाय कि वह नीलाम के अन्दर उन मकानों को खरीद लें । इन. नीलामों के अन्दर कोई भी आदमी जो रिफ्यूजी नहीं है बिड देने का हकदार नहीं है । मेरी समझ में नहीं आता कि इस पर क्यों शोर गुल है, इस पर क्यों शिकायत है। किसी भी आदमी को इन मकानों के अन्दर हक हासिल नहीं है । मैं पूछना चाहता हूं कि अगर हम उस को बाजारू कीमत पर बेच दें और कुछ मुनाफा हो, तो वह कहां जाता है ? क्या वह पैसा सरकार की जेब में जाता है ? नहीं वह मकानात कम्पेन्सेशन पूल का हिस्सा है । इसलिये जो पैसा आता है वह इस कम्पेन्सेशन पूल के अन्दर ही रहता है । वह पुरुषार्थी, 'भाइयों' के अन्दर ही बटेगा । तब यह शोर गुल क्यों ? मैं कहना चाहता हूं कि यह शोर गुल वेस्टेड इन्टरेस्ट की तरफ से है । वैरीफाइड क्लेम्स की संख्या ३ लाख ८० हज़ार है । उस में से १२ हज़ार क्लेम यह १३ हज़ार भी हो सकते हैं और साढ़े ग्यारह हज़ार भी हो सकते हैं । ऐसे हैं कि जिनकी कीमत ५०,००० से ज्यादा है । कल मेरे दोस्त श्री नन्द लाल शर्मा जिस समय बोल रहे थे उस वक्त, जैसी कहावत है कि बिल्ली थैले में से कूद कर निकल भागी, तो उन्होंने कहा कि मिनिस्ट्री ने यह कायदा बनाया है कि नकद रुपया तो हम देंगे सिर्फ ८,००० और अगर कोई जायदाद की शक्ल में ले तो हम ५०,००० रुपये तक देंगे, उन्होंने कहा, मैं उन्हीं के लफ्ज दोहरा रहा हूं : "भागते भूत की लंगोटी भली ।" जो मिले ले लो । इसलिये ऊंचा बिड दे रहे हैं। जनाब वाला, इस का इतिहास यह है कि हमने पहले सब के लिये ज्यादा से ज्यादा ८,००० रुपया देना तय किया था । बड़े क्लेम वालों की तरफ़ से शोर हुआ । उन्होंने कहा कि जिन के बड़े क्लेम्स हैं उन का ८,००० रुपये में क्या होता है ? हमारे रिहैबिलिटेशन आफिसर्स श्री नगर में मिले । याद रखिये कि उस के अन्दर सेन्ट्रल गवर्नमेंट के आफिसर्स सिर्फ दो तीन ही थे, ज्यादातर राज्यों के रिहैबिलिटेशन आफिसर्स थे, और उन का कम्पेन्सेशन स्कीम से कोई ताल्लुक नहीं है । उन्होंने कहा कि अगर कोई जायदाद की शक्ल में लेना चाहे तो उस की लिमिट ५०,००० रुपये होनी चाहिये । मैं ने इस को मंजूर किया । मैं नहीं कहता कि आप लाजमी मेरी बात मानें । मगर इस को एक दूसरे नुक्ते निगाह से देखिये । ३ लाख ६८ हज़ार आदमी ऐसे हैं जिन के क्लेम्स ५०,००० रुपये से कम के हैं। उन के लिये हम ने नकद और जायदाद की रकम बराबर रखी है ।

[श्री ए० पी० जैन]

सिर्फ १२ हजार ऐसे हैं कि जो नकद चाहें तो उन को ८,००० रुपये मिलेगा और जायदाद की शक्ल में लेना चाहें तो उन को ५०,००० रुपये तक मिल सकता है। अगर यह १२ हजार आदमी हमारे मकानों को १३ या १४ हजार लेते हैं तो क्या उस को रोक दिया जाय ? इन लोगों के काफ़ी बड़े क्लेम हैं। अभी तो पंडित ठाकुर दास भार्गव कह रहे थे कि वह बड़े आदमियों के लिये नहीं कहते हैं, बल्कि छोटे आदमियों के लिये कहते हैं, तो अगर कोई ६,००० रुपये का मकान १३,००० रुपये में लेता है तो वह ७,००० रुपये जो ज्यादा आयेगा, वह कहां जायेगा ? मंत्री की जेब में जायेगा ? देशमुख की जेब में जायेगा या उन छोटे क्लेमेन्ट्स की जेब में जायेगा जो गिनती में ३ लाख ६८ हजार हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों इस पर शोर गुल होता है। इतनी बातें कही जाती हैं, बनिया जहनियत कही जाती है कहा जाता है कि काट छांट की जाती है। सीधी बात है कि जो लोग ज्यादा रुपया पाने वाले हैं वही जायदाद को खरीद रहे हैं। और दूसरे आदमी उससे नफा उठाने वाले हैं मैं एलान करना चाहता हूं कि मैं इस मामले में कोई समझौता नहीं करना चाहता हूं। हम इस तरह के मौके से जरूर फायदा उठायेंगे ताकि उन लोगों की मदद करने के लिए जिन को आज रिहैबिलिटेशन की जरूरत है कुछ रुपया वसूल कर।

जो निकासी मकान ४०० छोटे छोटे कस्बों में हैं, उन के बारे में हम ने तय किया है कि वह ऐलाटमेन्ट से दिये जायें। उन में कोई नीलाम का सवाल नहीं है। बाकी बड़े बड़े शहरों के मकान हैं उन में जो कम कीमत के हैं उन को भी एलाटमेंट से किया जायेगा, लेकिन जो बड़े बड़े मकान हैं, बड़ी कीमत के मकान हैं, जिन के अन्दर काफी अच्छे आदमी बसते हैं, जो कि अपनी हिफाजत कर सकते हैं, उन के बारे में हम को हक होगा कि वह दिये जायें, चाहे नीलाम से चाहे टेन्डर से उन को हम बाजारू कीमत पर बेचेंगे।

जहां तक दुकानों का ताल्लुक है, इस के पीछे एक बड़ी राय है पुरुषार्थी भाइयों की और उन के रिप्रेजेन्टेटिव्ज की, कि दुकानों को और इन्डस्ट्रियल कन्सर्न्स को दूसरे तरीके पर रखा जाय क्योंकि दुकान कारोबार को चलाने वाली चीज़ है जिस में कि एक व्यापारिक दृष्टिकोण होता है। दुकानों के लिये एक अलाहदा उसूल होगा, और मेरी अपनी राय यह है कि उन को भी मुकाबले की कीमतों पर दिया जाय।

अब रहा सवाल यह कि कीमतें कैसे मुकर्रर की जायें ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जहां दुकानों का ताल्लुक है, जो लोग दुकानों के अन्दर अपने कारोबार कई तरह से करते ह, उन को आप बेदखल तो नहीं करेंगे ?

श्री ए० पी० जैन : बेदखल तो नहीं करेंगे क्योंकि आपने कहा है कि उन को प्रोटेक्शन दिया जाय।

श्रीमती सुचेता कृपालानी (नई दिल्ली): मगर दो बरस बाद तो वह बेदखल हो सकते हैं ?

श्री ए० पी० जैन : आप जरा ठहर जाइये, मेरे पास वक्त थोड़ा है और बातें काफ़ी हैं।

अब सवाल यह है कि कीमतें कैसी रखी जायें। जहां तक इन बातों का ताल्लुक है, जो टेन्डर से दिये जाते हैं या नीलाम से दिये जाते हैं, उन के लिये कीमत का सवाल

ही पैदा नहीं होता । यह सवाल उन जायदादों के लिये पैदा होता है जिन को एलाटमेन्ट से दिया जाता है । मुझ से कहा गया कि जितना पैसा खर्च हुआ, उतने पर ही दो । नो प्राफिट नो लौस बेसिस पर दो । मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हम लोगों ने इस को समझने की काफी कोशिश की । 'नो प्राफिट नो लास' बेसिस के माने क्या हैं ? क्या हर एक मकान की कीमत अलहदा लगाई जाय और तब नो प्राफिट नो लौस बेसिस पर दिया जाय ? या एक ग्रुप आफ़ हाउसेज यानी मकानों के एक झुंड़ जो कि एक ही वक्त में बने और एक इलाके में हैं । उन की कीमत लगाई जाय ? या कि एक टाउनशिप या कालोनी के मकानों की कीमत नो प्राफिट नो लास बेसिस पर लगाई जाय ? या एक शहर या एक राज्य के मकानों की कीमत लगाई जाय ? या फिर तमाम देश के मकानों की कीमत एक 'नो प्राफिट नो लास' पर लगाई जाय ? जो लोग नो प्राफिट नो लास बेसिस की बात करते हैं उन को यह देखना होगा कि इस के माने क्या हैं । अभी तो यह होता है कि एक मकान अगर नीलाम हुआ तो वह एक कीमत पर नीलाम होता है , दूसरा मकान इसी तरह दूसरी कीमत पर नीलाम होता है । अगर मुख्तलिफ वक्त में ही एक ही किस्म के मकान बनाये जायें तो कभी टेन्डर १० पर सेन्ट कम आयेगा और कभी १० पर सेन्ट ज्यादा आयेगा । अब अगर एक ग्रुप के मकानों की कीमत भी लागाई जाय तो कभी तो वह कम आयेगी और कभी ज्यादा आयेगी । यह देखा जाता है कि अगर अलग अलग लोकेलिटीज में मकान बनाये गये तो किसी में तो जायदाद की कीमत बढ़ जाती है और किसी में नहीं बढ़ती । इस तरह से उन में फरक पैदा हो जाता है ।

आप दिल्ली के सवाल को ही लीजिये । दिल्ली में काल्का जी है, दिल्ली में ही राजेन्द्र नगर है और दिल्ली में ही मालवीय नगर है । काल्का जी और मालवीय नगर में जायदादों की कीमतें नहीं बढ़ी हैं, उतनी ही हैं । कुछ बढ़ी भी हैं लेकिन इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी । इस लिये नहीं बढ़ी हैं कि यह कालोनीज शहर से दूर हैं । राजेन्द्र नगर और पटेल नगर, वहां पर जमीनों की कीमतें दुगनी, तिगुनी और चौगुनी हो गयी हैं । यह कौन सा इन्साफ है कि मैं आज रिफ्यूजीज़ से वही कीमत लूं राजेन्द्र नगर में और वही कीमत लूं कालका जी के अन्दर ? मेरे मित्र ठाकुर दास जी ने कहा था कि पलवल के अन्दर बहुत गरीब आदमी हैं जिन की दुकानें नहीं चलतीं । पलवल है खन्ना है, रिवाडी है, रन्वेर है, सूरत है, और भी जगहें हैं जहां पर जितना खर्च हुआ है उतने की आज जायदाद नहीं हैं । तो क्या यह इन्साफ का तकाज़ा है कि जो लोग अच्छी जगह में बैठे हुए हैं और जिनके पांच हजार के मकान की कीमत आज दस हजार, बारह हजार और १५ हजार हो गयी है उन से भी पांच हजार लिया जाय, और जिनके पांच हजार के मकान की आज कीमत ढाई हजार या दो हजार रह गई है उन से भी पांच हजार लिया जाय । मैं समझता हूं कि यह गैर इन्साफ है और अन्याय है । मैं चाहता हूं कि मुनासिब तरीके से कीमत लगाई जाय । ताकि रिफ्यूजी और रिफ्यजी के बीच में इन्साफ हो । इसलिये मेरी यह राय है कि पलवल के मकानों की कीमत को घटाया जाय और राजेन्द्रनगर के मकानों की कीमतों को बढ़ाया जाय ।

मैं देखता हूं कि हमारे रिफ्यूजी भाइयों के अन्दर एक बात पैदा हो गई है । वह यह समझते हैं कि जितनी जबान में ताकत है, जितनी पैर में ताकत है, जितनी कलम में ताकत है, जितना वह अखबारों में लिख सकते हैं और जितना वह डिमांस्ट्रेशन कर

[श्री ए० पी० जैन]

सकते हैं उसी से चीज़ें हल हो जायेंगी । लेकिन म यह साफ कर देना चाहता हूं कि ज़बान की ताकत से, पैर की ताकत से, कलम की ताकत से चीज़ें हल नहीं होंगी । बल्कि इन्साफ के साथ चीज़ें हल होंगी ।

मैं आप से अर्ज कर रहा था कि मैं यह नहीं चाहता कि हर कालोनी में जो बाज़ारी कीमत वसूल की जाय । लेकिन मैं यह जरूर चाहता हूं कि मुख्तलिफ कालोनीज़ के अन्दर हमारे जो मुख्तलिफ मकानात हैं उन में कुछ निस्बत कायम की जाय । जहां पर कीमत नहीं बढ़ी हैं वहां पर वही रखी जायं, जहां पर कम हुई है वहां कम की जायं, जहां पर बढ़ी है वहां अगर बढ़त का १६ आना न लिया जाय तो कम से कम आठ आना तो लिया जाय । इस सिलसिले में मेरे ऊपर दाबाव डाला जाता है, इसी सिलसिले में डिमांस्ट्रेशन किये जाते हैं । मैं इस के खिलाफ हूं ।

मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि मैं कोई इम्तियाज़ी अख्तियारात अपने हाथ में नहीं रखना चाहता । मुझे एक मिनट के लिये भी यह तमन्ना नहीं है कि मैं अपने कलम से हुकुम लिखूं । इस कानून में यह उसूल रखा है कि हर एक आदमी को अपनी बात कहने का बराबर हक मिले । जब एक मर्तबा फैसला हो जाय तो एक अपील होनी चाहिए और जो हुकुम हो सब को मानना होगा । मकान की कीमत पहले इंजिनियर मुकर्रर करते हैं और रिफ्यूजीज़ को इस बात का मौका दिया जायगा कि वह अपनी बात को उन के सामने रख लें । उस के बाद जब कीमत मुकर्रर होगी तो एक अपील का मौका दिया जायगा । उस अपील का जो फैसला होगा वह सब पर काबिले पाबन्दी होगा । उस में मिनिस्टर को कोई दखल नहीं होगा । मैं चाहता हूं कि इस तमाम मामले को क्वासी जूडीशियल बना दिया जाय ताकि सब के साथ बराबर इन्साफ हो न कि यह कि जिस की जबान में ताकत है, जिसके पैर में ताकत है या जिस की कलम में ताकत है वह सब चीज़ ले जाय । कुछ लोग जिन के पास ताकत है वे अपने एम० पीज० के जरिये मेरे ऊपर दबाव डालते हैं लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं चलने दूंगा । यह मुझ को इस के बारे में अर्ज करना था । हम ने वेल्युएशन कराया है उस में यह उसूल रखा है कि जमीन की बाजारी कीमत रखी जाय और सुपरस्ट्रक्चर की वह कीमत रखी जाय जो कि खर्च हुई है । अगर इन कीमतों का उन कीमतों से मुकाबला किया जाय जो नीलाम में मिली हैं तो मेरा ख्याल है कि यह कीमत उस से ४० या ५० फी सदी कम होंगी ।

एक सवाल यह उठाया गया है । इस कानून में यह रखा है कि जिन जायदादों को हम एक्वायर करेंगे, जोकि कम्पेन्सेशन पूल में शामिल हैं, उन के ऊपर जो कोई रहन होगा या कोई चार्ज होगा तो वह कायम नहीं रहेगा । इस के लिये कुछ आपत्ति जाहिर की गयी है । इस के लिये मैं यही अर्ज करना चाहता हूं कि हम जो कायदे बनायेंगे जायदादों को हासिल करने के लिये उन में हम इस बात की तशरीह कर देंगे कि कोई जायदाद कि जिस के ऊपर किसी किस्म का बार है, उस को हम उस वक्त तक एक्वायर नहीं करेंगे जिस वक्त तक कि वह बार अदा न कर दिया जाय । कोई जायदाद जिसके बारे में दफा १६ एडमिनिस्ट्रेशन आफ इवेक्वी प्रापर्टी के मातहत मामला चल रहा है उस को हम उस वक्त तक एक्वायर नहीं करेंगे जब तक कि उस का फैसला न हो ज़ाय । कोई जायदाद जिस के बारे में

कस्टोडियन के सामने या काम्पिटेंट अफसर के सामने मामला चल रहा हो, उस को हम उस वक्त तक मुंतकिल नहीं करेंगे जिस वक्त तक कि वह मामला फैसल न हो जाय। लेंड एक्वीजीशन का यह उसूल है कि जो जायदाद ली जाती है वह बिल्कुल साफ होती है, उस के बारे में किसी किस्म का टंटा नहीं होता। जहां हम इस बात की पूरी अहतियात करेंगे कि कोई जायदाद जिस पर बार हो उस को न लिया जाय, वहां जो जायदाद हम लेंगे उन पर कोई बार नहीं रखेंगे। मैं समझता हूं कि इस से मेरे दोस्तों को काफी तसल्ली हो जायगी।

एक सवाल मुकन्द लाल जी ने उठाया है कि हिन्दुस्तान के अन्दर कुछ ऐसे आदमी मौजूद हैं कि जिन का कर्जा चाहिये था उन लोगों पर जो कि पाकिस्तान चले गये। यह दो किस्म के कर्जे थे। एक तो किफालती। जो किफालतीं कर्जे हैं उन के लिये तो हमने एक कानून बनाया था, सेपेरेशन आफ इवेक्वी इंटरेस्ट। उस में हम ने यह रखा था कि कम्पोजिट प्रापर्टी किस को माना जाय। जिन के ऊपर किसी लोकल आदमी का रहन हो। उन के फैसले हो रहे हैं और इस में कोई दिक्कत नहीं है।

जिन के सादे कर्जे थे वे दफा २२ के अन्दर कस्टोडियन के यहां रजिस्टर हो गये हैं और कस्टोडियन को इस बात का अख्तियार है कि वह इन कर्जों की अदायगी कर सके। इस के लिये हम काफी अहतियात रखेंगे कि पेश्तर इस के कि जायदाद इधर से उधर हो इस बात का इन्तिजाम हो कि इन कर्जों का फैसला हो जाय। अब किस तरह इन का फैसला हो इस पर हम गौर कर रहे हैं। मुमकिन है इस के लिये हम को कोई कानून लाना पड़े। मैं मेम्बर साहब से यह अर्ज करना चाहता हूं कि ऐसी सूरत में जो उन्होंने अमेंडमेंट पेश किया है उस की जरूरत नहीं है।

अब मैं आखिरी सवाल पर आता जो कि सब से बड़ा सवाल है। वह है कम्पेन्सेशन पूल को बढ़ाने का। इस में दो पहलू हैं। एक वह है जो कि सरकार का नजरिया है। दूसरा वह है कि जो कुछ मैं ने किया है। मैं भवन के सामने कोई नई बात नहीं कह रहा हूं। सब लोग यह अच्छी तरह से जानते हैं कि इस मुआवजे के मसले पर दो रायें थीं। एक काफी मजबूत राय थी कि दोबारा बसाने पर जो कुछ खर्च किया जाय वह ठीक है लेकिन मुआवजा न दिया जाय। मैं इस राय का था कि मुआवजा दिया जाय। लेकिन मुआवजे के अन्दर लिैबिलिटेशन का प्रिंसिपल रखा जाय, यानी सब को एक हिसाब से न दिया जाय। छोटे को मुकाबले में ज्यादा बड़े को मुकाबले में कम।

मुझे खुशी है कि मेरी राय को कबूल किया गया और यह मुआविजे की स्कीम आई। मुझ से जो कुछ कोशिश हो सकती थी जो मेरी ताकत थी वह मैंने लगायी और मैं जिस हद तक कामयाब हुआ वह आज इस हाउस के सामने है। पहली किश्त दी जायगी निकासी की जायदाद से और उस ८५ करोड़ रुपये की जायदाद और कर्जे से जो कि दुबारा बसाने के ऊपर खर्च हुआ है। अब सवाल है उस को बढ़ाने का। मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूं कि पुरुषार्थी भाई मुसीबतजदा हैं और जितनी और जिस हद तक इन की मदद की जाय वह ठीक होगा लेकिन साथ ही साथ और एक दूसरा नजरिया भी है। अभी हाल में एक डेपुटेशन भी मिला था प्राइम मिनिस्टर से और उस डेपुटेशन में इस सभा के कुछ सदस्य भी शामिल थे, उस के बारे में कुछ सुचेता जी ने चर्चा भी की। बहरहाल नजरिया यह है कि जो टैक्स वसूल होता है वह तो ज्यादातर छोटे छोटे

[श्री ए० पी० जैन]

आदमियों से वसूल होता है, बड़ा आदमी कुछ रुपया इन्कम टैक्स की शक्ल में या सुपर टैक्स की शक्ल में देता है लेकिन ज्यादा टेक्स तो छोटे छोटे आदमियों से वसूल होता है और यह बात क़बूल नहीं की जा सकती कि छोटे गरीब किसानों और मज़दूरों से जो पैसा इकट्ठा किया जाय उस से काफ़ी जायदाद वालों को, जो नुकसान हुआ है उसकी क्षति पूर्ति की जाय, मेरे तमाम साथी और सहकारी मिनिस्टर आदि को आप से हमदर्दी है और सब चाहते हैं कि जहां तक रिहैबिलिटेशन के ऊपर खर्च का संबंध है उस के अन्दर कोताही न की जाय और वह सहायता कार्य आगे भी जारी रहे। बच्चों की शिक्षा के ऊपर खर्चा हो। जो जवान हैं उन के वास्ते दस्तकारी की शिक्षा देने का कार्य जारी रखा जाय, या अगर कोई ऐसे रह गये हैं जिन के वास्ते अभी तक मकानों का प्रबन्ध नहीं हो सका है तो उन के वास्ते मकानों का प्रबन्ध किया जाय और जिन के पास रोजगार नहीं उन को रोजगार करने की सुविधा दी जाय ताकि वह अपना खर्च चला सकें, हम चाहते हैं कि रिहैबिलिटेशन के कार्यों को जारी रक्खा जाय जब तक कि समस्या पूरी तौर से हल नहीं हो जाती। लेकिन जो जायदाद के खिलाफ जायदाद या नक़दी देने का जो सवाल है उस पर और सरकारी रुपया न लगाया जाये। हर एक मिनिस्टर की ताकत महदूद होती है। मुझ से जो कुछ हो सकता था वह मैं ने किया। आज मैं सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं दे सकता कि पूल के अन्दर कोई बड़होत्री हो सकती है मगर मैं अपने ऊपर भी कुछ विश्वास रखता हूं। जहां कि मैं सरकार से आइन्दा इस बात का तकाजा नहीं कर सकता कि जो काफ़ी जायदाद वहां पर छोड़ आये है उन के नुक़सान की पूर्त्ति के वास्ते और रूपया दिया जाय, वहां ज्यों ज्यों मौक़ा होगा उस के मुताबिक उन छोटे और गरीब आदमियों की इमदाद के लिये चा वह रिहैबिलिटेशन की शक्ल में हो चाहे वह मुआविज़े की शक्ल में हो, जिन का थोड़े पैसों से काम चलता है जिन के छोटे छोटे झोपड़े और जायदादें थीं उन का मामला फिर दुबारा सरकार के सामने रक्खूंगा, मैं हार मानने वाला नहीं हूं, अगर हार मानने वाला होता तो शायद यह मुआविज़े का क़ानून ही नहीं आता। ऐसे छोटे छोटे आदमियों का मामला है, जिन को दो हजार, चार हज़ार या पांच पांच हज़ार के क्लेम हैं, जब भी कोई मुनासिब मौका आयेगा, मैं फिर कैबिनेट के सामने पेश करुंगा लेकिन मैं आज इस पोजीशन में नहीं हूं कि वायदा करुं कि सरकार फौरन कोई पैसा दे सकती है या कोई पैसा देगी। लेकिन मैं दरवाज़ा बंद नहीं होने दूंगा और जहां तक छोटे आदमियों की भलाई का सम्बन्ध है मैं पूरी कोशिश करूंगा। आपने देखा होगा कि कमेटी ने सिफ़ारिश की है कि वह रुपया जो कि मेंनटेनेंस अलाउन्स की शक्ल में औरतों और बूढ़ों को दिया गया उसे पूल से वसूल न किया जावे। मैं खुश हूं कि मैं अपने साथी मिनिस्ट्रों को और गवर्नमेंट को इस बात के ऊपर रजामन्द कर सका हूं कि उस रुपये को कम्पेन्सेशन पूल में से वसूल न किया जाय। यह छोटी सी चीज़ है लेकिन इस से एक बात सिद्ध होती है कि वह दरवाज़ा बंद नहीं हुआ और अगर कोई मुनासिब मांग हो, कोई ऐसी मांग जो छोटे आदमियों से या गरीब आदमियों से ताल्लुक रखने वाली हो तो उस के लिये एक गुंजायश है और मैं आप को यक़ीन दिलाता हूं कि मैं उस के लिये पूरी कोशिश करूंगा। मैं जनाब का मशकूर हूं कि जितना वक्त मुझे मिलना चाहिये था उस से ज्यादा समय आपने मुझे

दिया । इस वक्त जितना मुझे अर्ज करना था वह सब मैं अर्ज कर चुका ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

विस्थापित व्यक्तियों को प्रतिकर तथा पुर्नवास अनुदानों के भुगतान तथा तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड २ — (परिभाषायें)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :
"खड २ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ खंड दो विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ३—(मुख्य निपटारा आयुक्त की नियुक्ति)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खंड ३ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड ३ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ४—(प्रति कर दिये जाने का आवेदनपत्र) ।

श्री एन० बी० चौधरी (घाटल) : मेरा एक साधारण संशोधन है कि आवेदन पत्रों के प्रस्तुत किये जाने के दिनांक की सूचना को न केवल सरकारी सूचना-पत्र में प्रत्युत देश के सभी दैनिक पत्रों में प्रकाशित किया जाना चाहिये जिस से कि अधिक से अधिक व्यक्तियों को यह सूचना प्राप्त हो सके । यदि ऐसा न किया गया तो बहुत से व्यक्तियों को यह सूचना मिल भी नहीं सकेगी । आशा तो यह की जाती है कि सरकार प्रत्येक विस्थापित व्यक्ति को व्यक्तिगत सूचना दें क्योंकि जिस के वादे स्थापित हो चुके हैं उन सभी के पते सरकार के पास हैं । यदि सरकार सभी को व्यक्तिगत रूप से सूचना न दे सके तो कम से कम सभी समाचार पत्रों में उसे प्रकाशित अवश्य करा दे ।

पूनवास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : हम पहले ही बहुत प्रचार कर चुके हैं । हम इसे सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित करते हैं और रेडियों तथा सरकारी सूचना-पत्रों तथा विभिन्न राज्यों के कैम्प अधिकारियों के द्वारा इस की सूचना देते हैं ।

सभापति महोदय : इसलिये इस संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है ।

प्रश्न यह है :

"खंड ४ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ४ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ५—(निपटारा अधिकारी के द्वारा लोक ऋण का निश्चय)

श्री एन० बी० चौधरी : मेरा संशोधन है कि पृष्ट ४ पंक्ति २७ में "if any" ("यदि कोई") शब्दों के पश्चात "except money granted on account of maintenance allowance and scholarship" ("भरण पोषण भत्ता तथा छात्रवृत्ति के निमित्त स्वीकृत धन के अतिरिक्त") निविष्ट कर दिया जाये । यह कहा गया है कि कुछ प्रकार के भरण पोषण भत्ते इस में समायोजित नहीं किये जायेंगे । हम चाहते हैं कि यह सुविधा अधिक से अधिक व्यक्तियों को दी जाये । विशेष रूप से उन गरीब तथा शरणार्थी विद्यार्थियों के मामले में जिन्हें भारत में कुछ छात्रवृत्ति दी गई है उन के

[श्री एन० बी० चौधरी]

अभिभावकों से इस राशि को प्रतिकर के दाव में समायोजित करने को न कहा जाय । अतः सरकार को उसे माफ़ कर देना चाहिये । छात्रवृत्ति के रूप में जो धन शरणार्थी विद्यार्थियों को दिया गया है उसे माफ़ कर दिया जाना चाहिये । क्योंकि इस में उन का कोई अपराध नहीं है । वह विशेष परिस्थितियां थीं जिन के लिये शासक दल के नेता उत्तरदायी थे । अतः सभी बातों पर विचार कर के हम सरकार से यह प्रार्थना करते हैं कि इस रकम को माफ़ कर दिया जाये और प्रतिकर की राशि में समायोजित न किया जाये ।

श्री ए० पी० जैन: इस में बहुत से प्रश्न आते हैं । एक तो वह राशि है जो कि भरण-पोषण के भत्ते के रूप में दी गई है । जहां तक इस का सम्बन्ध है हम इसे वसूल नहीं कर रहे हैं तथा न हम वसूल करने की प्रस्थापना ही कर रहे हैं । तत्पश्चात् छात्रवृत्तियों का प्रश्न आता है जिस का तात्पर्य माननीय सदस्य ने शिक्षा के लिये दिया गया ऋण लगाया है । जहां तक शिक्षा के लिये दिये गये उन ऋणों का सम्बन्ध है जो ऐसे विद्यार्थियों अथवा उन के अभिभावकों को दिये गये है जिन के कोई दावे नहीं हैं हम ने उन्हें उड़ा दिया है किन्तु जहां तक उन शिक्षा संबंधी ऋणों का सम्बन्ध है जो ऐसे विद्यार्थियों को दिये गये हैं जिन के दाव थे अथवा जिन के अभिभावकों के दावे थ मुझे भय है कि मैं माननीय सदस्यों के सुझाव को स्वीकार नहीं कर सकता हूं ।

श्री एन० बी० चौधरी: यदि यह दावा बहुत छोटा हो तो ?

श्री ए० पी० जैन: मैं इस को व्यापक रूप से स्वीकार नहीं कर सकता हूं, किन्तु मैं ऐसे मामलों पर विचार करने को प्रस्तुत हूं जहां दावा छोटा है तथा ऋण की राशि बड़ी होगी । किन्तु यह खंड ११ के आधीन दी जाने वाली एक छट के रूप में होगी । किन्तु मुझे खेद है कि मैं एक ऐसी व्यापक प्रस्थापना को, कि जिन व्यक्तियों अथवा जिन अभिभावकों के दावें हों उन से शिक्षा के लिये दिये गये ऋणों की वसूली न की जाये स्वीकार नहीं कर सकता हूं ।

श्री एन० बी० चौधरी : मैं अपने संशोधन पर आग्रह करता हूं ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"खंड ५ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकार हुआ

खंड ५ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ६ भी विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ७—(प्रतिकर की राशि का निश्चय)

श्रीमती सुचेता कृपालानी ने संशोधन संख्या ३ प्रस्तुत किया ।

श्रीमती सूचेता कृपालानी : मुझे बड़ी खुशी हुई थी जब कि मंत्री महोदय ने कहा कि जब तक वह इस कुर्सी पर रहेंगे तब तक कोई और प्रेशर उन के ऊपर नहीं चलेगा । सिर्फ इन्साफ का ही प्रेशर होगा । तो जो ऐमेन्डमेन्ट मैं ने दिया है वह सिर्फ इन्साफ के ही ख्याल से दिया है । इस लिये मैं समझती हूं कि मंत्री महोदय इस को जरुर मंजूर करेंगे ।

जब कम्पेन्सेशन की स्कीम शुरू हुई थी और लोग अपने क्लेम्स की दरख्वास्तें भेज रहे थे तो सरकार की तरफ से साफ नहीं बताया गया गया था कि ज्वायंट फैमिली

क्लेम्स किस ढंग से दिये जायेंगे । कुछ लोगों ने ज्वायंट फैमिली के अन्दर भी अलग अलग ऐप्लाई किया था और कहीं सिर्फ एक साहब ने, जो कि कर्त्ता थे, ऐप्लाई किया था । तो कुछ फैमिली में तो सिर्फ एक आदमी अर्थात् कर्त्ता को ही कम्पेन्सेशन मिल जायेगा पर जिन्होंने ज्वायंट फैमिली में रहते हुए अलग अलग क्लेम्स दिये हैं उन को अलग अलग केम्पेन्सेशन मिलेगा । दरअस्ल जहां पर एक आदमी ने ही क्लेम दिया है उस को हानि होगी क्योंकि उस का कुल क्लेम ८,००० रु० से ज्यादा नहीं होगा । मैं जानती हूं ऐसी फैमिली हैं जिस में ७, ८ लोग शेअरर्स हैं पर एक ने ही ऐप्लाई किया है तो उस को सब के लिये सिर्फ ८,००० मिल जायेगा । और अगर किसी फैमिली में ३ मेम्बर्स हैं और उन्होंने अलग अलग ऐप्लाई किया है, तो उन को ज्यादा रुपया मिलेगा ।

जब हम लोगों ने मंत्री महोदय के सामने यह बात रखी तो उन्होंने इस को मंजूर किया कि इस में बेइन्साफी हो सकती है और इस को ठीक करना चाहिये । लेकिन उन्होंने हमारे सामने यह दिक्कत रखी कि अगर ज्वायंट फैमिली की तरफ से नई ऐप्लीकेशन् ली जायेंगी तो काम बहुत बढ़ जायेगा । इस लिये मैं ने यही ठीक समझा कि क्लाज ७ में यह एक्स्प्लेनेशन जोड़ दिया जाय, ताकि जब आफिसर्स क्लेम्स को सेटल करने लगेंगे उस वक्त वह देख लें कि कौन सा क्लेम कर्त्ता के नाम से आया है और कौन सा अलग अलग नाम से आया है । इस को देख कर ही वह उन अलग अलग क्लेम्स को सेटल करेंगे । इस तरह से जो आज दिक्कत महसूस हो रही है वह भी न होगी और इस कम्पेन्सेशन स्कीम में जो बेइन्साफी होने की आशंका है वह भी दूर हो जायेगी ।

विधेयक

मुझे आशा है कि इस बात को उचित समझ कर हमारे मंत्री महोदय मेरे इस सशोधन को मंजूर कर लेंगे ।

सभापति महोदय: संशोधन प्रस्तुत हुआ ।

श्री ए० पी० जैन: श्रीमती सुचेता कृपालानी ने जिस उसूल को बतलाया उस में तो कुछ ताकत है क्योंकि यह वाकया है कि कुछ लोगों ने तो संयुक्त परिवार के क्लेम एक जगह दिये, कुछ ने अलग अलग दिये और इस में जरूर आपत्ति पैदा होती है । लेकिन सवाल यह है कि उन को किस तरह से ठीक किया जाय । मेरा अपना दिमाग कुछ इस तरफ काम कर रहा है कि पाकिस्तान में जो कुछ भी फैमिली का स्टेटस था वही यहां रहे, अगर वह संयुक्त था तो उस को संयुक्त माना जाय और अगर वह अलग अलग थे तो उन को अलग अलग माना जाय और अगर यहां पर उन्होंने संयुक्त क्लेम दिया है तो ठीक है ही, लेकिन अगर उन्होंने अलग अलग क्लेम दिया है तो उन क्लेमों को एकत्र कर लिया जाय और मुआवजा इस तरह से दिया जाय कि जैसे संयुक्त परिवार को दिया जाता है । मगर इस के साथ साथ एक सवाल और पैदा होता है कि जहां संयुक्त परिवार के अन्दर एक से अधिक कुटुम्ब हों और उन को भी उसी दर से मुआवजा दिया जाय जैसा कि अलग अलग परिवार को दिया जाता है तो आर्थिक रूप से उन की दिक्कत हल नहीं होती है । जो कायदे बनायेंगे उन में यह रखा जायगा कि मुआवजे की रकम कितनी दी जाय, क्लेम का क्या प्रतिशत हो । मैं उस में यह बात रखना चाहता हूं कि संयुक्त परिवारों को कुछ ज्यादा प्रोपोर्शन दिया जाय बनिस्बत उन के जो कि अलाहिदा अलाहिदा परिवार हैं । इस की मिसाल .....

पंडित ठाकुर दास भार्गव: मैं आप की इजाजत से जरा सा इटरफरेंस करना चाहता हूं। अगर आपने रूल्स बनाने हैं तो उस वक्त इस की बहस कीजियेगा। अगर आप इस वक्त कमिटमेंट कर देंगे तो रूल्स बनाते वक्त इंसाफ नहीं रहेगा।

श्री ए० पी० जैन: मैं तो यह कमिटमेंट उन के हक में कर रहा हूं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: अगर आप को प्रोस और कान्स देखने हैं तो उन को आप रूल बनाते वक्त देखियेगा।

श्री ए० पी० जैन: मैं ने जो कानून बनाया है उस के अन्दर चाहे पूरी तस्वीर न हो लेकिन मेरे दिमाग के अन्दर तो पूरी तस्वीर है। तो मैं इस तरह से सोच रहा हूं कि फर्ज कीजिये कि एक क्लेम वाले को बस का अलाहिदा परिवार है ३० फी सदी मिलना है तो संयुक्त परिवार को ३० के बजाय ४० या ४५ फी सदी मिलना चाहिये। जो आंकड़े मैं दे रहा हूं इन से मेरा मतलब मिसाल देने से ही है। इस की मिसाल इनकम टैक्स में मौजूद है। वहां पर जो एक व्यक्ति को एक्जेम्पशन दिया जाता है वह शायद ४२०० रुपया है और जो संयुक्त परिवार को दिया जाता है वह शायद ७,२०० रुपया है।

पंडित ठाकूर दास भार्गव: परन्तु कर तथा मुआवजे का एक ही आधार नहीं है।

श्री ए० पी० जैन: मैं चाहता हूं कि कुछ इसी तरह का यहां भी पर सेंटज़ मुकर्रर कर दिया जाय। लेकिन मुझे इस अमेन्डमेन्ट को मंजूर करने में आपत्ति है क्योंकि हम को उस हालत में फिर से तमाम चीजों को खोलना पड़ेगा।

सभापति महोदय: क्या श्रीमती सुचेता कृपालानी अपने संशोधन पर आग्रह करना चाहती हैं?

श्रीमती सूचेता कृपालानी: जी हां, मैं इस संशोधन पर आग्रह करना चाहती हूं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: खंड ७ के सम्बन्ध में और कोई संशोधन नहीं हैं। मैं इस खंड को मतदान के लिये प्रस्तुत करूंगा।

प्रश्न यह है:

"खंड ७ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ७ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड ८—(प्रतिकर के भुगतान का रूप तथा रीति)

सभापति महोदय: श्री नन्द लाल शर्मा का एक संशोधन है। वह अनुपस्थित हैं। अतः मैं खंड को मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूं।

"खंड ८ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रश्न यह है:

खंड ८ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड ९ और १० विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड ११—(विस्थापित व्यक्तियों को पुर्नवास तथा अन्य अनुदान)

सभापति महोदय: श्री राज भोज के नाम से एक संशोधन है। क्या वह इसे प्रस्तुत करना चाहते हैं?

श्री पी० एन० राजभोज (शोलापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां): मैं प्रस्ताव

करता हूं कि पृष्ठ ८ पंक्ति ३ में शब्द "persons" ("व्यक्तियों") के पश्चात् "and particularly every displaced persons belonging to the scheduled castes."

("और विशेष कर अनुसूचित जाति के प्रत्येक विस्थापित व्यक्ति को") निविष्ट किया जाये ।

सभापति महोदय: श्रीमती सुचेता कृपालानी के नाम में एक संशोधन था क्या माननीय सदस्या उसे प्रस्तुत करना चाहती हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी: मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करना चाहती हूं ।

सभापति महोदय: क्या श्री गिडवानी अपने संशोधन को प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री गिडवानी: मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं ।

श्री पी० एन० राजभोज: मैंने जो अपना अमेंडमेंट मूव किया है उस के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं । हम ने अपने मंत्री महोदय का भाषण बड़े गौर से सुना । वह कहते हैं कि वे गरीबों के लिये बहुत कुछ करना चाहते हैं । लेकिन जो सब से गरीब हैं उन के लिये उन्होंने एक लफ्ज भी नहीं कहा । मेरा मतलब उन शिड्यूल्ड कास्ट के भाइयों से है जो कि पंजाब से और बंगाल से आये हैं । बहुत से लोग आज रिफ्यूजीज़ के नाम से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं । लेकिन मैं दिल से कहना चाहता हूं कि हमारे जो अछूत भाई हैं उन के लिये हमारे मिनिस्टर साहब कुछ करें । उन को ज़मीन नहीं मिलती, उन को नौकरियां नहीं मिलतीं, उन की शिक्षा के लिये कोई सहूलियत नहीं मिलती । हमारे मिनिस्टर साहब ने जो २०० करोड़ रुपया खर्च किया है मैं पूछना चाहता हूं कि उस में से अछूत भाइयों के लिये कितना खर्च किया है । उन की कितनी तादाद हैं । आप की जो कमेटियां बनती हैं आप उन में उन के प्रतिनिधि नहीं लेते हैं और उन को कानफिडेंस में नहीं लेते हैं । मैं हाउस को बतलाना चाहता हूं कि यह बिल जो पास हो रहा है उस में मेरा यह अमेंडमेंट है कि इस पूल में से शिड्यूल्ड कास्ट वालों के लिये जमीन का, मकान का, शिक्षा आदि का प्रबन्ध किया जाय । और खास तौर से दो दो हजार या तीन तीन हजार रुपया उन को दे कर सब से पहले उन के लिये मकानों की सहूलियत की जाय । इस की सब से बड़ी जरूरत है । अभी कोई अछूत भाइयों के लिये कुछ नहीं कहता है । मगर जब इलेक्शन का वक्त आता है तो कहते हैं कि हरिजन भाइयो तुम हम को वोट दो, और वोट मिलने के बाद फिर उन का नाम भी नहीं लेते । तो मैं हाउस को बतलाना चाहता हूं कि इन लोगों का हाल ऐसा है कि मुंह में राम बगल में छुरी । यह उन का अछूतों के लिये प्रेम है । (**अन्तर्बाधायें**)

मैं यह कह रहा था कि हमारे शरणार्थी भाइयों के लिये कुछ करना चाहिये । इन लोगों में से बहुतों ने सरकार के पास अपने क्लेम नहीं भेजे हैं । उन लोगों को बसने के लिये कम से कम मकान होना चाहिये, उन के लिये जमीन की सहूलियत होनी चाहिये और उन को पढ़ने की सहूलियत होनी चाहिये । यह सब हम को पूल में से मिलना चाहिये । कम से कम हर शरणार्थी को दस एकड़ जमीन मिलनी चाहिये । केवल विनोबा जी की जै कहने से काम नहीं चलेगा । उन की स्कीम को आप को अमल में लाना होगा । मेरी प्रार्थना है, सभापति महोदय, कि हमारे शिड्यूल्ड कास्ट के भाइयों को जमीन मिलनी चाहिये और जो मैं ने अमेंडमेंट दिया है उस को स्वीकार करना चाहिय ।

श्री ए० पी० जैन: अभी जो कुछ श्री राजभोज ने कहा, उस से मुझे बड़ी हमदर्दी है। वैसे भी वह मेरे मित्र हैं और उन की बात का तो मैं बहुत ही आदर करता हूं। मैं उन को यह भी बतलाना चाहता हूं कि अगर हिन्दुस्तान में किसी मिनिस्ट्री ने अछूतों की भलाई और बैहतरी के लिये कुछ किया तो वह हम ने किया। बीकानेर के अन्दर मेरे मित्र जा कर देखें हम ने वहां पर पांच पांच और दस दस एकड़ जमीन हरिजनों को दी है। मतसया के अन्दर जा कर देखें कि हम ने हरिजनों को किस तरह वहां पर बसाया है। अहमदाबाद में जा कर देखें कि हरिजनों के वास्ते हम ने वहां पर कोआपरेटिव सोसाइटी को पैसा दे कर, कैसे मकानात बनाये हैं और उस तरह के मकान शायद हिन्दुस्तान भर में हरिजनों के पास दूसरी जगह नहीं होंगे। अगर वह जा कर देखें तो उन को मालूम होगा कि हम ने हरिजनों के लिये क्या क्या काम किये हैं। खाली यही नहीं कि हरिजनों और दूसरों के अन्दर हम ने कोई फर्क नहीं किया, जो फायदा दूसरों को मिलता है वह तो सब का सब हरिजनों को मिलता ही है लेकिन उस के अतिरिक्त भी हम ने काफी रुपया खर्च किया है हरिजनों को बसाने में उन को मकान देने में। लेकिन जहां तक गरीब हरिजनों का सम्बन्ध है उन के लिये हम ने काफी किया है और मुझे उन के साथ में पूरी हमदर्दी है।

श्री पी० एन० राजभोज : हमें डिटेल्ड इन्फारमेशन मिलनी चाहिये।

श्री ए० पी० जैन : हमारे पास आओ, हम आपको सब इन्फारमेशन दे देंगे।

सभापति महोदय: क्या श्री राजभोज अपने संशोधन पर आग्रह करते हैं ?

श्री पी० एन० राजभोज: जी हां।

विधेयक

सभापति महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी : मैं अपने प्रस्ताव पर आग्रह नहीं करती हूं।

श्री गिडवानी: सभापति जी, मेरे संशोधन के दो हिस्से हैं। पहला उस का हिस्सा तो यह है कि ऐसे शरणार्थी जो हिन्दुस्तान बाद में आये या जिन्होंने किसी भ्रमवश या गलती से अभी तक अपने क्लेम्स दाखिल नहीं किये हैं उनके क्लेम वेरीफाई किये जायें। इस के अलावा दूसरे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कि मियाद के अन्दर अपने क्लेम दाखिल किये थे लेकिन उन के क्लेम्स एक्स पार्टी रिजेक्ट कर दिये गये थे, उन के क्लेमों को भी लिया जाय। इस में हुआ यह कि हालांकि उन्होंने अपने क्लेम्स मियाद के अन्दर दे दिये थे लेकिन वह एक जगह से दूसरी जगह चले गये और नये पते पर अफसरान ने वक्त पर नोटिस नहीं भेजा और उन के क्लेम्स एक्स पार्टी रिजैक्ट हो गये। मेरी समझ में ऐसे केसेज़ दस, बीस हजार के लगभग होंगे, तो इन्साफ का तकाज़ा है कि ऐसे लोगों के केस लिये जायें, क्योंकि वह एक जगह से दूसरी जगह चले गये और नये एड्रैस पर उन को वक्त पर नोटिस नहीं मिल सका। बम्बई से सौराष्ट्र नोटिस आने में दो दिन लग गये और अफसरान ने भी अपना काम जल्दी खत्म करने के लिये ऐसा नोटिस दिया और वक्त पर न पहुंचने के कारण एक्स पार्टी उन के क्लेम्स् रिजैक्ट कर दिये गये, उन को आप को इस में शामिल करना चाहिये। मेरा कहना है कि जब आप इतनी उदारता दिखाते हैं कि जिन्होंने देर से आने के कारण या गलती की वजह से अपने क्लेम्स् नहीं दिये हैं उन के क्लेम्स् आप लेंगे तो ऐसे लोगों को भी आप इस में रख लें कि जिन्होंने अपने क्लेम्स् मियाद के अन्दर

दे तो दिये लेकिन नई जगह बदल लेने के कारण दूसरे प्रान्त में चले जाने के कारण वक्त पर उन के पास नोटिस न पहुंचने से उन के क्लेम्स् एक्स पार्टी रिजैक्ट कर दिये गये वह भी शामिल कर लिये जायें। बस मेरी यही आप से विनती है।

श्री ए० पी० जैन : सभा को याद होगा कि कई महीने पहले एक कानून पास हुआ था जिस का नाम डिस्प्लेस्ड पर्सन्स वैरीफिकेशन आफ़ क्लेम्स् (सप्लीमेन्टरी) ऐक्ट था। उस के अन्दर यह रखा गया था कि जिस आदमी ने क्लेम दाखिल किया हो और उस का क्लेम यदि खारिज़ हो गया हो तो वह उस कानून के मातहत निगरानी दाखिल कर सकता है और अगर किसी आपत्ति की वजह से या मियाद ख़त्म हो जाने की वजह से निगरानी नहीं दाखिल कर सकता तो वह अपना रिप्रेजेंटेशन चीफ़ सैटिलमेंट कमिश्नर के सामने कर सकेगा जो उस क्लेम पर दुबारा वैरीफाई कर सकता है। इस कानून के अनुसार हमारे पास कई हजार दरख्वास्तें आई हैं और उन की जांच पड़ताल हो रही है। यह मामला ऐसा है जो उस कानून से ढका हुआ है और इस तरह का संशोधन लाने की कोई ज़रूरत नहीं है।

श्री गिडवानी : आप समझते हैं कि जितने केसेज़ हैं वह सब उस कानून से कवर हो जाते हैं ?

श्री ए० पी० जैन : सैंट पर सैंट (शत प्रतिशत)।

सभापति महोदय : क्या वह अपने संशोधन पर आग्रह करते हैं ?

श्री गिडवानी : जी नहीं श्रीमान्, मैं इसे वापिस लेना चाहता हूं।

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिया गय

सभापति महोदय : अब मैं खंड ११ को सभा में मतदान के लिये रखूंगा। प्रश्न यह है :

"कि खंड ११ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ११ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड १२—(विस्थापित व्यक्तियों के पुर्नवास के लिये निष्क्रान्त सम्पत्ति के अधिग्रहन का अधिकार)

सभापति महोदय : एक संशोधन श्री एम० एल० अग्रवाल का है।

श्री एम० एल० अग्रवाल (जिला पीलीभीत व जिला बरेली—पूर्व) : माननीय मंत्री के आश्वासन को ध्यान में रखते हुए मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं समझता हूं।

सभापति महोदय : अन्य कोई संशोधन नहीं है।

श्री मूलचन्द दुबे (जिला फर्रुखाबाद—उत्तर) : मैं इस खंड के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। मैं खंड १२ के उप खंड (२) को समझने में कुछ कठिनाई का अनुभव कर रहा हूं। यहां पर मैं "ऋण-भार से मुक्त" शब्दों की ओर निर्देश कर रहा हूं। प्रश्न यह है कि यदि कोई निष्क्रान्त सम्पत्ति किसी भारतीय राष्ट्रजन के पास गिरवी है, तो वह ऋण-भार कैसे समाप्त होगा ? निष्क्रान्त सम्पत्ति अधिनियम १९४८ से १९५४ तक लागू रहेगा। गिरवी की अवधि १२ वर्ष है। यदि यह गिरवी किसी निष्क्रान्त व्यक्ति के नाम न हो कर भारत के किसी अन्य राष्ट्र जन के नाम हो तो यह ऋण-भार से मुक्त कैसे है। यह खंड भू-अधिग्रहन अधिनियम से लिया गया प्रतीत होता है। भू-अधिग्रहन अधिनियम के अधीन पहले एक जांच की जाती और सारे ऋण-भार समाप्त कर दिये

[श्री मूलचन्द दुबे]

आते हैं—परन्तु इस खंड में ऋण-भारों के समाधान के लिये कोई उपबन्ध नहीं है ।

श्री ए० पी० जैन : श्रीमान्, मैं ने इस मामले की अपने पिछले भाषण में व्याख्या की थी । सभा को विदित है कि दो वर्ष पूर्व हम ने निष्क्रांत (हितों) पृथक्करन अधिनियम पारित किया था जिस में मिश्रित तथा संयुक्त सम्पत्तियों से निष्क्रान्त तथा अ-निष्क्रान्त हितों के पृथक्करण का उपबन्ध था ।

सभापति महोदय : अतः यह इस अधिनियम के अन्तर्गत आ जाता है ।

श्री ए० पी० जैन : जी हां, श्रीमान्, यह पूर्णतया उसी अधिनियम के अन्तर्गत आ जाता है ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"खंड १२ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १२ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"खंड १३ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १३ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

श्री मूलचन्द दुबे : मैं इस खंड के बारे में एक शब्द कहना चाहता हूं ।

सभापति महोदय : आप का कोई संशोधन नहीं है और वास्तव में समय भी नहीं है । अतः अब बोलने का कोई लाभ नहीं है ।

श्री मूलचन्द दुबे : संशोधन प्रस्तुत न करने का कुछ कारण था ।

सभापति महोदय : यदि वह आग्रह करते हैं तो मुझे आज्ञा देनी ही पड़ेगी ।

श्री मूलचन्द दुबे : खंड १३ के अनुसार निष्क्रान्तों को उन की सम्पत्तियों के सम्बन्ध में मुआवज़ा देना है । परन्तु यदि हम उस के लिये पाकिस्तान सरकार की स्वीकृति को देखते रहें तो मेरे विचार में इस मामले का कभी अन्त ही नहीं हो सकेगा । मेरे विचारानुसार हमें इस के लिये एक समय-सीमा निर्धारित कर देनी चाहिये ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यह बिल्कुल स्पष्ट है और किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है ।

श्री ए० पी० जैन : यह बिल्कुल स्पष्ट है । हम पाकिस्तान की प्रतीक्षा नहीं करेंगे ।

खंड १४—(मुआवज़ा कोश)

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मेरा एक संशोधन है ।

सभापति महोदय : क्या कोई अन्य संशोधन भी हैं ?

श्री एम० एल० अग्रवाल : मेरा एक संशोधन था, मैं उस को प्रस्तुत करना नहीं चाहता हूं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : अब मेरा संशोधन है ।

श्री आर० डी० मिश्र : (जिला बुलन्दशहर) : औचित्य प्रश्न के हेतु—मेरा अर्ज करना यह है कि पंडित ठाकुर दास भार्गव सिलेक्ट कमेटी के चेअरमेन थे । न तो आप ने कोई नोट आफ डिसेन्ट ही दिया और न अपना कोई राईट ही रिज़र्व किया है तो फिर यह कैसे अपना अमेंडमेंट मूव कर सकते हैं ?

सभापति महोदय : शान्ति, शान्ति ।

डा० राम सुभग सिंह : (शाहाबाद—दक्षिण) : यह एक सुन्दर औचित्य प्रश्न है ।

सभापति महोदय : चाहे उन्होंने कोई विमति टिप्पणी न लिखी हो, परन्तु सम्भवत: यहां चर्चा होने के बाद उन्होंने अपने विचार बदल दिये हों ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं ने अपने विचार भी नहीं बदले हैं । प्रवर समिति का सभापति रह कर भी मेरा यह संशोधन प्रस्तुत करना संगत है । निरोध करने वाले माननीय सदस्य तथा माननीय मंत्री भी इस का समर्थन कर सकते हैं ।

श्री ए० पी० जैन : क्या मैं एक शब्द कह सकता हूं ।

श्री आर० डी० मिश्र : इस में १८५ करोड़ रुपये प्रोवाईड करने के लिये जो अमेंडमेंट पेश कर के सरकार को बाऊंड किया जाता है, उस के लिये प्रेजीडेंट की सेंक्शन की जरूरत है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जनाब वाला, यह जो दफा १४ है उस के ऊपर सैलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट है, मैं उस को पढ़ कर आप की खिदमत में सुनाना चाहता हूं ।

श्री ए० पी० जैन : स्पष्टत:, यदि यह संशोधन पारित हो जाता है, तो इस से भारत की संचित निधि पर एक भार पड़ेगा ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं इस पर आग्रह नहीं करता हूं । मैं जनाब की इजाजत से अर्ज करना चाहता हूं कि दफा १४ में इस कमेटी ने जो नोट लिखा है उस के अन्दर साफ लिखा हुआ है । जो ऐमेन्डमेंट मेरा है उस को मैं यहां पर नहीं रख रहा हूं क्योंकि जैसे अल्फाज बिल में हैं उन से भी हमारा काम चल जाता है । और यही वजह है कि म अपने अमेंडमेंट को प्रेस नहीं करना चाहता हूं । हालांकि मैं यह जरूर कहूंगा कि यह बड़ी कंसिस्टेंट चीज़ है । मैंने अर्ज किया था कि मिनिस्टर साहब और कमेटी के ५१ मेम्बरान कासा गदाई ले कर कैबिनेट के पास जायें और अर्ज करें । अभी मैं ने आनरेबुल मिनिस्टर साहब की तकरीर सुनी, उस से मुझे कुछ इत्मीनान हुआ और मुझे जरा भी ताम्मुल नहीं है कि आनरेबुल मिनिस्टर साहब ने जिस कदर काम रिफ्यूजीज़ के लिये किया है उस के वास्ते मैं उन को ट्रिब्यूट पे करूं, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है और न पूरे अल्फ़ाज हैं कि उन की ठीक सराहना कर सकूं । मैं जानता हूं कि आनरेबुल मिनिस्टर साहब ने शरणार्थियों को कम्पेन्सेशन दिलाने के लिये अपनी मिनिस्ी की भी परवाह नहीं की । मैं उन का निहायत ही मश्कूर हूं इस के लिये कि जिस तरह से उन्होंने अपना फर्ज अदा किया । इस के लिये मैं और कुछ नहीं कहना चाहता सिवा इस के कि उन्होंने अपने फरायज को पूरी तरह अदा किया है ।

अब वक्त आ गया है । मैं यह नहीं अर्ज करता कि मिनिस्टर साहब अपनी कपैसिटी से आगे बढ़ जायें, जो कुछ उन्होंने किया है उस से उन की तरफ से हमारी तसल्ली है । मैं जानता हूं कि इस रुपये को पांच साल में देना है । पर जो कम्पेन्सेशन आप दे रहे हैं उस में जो रुपया ५० फी सदी से कम पड़ता है उस को आप पूरा कर दें । यही मेरी गुजारिश है । मैं जब यह कहता हूं तो जो कुछ आप ने किया है उस के लिये मश्कूर होते हुए कहता हूं । लेकिन जिन को हम पे करना चाहते हैं चाहे पांच साल में, दें लेकिन उन के जो क्लेम वेरिफाई हो चुके हैं या होंगे उन को ५० फी सदी पूरा कर दें ।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

मेरा इत्मीनान है और आप ने यह भी एनाउंस कर दिया है कि जितने गरीब आदमी हैं जिन के क्लेम नहीं पहुंचे हैं वह अब भी दे सकेंगे । इस के लिये मैं कहना चाहता हूं कि उन का ज्यादा क्लेम है इस कम्पेन्सेशन के ऊपर । लेकिन कम्पेन्सेशन क्लेम के तरीके पर न दिया जाय, रिहैबिलिटेशन के तरीके से दिया जाय । आप हमारी इस ख्वाहिश को कैबिनेट तक पहुंचा दें । हम ने अली बाबा चालीस चोर की कहानी सुनी है, आप अली बाबा की तरह हमारी रहनुमाई करके इसे कैबिनेट के सामने पेश कर दें ।

श्री ए० पी० जैन: मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं ।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है :

"कि खंड १४ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १४ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है :

"कि खंड १५ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १५ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १६—(प्रतिकर समूहन की व्यवस्था)

श्रीमती सुचेता कृपालानी: मैं प्रस्ताव करती हूं कि :

"पृष्ठ ९ में, पंक्ति ३५ के पश्चात् जोड़िये:

"(४) प्रबन्धक पदाधिकारियों अथवा निगमों की नियुक्ति करते समय सरकार उस काल का भी निर्देश करेगी जिस के अन्दर उक्त पदाधिकारी अथवा निगम सम्पत्ति का निबटारा करेगा । बशर्ते कि किसी भी मामले में व्यवस्थापक पदाधिकारी अथवा निगम का नियुक्ति काल नियुक्ति की तिथि से तीन वर्ष से अधिक न हो ।"

यह संशोधन मैं ने इस ख्याल से रखा कि जो मैनेजिंग कारपोरेशन्स जो मैनेजिंग आफिसर्स ऐप्वाइंट किये जायेंगे उन का काम रहेगा मैनेजमेंट और डिस्पोजल । जो आफिसर्स या कारपोरेशन्स रहेंगे वह सभी भले आदमी नहीं होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे कि मैं हूं, जिन के मन में कुछ लालच होगा कि अब ताकत उन के हाथ में आ गई है इस लिये उस को लम्बा बढ़ायें । इस में वेस्टेड इन्टरेस्ट क्रिएट हो जायेंगे और यह डर है कि जिस प्रापर्टी को जल्दी से जल्दी डिस्पोज होना चाहिये वह लम्बे दिनों तक चलती रहे । यह डर इस लिये और भी है कि उन दिनों जब रिफ्यूजी कैम्प्स बने थे उन में बहुत से गवर्नमेंट के आफिसर्स रखे गये थे । उन दिनों श्री मोहन लाल सक्सेना मिनिस्टर, थे, जब वह काम खत्म करना चाहते थे तो उन के रास्ते में रुकावटें आईं । जो लोग मैनेज कर रहे थे उन लोगों ने डालीं । उन के वेस्टेड इन्टरेस्ट थे कि उन की नौकरी चली जायेगी । इस लिये मैं चाहती हूं कि कहीं फिर ऐसा न हो कि रिफ्यूजीज को जल्द से जल्द जायदाद मिलने के बजाय गड़बड़ी पैदा हो जाये और जायदाद उन के हाथ में न आये और जो मैनेज करवाते हैं वही उस को मैनेज करते रहें ।

इस लिये मैं चाहती हूं कि टाइम मुकर्रर कर दिया जाय कि तीन साल के

अन्दर उन को अपना काम खत्म कर देना चाहिये और जितने भी आप कारपोरेशन ऐप्वाइंट करें। ऐप्वाइंट करते वक्त उन को बता दिया जाय कि एक साल, डेढ़ साल या दो साल के लिये कायम किये जा रहे हैं और इस के अन्दर उन को काम खत्म करना पड़ेगा। अगर वह नहीं खत्म कर पाते तो उन को एक्स्टेन्शन दिया जा सकता है, इस में कोई रुकावट नहीं है, लेकिन आप एक सीलिंग रख दें तभी जल्दी से जल्दी काम हो सकता है। जितनी जल्दी यह काम खत्म हो उतना ही रिफ्यूजीज के लिये अच्छा है। इसी-लिये मैं ने यह अमेंडमेंट दिया है।

बाबू रामनारयण सिंह (हजारीबाग पश्चिम): मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं और निवेदन करता हूं मंत्री महोदय से कि वह इस संशोधन को स्वीकार कर लें क्योंकि यह बहुत ठीक है।

श्री ए० पी० जैन: जो कुछ मेरी बहन सुचेता कृपालानी ने कहा है मैं उस से सहमत हूं। काम जल्दी होना चाहिये। इस से मेरी पूरी सहमति है। मगर मैं यह समझता हूं कि यह ऐमेंडमेंट लाभकर नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि २०० करोड़ रुपये की जायदाद नियत समय में न बिक सके, ऐसी हालत में क्या होगा, वह किस में वेस्ट करेगी। इस लिये मैं समझता हूं कि जहां इस की पूरी कोशिश करनी चाहिये और हम करेंगे, कि जल्दी से जल्दी मुआवजा दिया जाय और उस का निपटारा हो जाय, वहां इस में इस किस्म की कोई शरायत होना मुनासिब नहीं है।

२ म० प०

श्रीमती सुचेता कृपालानी: मैं अपने संशोधन पर आग्रह नहीं करती हूं।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १६ विधेयक का अंग बनै।"

विधेयक

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १६ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड १७ विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्रीमती सुचेता कृपालानी: मेरा एक संशोधन संख्या ८ यह है कि "बोर्ड" (Board) शब्द के पश्चात् "गैर-सरकारी" (non-Officials) जोड़ दिया जाये।

श्री ए० पी० जैन: जहां तक इस अमेंड-मेंट का सम्बन्ध है श्रीमती सुचेता कृपालानी खुद जानती हैं कि मौजूदा एडवाइजरी कमेटी में पांचों मेम्बर नान आफिशियल हैं। इस के पहले जो एडवाइजरी कमेटी थी उस में सात या आठ मेम्बर थे। उन में एक आफिशियल था। इस तरह की कमे-टियों में एक बड़ा बहुमत नान आफिशियल मेम्बरों का होना चाहिये लेकिन तजुर्बा बतलाता है कि अगर एक दो आफिशियल हों तो वह बहुत मदद कर सकते हैं। उस को डिपार्टमेंट की बातें मालूम रहती हैं और वह तमाम चीजें इकट्ठा कर सकते हैं। इसलिये मैं यह नहीं चाहता कि कोई पाबन्दी हो, लेकिन में यह घोषणा करना चाहता हूं कि एक और ज्यादा से ज्यादा दो आफिशियल मेम्बर रहेंगे। मैं चाहता हूं कि सुचेता जी अपने अमेंडमेंट को पेश न करें।

श्रीमती सुचेता कृपालानी: मैं अपने संशोधन पर आग्रह नहीं करती हूं।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ३१ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ३१ विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ३२ से ४० विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[सभापति महोदय]

खण्ड ३२ से ४० विधेयक में जोड़ दिये गये ।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है :

"कि तालिका, खण्ड १, लम्बा नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

तालिका, खण्ड १, अधिनियमन तथा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

श्री जे० के० भोंसले: श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

लाला अचिंत राम (हिसार) : माननीय अध्यक्ष जी, मुझे बड़ी खुशी है कि यह बिल पास होने जा रहा है । इस के पहले का जो इतिहास है वह आप के सामने है उस को देख कर बड़ी खुशी होती है । कम से कम उस इतिहास ने यह बात साफ कर दी है कि हमारे मंत्री जी ने भी यही नुक्तेनज़र पेश करने की कोशिश की है कि यह कम्पेन्सेशन पूल बढ़ाया जाय । वह ऐसा करने में बिल्कुल जस्टीफाइड हैं क्योंकि पब्लिक ओपीनियन उनके पीछे मुत्तहिदा तौर पर है । यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि इस वक्त हिन्दुस्तान की पब्लिक ओपिनियन इस बात के हक़ में है कि कम्पेन्सेशन पूल को बढ़ाया जाय । प्रेस इस के हक़ में है । जहां तक कि कांग्रेस आर्गेनाइजेशन का ताल्लुक है वह इस के हक़ में है । अभी पेप्सू में एक कानफरेंस हुई उस में यह रिजोल्यूशन पेश किया गया कि इस को बढ़ाया जाय । और कम से कम ५० पर सेंट बढ़ाया जाय । पंजाब की कांग्रेस कमेटी की भी यही राय है और जहां तक मैं समझता हूं पंजाब गवर्नमेंट की भी यही राय है । तमाम एसोसियेशन्स ने एक जबान से इस बात को कहा है कि इस को बढ़ाया जाय । जिस वक्त यह बिल इस हाउस में पहले पेश हुआ था उस वक्त भी जितने मेम्बर बोले उन सब ने एक जबान में कहा कि इस को बढ़ाया जाय और कल से जो १४ मेम्बर बोले हैं उन्होंने भी यही कहा है कि इस कम्पेन्सेशन पूल को बढ़ाया जाय । सिलेक्ट कमेटी के ५१ मेम्बरों ने जिन में मिनिस्टर साहब भी शामिल हैं यह कहा है कि इस को ५० पर सेंट बढ़ाया जाय । तो इस मसले पर इतनी यूनैनिमिटी है । पंडित ठाकुर दास ने कहा कि हम कासाये गदाई ले कर कैबिनेट के पास जायेंगे और मंत्री साहब ने जिस हिम्मत से काम लिया है वैसी वह आगे भी दिखायेंगे । मैं तो कहता हूं कि यह कासाये गदाई ले कर जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है । मेरे दिल में तो इन तमाम चीज़ों को देख कर यह सवाल पैदा होता है कि कासाये गदाई ले कर जाने से क्या फायदा होगा । इन सब चीज़ों को देख कर जब मैं यह देखता हूं कि इतनी पब्लिक ओपीनियन को भी गवर्नमेंट नहीं मानती तो मैं सोचता हूं कि : हम कहां रह रहे हैं ? क्या हम जनतन्त्रीय युग में रह रहे हैं ? क्या हम जनतन्त्रीय संविधान के अन्तर्गत रह रहे हैं ? सारे मुल्क की मुत्तहिदा आवाज़ इस के हक़ में है । कोई डिशेंसियेंट वाइस नहीं है । सिलेक्ट कमेटी में कांग्रेस पार्टी वाले और नान कांग्रेस मैन सभी यह कहते हैं कि इस को कम से कम ५० पर सेंट बढ़ाया जाय । अगर इतने पर भी इस को मंजूर न किया जाय तो वह तो ऐसा है कि कोई सूरत को भी न देखना चाहे। आज जो मुल्क

में पब्लिक ओपीनियन है उस को गवर्नमेंट नहीं देखती । मुझे अफसोस है कि यहां फाइनेन्स मिनिस्टर साहब नहीं हैं । अगर वह होते तो इस बात को देख सकते । अगर इतनी ओवरव्हेल्मिग पब्लिक ओपीनियन होते हुए भी कोई इस चीज़ को न देखना चाहे तो उस के मुताल्लिक क्या कहा जाय । इस वास्ते मैं समझता हूं कि जिस तरीके से यह बिल पास हो रहा है वह इस की शहादत है कि इस के बाद और कोई चारा नहीं रहेगा । अगर इतनी पब्लिक ओपीनियन के होते हुए भी इस चीज़ को मंजूर नहीं किया जाता तो हम को सोचना होगा कि हमारा डिमाक्रेसी का दावा कहां तक ठीक है । ऐसा मेरा ख्याल है । इतना तो मैं ने इस बारे में अर्ज कर दिया ।

दो एक चीज़ें और हैं जो कि मैं मिनिस्टर साहब से अर्ज कर देना चाहता हूं । अभी तक किसी ने यह जिक्र नहीं किया कि कम्पेन्सेशन देने में कुल कितना वक्त लगेगा । मिनिस्टर साहब ने कहा है कि तीन बरस लगेंगे । उन्होंने इस काम को करने के लिये अच्छे अच्छे आदमी रखे हैं इस से मुझे सन्तोष हुआ । उन्होंने एक बात कही कि मैं अपनी बात करूंगा और जो ठीक समझूंगा उस को आखिर तक करूंगा । जिस तरह वह अपनी बात पर कायम रहना चाहते हैं वैसे ही वह दूसरों को भी हक़ देंगे । मैं भी उन से बराबर कहता रहा हूं और अब भी कहूंगा कि इस काम में वक्त कम किया जा सकता है । मैं दूसरी मिनिस्ट्रियों को कहता हूं कि वे इन को मदद करें । मैं जानता हूं कि हमारे मिनिस्टर साहब दयानतदार हैं । लेकिन म चाहता हूं कि वह और आदमी लें और इस काम को जल्दी खत्म करें । तीन बरस का वक्त बहुत ज्यादा है । एक जेनेरेशन बीस बरस में खत्म हो जाती है । सात बरस तो पहले ही बीत चुके और तीन बरस आप और लेना चाहते हैं । इस तरह से इस काम में आधी जेनेरेशन खत्म हो जायगी । इस वास्ते मैं फिर कहूंगा कि आप इस काम को जल्द खत्म करें । मैं अब भी कहता हूं कि गवर्नमेंट को यह चाहिये कि बाकी मिनिस्ट्रियों के जरिये इन की मदद करे ताकि यह काम जल्द खत्म हो ।

दूसरी बात जो मैं बहुत थोड़े में अर्ज करना चाहता हूं वह गवर्नमेंट द्वारा इवैकुई प्रापर्टी और सरकारी मकानों की नीलामी के बाबत है और जिस तरह वह नीलाम हो रहा है उस को देख कर मुझे बड़ी हैरानी होती है । आप ने कहा कि ढाई लाख मकान बनाये गये और नीलाम यहां पर केवल २००, या २५० मकानों का किया जा रहा है तो इस के लिये इतना शोर क्यों है ? अभी उस दिन नीलाम आपने किया और वहां पर लाठी चार्ज हुआ, आप कहें कि नहीं हुआ, खैर जो भी हो लेकिन मेरे पास एक आदमी आया जिस से मालूम हुआ कि एक आदमी बेहोश पड़ा है अभी तक, अब वह कैसे और क्यों बेहोश पड़ा है .....

श्री ए० पी० जैन : आप ने अपनी आंखों से देखा ।

लाला अचिंत राम : मैं ने अपनी आंखों से तो नहीं देखा लेकिन मेरे पास दो तीन आदमी आये और उन से मालूम हुआ कि एक शख्स बेहोश पड़ा है । खैर यह मेरा विषय नहीं कि वह क्यों बेहोश पड़ा है या लाठी चार्ज हुआ कि नहीं हुआ, मैं नहीं कह सकता कि क्या बात हुई । हां तो मैं आप को बतला रहा था कि दिल्ली में ऐसे २००, या २५० मकान हैं जो कि नीलाम हो रहे हैं जब कि दिल्ली में ही ऐसे सैंकड़ों और हज़ारों आदमी पड़े हैं जिन को अभी तक मकान नहीं मिले हैं, वह उन को दिये जाने चाहियें ।

श्री ए० पी० जैन : मैं जरा सी बात साफ कर दूं। दिल्ली में दो सौ या ढाई सौ मकानों के अलावा बाकी हिन्दुस्तान में जो खाली मकान हैं हमें उन को बेचने का हक़ है।

लाला अचिंत राम : मैं समझता हूं कि आप का बेचना बिल्कुल मुनासिब और जायज है, शर्त सिर्फ इतनी है कि आप के बचने से कोई आदमी बेघर न हो जाय। अगर कोई बेघर न रहे तो आप को बेचने का पूरा हक़ है। लेकिन अगर अभी लोग बेघर हों, तो आप का बेचना मुनासिब और जायज नहीं है।

दुकानों के बारे में जो आप ने कहा कि क़ीमत ज्यादा है या कम है तो इस बारे में भी आप को ख्याल रखना ज़रूरी है कि आप के फ़ेल से कोई आदमी बेदुकान न हो जाय। उस बेचारे ने बड़ी मुश्किल से पिछले सात वर्षों से अपने बिजनेस को वहां किया है, वह कहीं उन दुकानों के बाहर न कर दिया जाय। जिससे वह बेकार हो जाय और उस की रोज़ी जाती रहे, बड़ी मुश्किल से इस अर्से में वह वहां अपना बिज़नेस ठीक तरह से जमा पाया है। बस मुझे यही चन्द बातें अर्ज करनी थीं।

श्री एम० एच० रहमान (जिला मुरादाबाद–मध्य) : मिस्टर चेयर मेन, मुझे इस बात की खुशी है कि आज हम एक बड़े फर्ज से सुबकदोश हो रहे हैं और ज्वायन्ट सेलेक्ट कमेटी ने जो आप के सामने बिल रखा है, इस को हम पास कर रहे हैं। ज्वायन्ट सेलेक्ट कमेटी के एक मेम्बर की हैसियत से मैं यह समझता हूं कि मुत्तफिक़ा राय से बहुत खूबी के साथ तमाम मामलात तै हुए और इस बात को सभी मान रहे हैं जैसे अभी हमारे भाई श्री अचिन्त राम ने फरमाया है कि हम ऐसा महसूस करते हैं कि अब तक जो काम किया गया है वह बहुत कम है और इस से ज्यादा इस अरसे में किया जाना चाहिये था और ज्यादा से ज्यादा हमारे रिफ्यूजी भाइयों को मदद मिलनी चाहिये और इस के लिये जो भी तरीके हों उन को अख्तियार करना चाहिये। इस काम को अंजाम देने के लिये मुख़तलिफ लेजेस्लेशन दिये गये हैं और जब जब जरूरत होगी और भी मुख़तलिफ किस्म की चीज़ें पेश करेंगे। लेकिन एक बात एहसास कर के मुझे बहुत तकलीफ हुई है। और वह मैं आप को बतला दूं कि कल जो यहां पर तकरीरें हुईं इन से यह महसूस होता था कि गोया रिफ्यूजी भाइयों का मसला कुछ ऐसा मसला है कि वह हिन्दुस्तान के बसने वाले मुसलमान भाइयों के मुकाबले में कोई एक मुख़ालिफत की स्पिरिट रखता है। बार बार एक ऐसे अन्दाज से यहां पर बात की गई कि जिस से यह नतीजा निकले बगैर नहीं रह सकता। याद रखिये कि हमारी पार्लियामेन्ट में जो तकरीर होती हैं वह सिर्फ इस पार्लियामेंट हाउस तक ही महदूद नहीं रहतीं बल्कि बाहर पब्लिक पर भी इस का बहुत बड़ा असर होता है। मेरा दिल यह चाहता है कि जिस तरह हमारे दिलों में रिफ्यूजी भाइयों का एहसास है और हम ने सैकड़ों इंडिविजुअल केसों में अपने हिन्दू और सिक्ख रिफ्यूजी भाइयों की मदद की है और आम तौर पर उन की मदद की जाती रही है तो वह ठीक है और होना चाहिये लेकिन हाउस में जिम्मेदार आदमी इस किस्म की तकरीरें न करें जिस से यह महसूस हो कि मुसलमान एक अलग चीज़ हैं और जब कभी कोई रिफ्यूजीज़ का मसला आये, जब कभी कोई ऐसी बात आये तो हिन्दुस्तान के मुसलमान को ला कर खड़ा कर दिया जाये। जिस से बेचारे रिफ्यूजी यह समझें कि इन बदबख्त मुसलमानों की वजह से हमारे काज़ को नुकसान पहुंचता है। हमारे श्री

टण्डन जी ने और सुचेता जी ने जैसी तरकरीरें की हैं वह इस तरफ इशारा करती हैं। यह जो तरीका कार हैं, मैं इस तरीका कार की सख्त मुखालिफत करता हूं और मैं समझता हूं कि यह तरीका इस हाऊस के जिम्मेदार अरकान की तरफ से नहीं होना चाहिये ....

श्रीमती सुचेता कृपालानी : मुझे इस पर एतराज है। मैंने ऐसी कौनसी बात कही जिस पर आपने यह एतराज किया ?

श्री एम० एच० रहमान : आप ने जो यह कहा कि मुसलमानों के साथ नरमी बरती जाती है और एक साहब ने कहा कि इस का असर कम्पेन्सेशन पूल पर खराब पड़ता है।

श्रीमती सुचेता कृपालानी : माननीय सदस्य ने मेरे विरुद्ध जो अवांछित आरोप लगाया है मैं उसे साफ कर देना चाहती हूं।

मैं बीस वर्ष से जनता की सेवा कर रही हूं (अन्तर्बाधा) और डा० जाफिर हुसैन से पूछिये कि सामुदायिक दंगों के अन्दर मैं ने मुसलमानों की बस्तियों में जाकर उन की कितनी सेवा की है। कल मैं ने ही कहा था कि मैं पाकिस्तान से दबने की सरकार की नीति को पसन्द नहीं करती हूं और यदि इस बात से माननीय सदस्य दुख का अनुभव करते हैं, तो करें।

श्री एम० एच० रहमान : इन को तो बोलने का मौका दिया जाता है कि वह अपनी बात कहें और मैं जो दो मिनट अपनी बात कहना चाहता हूं मुझे मौका नहीं दिया जाता है। मैं कायदे का पाबन्द हूं इसलिये मैं तो नहीं बोलूंगा लेकिन जिन को बोलने का हक़ भी नहीं होना चाहिये वह बराबर बोले जा रहे हैं, यह कौन सा तरीका है ?

सभापति महोदय : दोनों सदस्यों को सभा में इस प्रकार झगड़ना नहीं चाहिये। इसे सुलझाने के अन्य उपाय हैं।

श्रीमती सचेता कृपालानी : तो कृपया अभिलेख की जांच की जाये।

श्री जे० के० भोंसले : मैं सभा के सदस्यों का उन के रचनात्मक दृष्टिकोण के लिये आभारी हूं। इस विधेयक के पारित हो जाने से हजारों विस्थापित व्यक्तियों का कल्याण होगा।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

संविधान (तृतीय संशोधन) विधेयक

सभापति महोदय : अब माननीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री संविधान (तृतीय संशोधन) विधेयक पर चर्चा किये जाने के प्रस्ताव को प्रस्तुत करेंगे।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार किया जाये।

सभा के समक्ष इस विधेयक को प्रस्तुत करने में इस बात से मेरा काम बहुत सरल हो गया है कि प्रवर समिति ने विधेयक में कोई परिवर्त्तन नहीं किया है। खण्ड २ में, प्रविष्टि ३३, उपधारा (क) के अधीन, केवल एक परिवर्त्तन किया गया है, और यह शाब्दिक परिवर्त्तन है जिस का उल्लेख रेखांकित शब्दों "where the control of such industry" ("जहां ऐसे उद्योग का नियंत्रण") के द्वारा किया गया है। माननीय सदस्य इस परिवर्त्तन, पूर्णतः शाब्दिक परिवर्त्तन, को स्वीकार करेंगे, और इस से विशिष्ट उपधारा के अर्थों में कोई परिवर्त्तन नहीं होता है। मैं समझता

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

हूं कि यदि मैं माननीय सदस्यों के भाषणों की ओर कुछ ध्यान नहीं देता हूं, तो जितना आदर मुझे उन माननीय सदस्यों के प्रति दर्शाना चाहिये, जिन्होंने प्रवर समिति के इस प्रतिवेदन के संबंध में विमति टिप्पणी प्रस्तुत की है, तो मैं आदर प्रकट करने के अपने कर्त्तव्य के प्रति न्याय नहीं कर सकता हूं ।

जिन माननीय सदस्यों ने विमति टिप्पणी प्रस्तुत की है, उन में से बहुत से विख्यात वकील और सार्वजनिक जीवन के अनुभवी हैं और जो कुछ उन्होंने कहा है उस की ओर कुछ ध्यान दिया जाना चाहिये । किन्तु खेद की बात यह है कि प्रवर समिति के प्रतिवेदन से संम्बद्ध विमति टिप्पणी में जो कुछ सभा में व्यक्त किया गया था उस के अतिरिक्त कोई नई बात नहीं कही गई है । विमति टिप्पणी इस साधारणीकरण पर केन्द्रित है कि यदि संशोधन पारित हो गया, तो भारतीय गणतंत्र के अंगभूत एककों के अधिकारों और शक्तियों पर भीषण प्रहार होगा । मैं समझता था कि जब मैं ने प्रवर समिति को सौंपे जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था उस दिन जो कष्ट मुझे सहने पड़े, उन्होंने यह दर्शाया होगा कि अनुच्छेद ३६९ में प्रमाणित शक्तियों में से बहुत सी शक्तियां, अनुसूचि ७ की सूची १ के मद ५२ के अधीन की गई एक घोषणा के द्वारा केन्द्र में आवश्यक रूप से ले ली गई हैं, और मद ३३ के संशोधित में वर्णित कुछ मदें भी अप्रत्यक्ष रूप से, या सम्भवतः प्रत्यक्ष रूप से, आती हैं जो उन उद्योगों को जीवित रखने के लिये आवश्यक हैं, जो राष्ट्रीय महत्त्व वाले घोषित किये जा चुके हैं और इस से केवल बहुत केवल खाद्य सामग्री ही बचती है । मैं समझता हूं कि जिन सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया है, उन्होंने , इस बात को ध्यान में रखते हुए कि संघ में बहुत से ऐसे अंगभूत एकक हैं जहां खाद्य पदार्थों की कमी है, खाद्य पदार्थों के विषय में केन्द्र द्वारा किसी प्रकार के एक समग्र विनियमन की आवश्यकता पर जोर दिया है । मैं नहीं समझ सकता कि यदि खाद्य पदार्थों के मसले में संघ के कमजोर एककों के हितों के रक्षणार्थ आवश्यक हो तो विनियमात्मक उपाय का उपबन्ध करने वाला कोई विधान समग्र रूप में अंगभूत एककों के अधिकारों और शक्तियों का कैसे भीषण अतिक्रमण करने वाला हो सकता है ।

मैं तो कहूंगा कि समवर्ती शक्तियों के रूप के विषय में कुछ भ्रान्ति अथवा अशुद्धि है, जिस का विमति टिप्पणी में वर्णन किया गया है । मैं, बाद में, यदि समय मिला, तो संधान में समवर्ती शक्तियों की स्थिति के इस पहलू विशेष पर बोलूंगा । अमरीका के संविधान में, संधानिक संविधान के बन चुकने के पश्चात्, संधान में समवर्ती शक्तियों का अस्तित्व स्वीकार किया गया था । और अब यह समस्त विशेषज्ञों द्वारा स्वीकार किया जा चुका है कि समवर्ती शक्तियों का अस्तित्व मात्र ऐसा तत्व नहीं है जो संधान के दोनों भागों अर्थात् संघ और एककों को दी गई शक्ति की सीमा को कम करता है ।

इस में एक वाक्यांश विशेष रूप से प्रयुक्त किया गया है, जो बहुत रोचक प्रतीत होता है, किन्तु जो अपने संविधान के कारण अत्यधिक भयानक है, और इस लिये भ्रांतिपूर्ण है । जो वाक्यांश प्रयुक्त किया गया है वह यह है :

> "अनुच्छेद ३६९ के अधीन यदि संसद् अपने प्राधिकार का पूर्ण प्रयोग करती है, जैसा कि इस ने पहले ही पर्याप्त रूप

में किया है, तो 'अधिकृत क्षेत्र' का सिद्धांत राज्यों को इन मामलों के संबंध में अपनी वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करने से प्रतिबंधित कर देगा।"

समवर्ती शक्तियों के संबंध में 'अधिकृत क्षेत्र' का सिद्धांत, और अधिकार की सीमा को बड़ी सावधानी के साथ पढ़ना होगा। वाक्यांश बहुत रोचक प्रतीत होता है और हो सकता है कि मोटे शीर्षकों में दिया जाये। कोई समाचार पत्र कह सकता है कि अमुक व्यक्ति ने "अधिकृत क्षेत्र" के सिद्धान्त का विस्तार किया है। परन्तु मैं माननीय सदस्यों को चेतावनी दूंगा कि "अधिकार" का प्रश्न विशुद्ध रूप से सापेक्ष है क्योंकि यहां अब कुछ सापेक्ष है। किसी भी संविधान में जब आप संघ और एककों की शक्तियों की चर्चा करते हैं तो स्थिति निश्चय ही सापेक्ष होती है और "अधिकृत क्षेत्र" राज्यों द्वारा उपक्रम किये जाने की शक्ति को पूर्णतया समाप्त नहीं कर देता है।

जब मैं ने पिछले अवसर पर भाषण दिया था, तो मैं ने अनुच्छेद ७३ के उप खण्ड (१) के परन्तुक के अस्तित्व के विषय में भी बताया था, जो निश्चित रूप से कार्यकारिणी उत्तरदायित्व के प्रश्न का सीमांकन करता है। साथ ही इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि अनुच्छेद ३६९ के अधीन संघ को दी गई शक्तियों के प्रशासन में, उत्तरदायित्व की अस्पष्टता यथासंभव कम हुई है, और राज्यों के क्षेत्रों में कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है। उसे ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है कि राज्य क्षेत्र में संघ के प्राधिकार का कोई अनुचित प्रयोग किया गया है। इस लिये मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि इस में प्रयुक्त और उद्धरण चिन्हों के अन्दर रखे गये वाक्यांश के प्रलोभन में न आयें। जब वैधानिक विशेषज्ञ बोलना प्रारम्भ करेंगे तो हम इस के विषय में और अधिक सुनेंगे।

संविधान बनाते समय संविधान सभा के सामने जो स्थिति थी, वह अब हमारे सामने जो स्थिति है, उस से मूल रूप में भिन्न नहीं थी। मैं उन माननीय सदस्यों से सहमत हूं, जिन्होंने विमति टिप्पणी लिखी है और उस समय की ऐसी स्थिति का पूर्व विचार किया है जो आज की स्थिति से मूल रूप में भिन्न नहीं है। मैं समझता हूं कि जब मैंने प्रारम्भ में भाषण दिया था तो मैं ने अपने आपको स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त कर दिया था कि जहां तक अनुच्छेद ३६९ के गठन का सम्बन्ध था, यह न्यूनाधिक उन शक्तियों का विस्तार करना मात्र था, जो १९४६ में संविधान के संशोधन द्वारा भारत की केन्द्रीय सरकार को दी गई थीं, और अनुच्छेद ३६९ के अन्तर्गत मदें बिल्कुल वही थीं, जो १९४६ के उस संशोधन के अन्तर्गत आते थे, जो युद्धकालीन उपायों को स्थिरता प्रदान करना चाहता था। इस लिये माननीय सदस्यों का यह विचार करना गलत है कि १९४६ में युद्ध काल के बीच जो अवस्था थी, और जिसे १९४९ में भी अपनाया गया था वह भारत की इस समय की स्थिति को ठीक तरह से व्यक्त नहीं कर सकेगी। यदि दूसरी ओर, हम उस समय इस बात को छोड़ देते कि स्थिति पर अधिक ध्यान पूर्वक विचार करना होगा, तो अनुच्छेद ३६९ में वर्णित बहुत से विषयों को वहां स्थान न मिलता, क्योंकि हम अनुसूची ७ की सूची १ की मद ५२ के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा शक्तियां लेने का उपबंध कर सकते थे। यदि माननीय सदस्यों ने यह कहा होता कि आज की स्थिति १९४९ से भिन्न है, तो, जैसा कि किसी व्यक्ति ने कहा है, खाद्य स्थिति तुलनात्मक संतोषजनक थी, तो संभवत: उन के कथन में कुछ

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

सत्य का अंश हो । किन्तु खेद की बात है कि यह स्थिति का ठीक चित्रण नहीं है ।

मैं समझता हूं कि विमिति टिप्पणी में एक पैरा बिल्कुल असंगत है । कहा गया है "इस महत्वपूर्ण संविधानिक समस्या के मनोवैज्ञानिक पहलू को भी ध्यान में रखा जाना चाहिये" । मैं पूर्णतया सहमत हूं । मनोविज्ञान, न केवल संधान में एककों और संघ के कार्यों में महत्वपूर्ण भाग लेता है, बल्कि व्यक्तियों के कार्यों में भी भाग लेता है, जो इन दोनों क्षेत्रों के प्रशासन के भाग का निर्णय करते हैं वे कहते हैं "केन्द्र द्वारा इतनी व्यापक शक्तियों का कारण किये जाने से माननीय सदस्य की कल्पना कर रहे हैं--स्थानीय और प्रादेशिक उपक्रम, जो विभिन्न राज्यों में उद्योगों के विकास के लिये भी अत्यधिक आवश्यक है, केन्द्र में शक्ति के केन्द्रीकरण के कारण एकबारगी ही शिथिल हो जायेंगे" । मैं इसे नहीं समझ सकता हूं । इस के अन्तर्गत वे उद्योग आते हैं, जो पहले से ही संघ के नियंत्रण में हैं, अर्थात् पटसन उद्योग, कपास उद्योग, बनस्पति उद्योग, और चीनी उद्योग । और इस लिये उद्योगों के मामले में राज्यों के पास जो क्षेत्र छोड़ा गया है, वह शून्य प्राय है । किन्तु, यह कहना, कि इस संशोधन के द्वारा राज्यों का औद्योगिक उपक्रम नष्ट हो जायगा, मैं समझता हूं कल्पना की बहुत ऊंची उड़ान है ।

वस्तु नियंत्रण समिति के विषय में कहा गया है । मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जब आप संसद् जैसे विशाल विकाय से संविधान में परिवर्त्तन करने की सिफारिश करना चाहते हैं, तो इस की जांच आवश्यक होनी चाहिये । मैं ने यह बात कभी नहीं कही कि वस्तु नियंत्रण समिति बृहत् शक्ति वाले लोगों से बनाई गई थी किन्तु मैं यह अवश्य कहूंगा कि यह वे व्यक्ति थे, जो अपने काम को जानते थे और राजनैतिक पक्षपात से दूर थे ।

श्री अशोक मेहता (भंडारा) : उस में राज्य सरकारों का कोई प्रतिनिधि क्यों नहीं लिया गया था ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : वस्तु नियंत्रण समिति इस लिये नहीं बनाई गई थी कि वह संविधान के संशोधन का आधार बनाये । वास्तिविकता यह थी कि इस के बनाने का उद्देश्य यह था कि नियंत्रण सुचारु रूप से तथा सफलतापूर्वक चलाये जायें । राज्यों में विविध विनियम थे और केन्द्र में भी कुछ विनियम थे, और प्रायः हम में विरोध रहता था । जिस के कारण ऐसे निर्णय किये गये । इस समिति को बनाने का उद्देश्य यह था कि राज्यों के और केन्द्रों के विनियमों की जांच की जाये, और समस्त विषय की जांच करके प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाये ।

श्री अशोक मेहता : कोई निश्चय करने के लिये, राज्यों का दृष्टिकोण जानना आवश्यक नहीं समझा गया था ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : माननीय मित्र कृपया मुझे क्षमा करेंगे यदि मैं उन्हें प्रतिवेदन का अध्ययन करने के लिये कह दूं । राज्य सरकारों का दृष्टिकोण भली भांति प्रकट हो गया था क्योंकि राज्यों की सलाह ली गई थी । योजना आयोग से भी परामर्श लिया गया था तथा अन्य अभिरुचि रखने वाले दलों की राय भी ली गई थी । इस का अर्थ आवश्यक रूप से यह नहीं है कि इस प्रकार की जांच में केवल राज्य सरकार के प्रतिनिधि उपस्थित होने के तथ्य से ही

इस दृष्टिकोण की पुष्टि होती है। वास्तव में राज्य बहुत से हैं यदि हम २७ प्रतिनिधि बुलाते तो समिति बहुत बड़ी हो जाती। राज्य सरकारों के दृष्टिकोण पर विचार किया गया था। मैं वस्तु नियंत्रण समिति के प्रतिवेदन की मीडज़ तथा परशियन विधि से तुलना नहीं करता हूं। मैं तो केवल सभा के माननीय सदस्यों के निर्णय करने में प्रयुक्त बुद्धिमत्ता के समक्ष नत मस्तक हूं। मैंने कहा था कि वस्तु नियंत्रण समिति ने आपके विचार के लिये यह तथ्य तैयार किये हैं। मेरे विचार में इस विमति टिप्पणी के लिखने वाले सदस्य गलत थे। यदि सरकार को पीटने के लिये उन्हें एक दंड चाहिये था तो उन्हें प्रत्येक वस्तु को काम में लाने का अधिकार है। मैं शिकायत तो नहीं करता हूं। जब एक बार मैं किसी इस प्रकार के विधयक को सभा के समक्ष प्रस्तुत करता हूं, तो कोई चाहे जो कहे, मैं सहन करने को तैयार हूं। मेरे विचार में इस में वस्तु नियंत्रण समिति के प्रतिवेदन को लाना आवश्यक नहीं है। जो तथ्य समिति के सदस्यों ने निर्धारित किये थे वह सभा के सामने रखे जाने को थे। आप उन्हें स्वीकार करें या अस्वीकार करें, अथवा यह कहें कि समिति उच्च शक्ति प्राप्त नहीं थी। अथवा यह सदस्य कुछ जानते बूझते नहीं थे। आप कह सकते हैं कि इस प्रतिवेदन पर विश्वास किया गया है। विश्वास तो किया ही जाना था। यदि मैं सात माननीय सदस्यों की विमति टिप्पणी पर विश्वास कर सकता हूं तो मैं समिति द्वारा प्रस्तुत किये गये कुछ तथ्यों पर अवश्य विश्वास करूंगा। यह तो केवल असंगत तथा आवेशपूर्ण बातों के द्वारा मुख्य विषय से परे ले जाने वाली बात है। मैं सभा से प्रार्थना करता हूं कि वस्तु नियंत्रण समिति के प्रतिवेदन पर की गई आलोचना की ओर गंभीर रूप से ध्यान न दे।

वस्तु नियंत्रण समिति की जांच के परिणाम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव): परिणामों की आलोचना नहीं की गई है अपितु यह कहा गया है कि उस समिति में राज्यों के प्रतिनिधि नहीं थे।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: यह विधेयक किसी प्रकार हानिकारक नहीं है। अतः मैं इस का समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री अशोक मेहता: कांग्रेस के अतिरिक्त अन्य सभी दल इस संशोधन के विरोध में हैं। यहां तक कि कांग्रेस दल में भी मतभेद है और उस का प्रमाण यह है कि बहुत से राज्य अथवा सरकारें जो कांग्रेस दल की हैं, वे इस के विरोध में हैं। भारतवर्ष के सब से बड़े प्रांत उत्तर प्रदेश ने इस के बारे में अपना कोई मत नहीं दिया है। बिहार, बम्बई, आसाम और त्रावनकोर-कोचीन ने इस का विरोध किया है, कुछ राज्यों ने अभी उत्तर नहीं भेजे हैं तो कुछ राज्य अभी विचार ही कर रहे हैं। जिन राज्यों ने अपनी सहमति दी है उन की सब की जन संख्या सारे देश की जन संख्या का चौथा भाग भी नहीं हैं। और वे तो केन्द्र से दबे हुए राज्य हैं।

इस संविधान की रचना गम्भीर आर्थिक हेरफेर के समय हुई थी। थोक मूल्य देशनांक ३०२ से बढ़ कर ३९० हो गया था। संविधान के रचयिता उस समय नियंत्रण, विनियंत्रण तथा पुर्ननियंत्रण के अनुभवों से प्रभावित थे। अतः उन्होंने संविधान की वर्त्तमान रूप में रचना की और उन्होंने अन्तर्कालीन तथा अस्थायी अधिकारों की व्यवस्था की। आज उन अधिकारों को

[श्री अशोक मेहता]

स्थायी बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है यह कहा गया है कि जब तक केन्द्र को ये अधिकार नहीं मिलते तब तक उत्पादन के संगठन तथा कपास आदि अन्य वस्तुओं की बढ़ोतरी की उपयुक्त देखभाल करना संभव नहीं होगा । मेरा विचार है कि जूट के सम्बन्ध में सरकार के पास ऐसे अधिकार नहीं हैं । १९४७-४८ से १९५२-५३ के बीच जब कि जूट पर ऊपर से सरकार का नियंत्रण नहीं था उस के उत्पादन में ३०० प्रतिशत वृद्धि हुई और कपास के उत्पादन में, जब कि इस पर सरकार का ऊपर से पूर्ण नियंत्रण था, केवल १५० प्रतिशत की वृद्धि हुई । अतः ऐसा कहना ठीक नहीं है कि नियंत्रण के बिना सुधार तथा विकास संभव नहीं है । यह कहा गया है कि इन वस्तुओं में समग्र रूप में अथवा अकेली अकेली वस्तु में कमी होने का भय है । यदि समग्र रूप से भी कमी होती है, तो यह विशेष बात है, जिस के लिये संविधान में व्यवस्था कर दी गई है । यदि किसी वस्तु विशेष में कमी आती है तो इस वस्तु नियन्त्रण समिति ने बातया है कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिये । समिति ने एक सुझाव में 'अन्तराल प्रशासन की स्थापना करने के लिये कहा है किन्तु मेरी समझ में यह नहीं आता कि अन्तराल प्रशासन की स्थापना करने में राज्यों से ये अधिकार क्यों ले लिये जायें । फसलों के आयोजन तथा उन के उत्पादन पर नियंत्रण किये बिना इन मामलों में नियंत्रण करना संभव नहीं होगा ।

माननीय प्रस्तावक का ध्यान उत्तर प्रदेश की नियंत्रण जांच समिति के प्रतिवेदन की ओर आकर्षित करता हूं । उस से आप को अनुभव हो जायेगा कि जैसे ही आप खाद्यान्नों के उत्पादन पर नियंत्रण करना प्रारम्भ करते हैं वैसे ही फसलों के आयोजन पर भी आप को नियंत्रण करना पड़ेगा जिस का अभिप्राय यह होगा कि राज्यों के अधिकारों में भी अनधिकार हस्तक्षेप हो जायेगा । और ऐसा करने में प्रजातन्त्रीय प्रक्रिया से हम अलग हट जायेंगे । सरकार को प्रजातन्त्रीय समायोजन की कला सीखनी तथा सिखानी चाहिये ।

राज्यों को हमें अवसर देना चाहिये । राज्यों के प्रतिनिधियों को बुला कर सर्वसम्मत सूत्र निकालना चाहिये । इस संशोधन के स्वीकार हो जाने पर आप को कुछ विशेष अधिकार मिल सकते हैं किन्तु उन का परिणाम क्या होगा ? जब तक कि सम्बन्धित राज्यों की जनता को आप सन्तुष्ट न करें और उन्हें यह न बतायें कि उनके साथ न्याय किया गया है तब तक जो सुधार अथवा प्रशासनीय परिवर्त्तन आप करना चाहते हैं उन में आप को सफलता नहीं मिलेगी । आप को तो समायोजन के उपाय तथा साधनों को सीखना और जनता को सिखाना चाहिये । प्रजातन्त्र का यही सार तथा उसकी यही कला है ।

स्थानीय शासी निकायों को तो कमजोर बनाने की अपेक्षा मजबूत बनाना है । यह कहा गया है कि समवर्ती अधिकारों का उपयोग केवल आकस्मित अधिकारों के रूप में ही किया गया है । किन्तु माननीय मंत्री का यह विचार नहीं है । वे इन अधिकारों का प्रयोग करना चाहते हैं । उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था ये अधिकार केवल आकस्मिक अधिकार नहीं हैं । चाहे वे समवर्ती अधिकार कहायें किन्तु निकट भविष्य में उन का प्रयोग होने वाला है । इस सम्बन्ध में चाहे आप प्रजातन्त्रीय शक्तियों से बच कर निकलने की या उन्हें एक ओर हटा कर आगे बढ़ने का प्रयत्न करें किन्तु

आप उन से बच नहीं सकते । स्वयं मंत्रालयों में ही मत भेद होगा । मेरा विचार है कि इस प्रकार के विरोध अनिवार्य हैं । इन विरोधों को कैसे दूर किया जाये ? उस का यही उपाय है कि सभी को एक सम्मत तथा समायोजन करना सीखना चाहिये । यदि ऐसा नहीं हुआ तो उस का परिणाम यह होगा कि प्रजातन्त्र की नींव खोखली हो जायेगी और ऊपर के कुछ व्यक्तियों के हाथ में ही सत्ता रह जायेगी ।

अंत में माननीय प्रस्तावक से मैं निवेदन करता हूं कि वे राष्ट्र की समृद्धि के दृष्टिकोण को ध्यान में रखे । इस संशोधन के द्वारा तो आप राष्ट्र की मज़बूत नसों को कमज़ोर बना रहे हैं ।

श्री के० के० बसु : मंत्रियों की तो बहुत कुछ यह आदत हो गई है कि जब कभी वे कोई प्रतिक्रियात्मक विधान रखते हैं तो उस विधान को निरापद बता कर उसे पारित कराने का प्रयत्न करते हैं । इस विधेयक के आशय को हमें वैधानिक प्रजातंत्र की दृष्टिकोण से देखना होगा ।

माननीय **मंत्री** का यह कहना है कि यह संशोधन **विधेयक** देश-हित की दृष्टि से बहुत ही आवश्यक है । हमें यह देखना है कि यह बात कहां तक ठीक है । जब इस विधेयक को प्रवर समिति को देने के प्रस्ताव पर चर्चा चल रही थी तो माननीय मंत्री ने कहा था कि कुछ राज्यों ने इस संशोधन का समर्थन किया है । किन्तु राज्यों के मतों का यदि हम विश्लेषण करके देखें जैसा कि श्री अशोक मेहता ने किया है, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस तथ्य में कुछ जान नहीं है ।

अब हमें यह देखना है कि संविधान के बनने के इतनी जल्दी बाद क्या कुछ उन उपबन्धों में, जिन को कि संविधान बनाने वालों ने जानकर संविधान में रखा है, संशोधन करना चाहिये ? अनुच्छेद ३६९ के अनुसार इन वस्तुओं के सम्बन्ध में केन्द्र को नियंत्रण का अधिकार ५ वर्ष के लिये दिया गया है । किन्तु संविधान बनाने वालों ने, जो एक प्रकार से इसी दल के थे जिस की आज सरकार है, उस समय की स्थिति को देखते हुए भी, नियंत्रण के अधिकार केन्द्र को केवल पांच वर्ष के लिये दिये थे, यदि वे चाहते तो और यह समझते कि देश-हित को ध्यान में रख कर ये अधिकार स्थायी तौर पर केन्द्र के पास ही रहने चाहियें तो वे ऐसा उपबन्ध बना देते । और केन्द्र को ये अधिकार उतने ही समय के लिये मिल जाते जितने समय के लिये कि वे चाहते । किन्तु ऐसा नहीं हुआ ।

कल एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि उस समय कोई निश्चित योजना नहीं थी । किन्तु यदि आप संविधान के मूल अधिकारों या निदेशक तत्वों संबंधी अध्यायों को पढ़ें तो आप को स्पष्ट हो जायेगा कि संविधान बनाने वालों के मस्तिष्क में यह बिल्कुल स्पष्ट था कि हमारे देश में यथेच्छा-कारिता नहीं होनी चाहिये अपितु गैर सरकारी अधिकारों पर एक प्रकार का नियंत्रण अथवा एक प्रकार का प्रतिबन्ध होना चाहिये । अतः यदि वे चाहते तो तभी संविधान में ऐसा उपबन्ध बना सकते थे कि ये अधिकार भविष्य में केन्द्रीय सरकार के पास रहेंगे । किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उन्होंने सोचा कि इन पांच वर्षों के बीच स्थिति ठीक हो जायगी । हो सकता है कि कुछ राज्यों म या कुछ स्थानों पर खाद्य की स्थिति ठीक हो गई हो; यही बात रुई के लिय भी हो सकती है, किन्तु ट की स्थिति बहुत चिंता-

[श्री के० के० बसु]

जनक है। फिर ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा संविधान में इस प्रकार का संशोधन करने में क्या तुक है ? जब सरकार स्वयं कहती है कि खाद्य तथा रुई की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है तो फिर सरकार के लिये इन अधिकारों को हमेशा के लिये अपने पास रखने में क्या तुक है। जब कि यह संविधान इतना विचार तथा वाद-विवाद होने के पश्चात् बनाया गया था तब इतनी जल्दी इस में संशोधन की क्या आवश्यकता हुई। मेरे विचार में विधि मंत्री ऐसा कोई मामला नहीं बना सकेंगे जिस के द्वारा वे कह सकें कि इस लिये हमें संशोधन की आवश्यकता हूई।

संविधान के अनुच्छेद २४९ के अधीन दिया हुआ है कि राष्ट्र की भलाई के लिये, राज्यों के अधिकार, केन्द्र में एक वर्ष के लिये रखे जायेंगे तथा यदि इस परिस्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ तो राज्य-सभा एक संकल्प के द्वारा इस की अवधि को और बढ़ाने की मांग कर सकती है। तथा इस संकल्प के पारित होने के पश्चात् ये अधिकार केन्द्र में रखे जा सकते हैं, क्योंकि संविधान के अनुसार राज्य-सभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। संविधान निर्माताओं ने जान बूझ कर राज्य-सभा को यह अधिकार दिया क्योंकि उन्होंने सोचा कि लोक-सभा में दो अथवा तीन राज्य मिल कर इस संकल्प का पारण करा सकते हैं जब कि राज्य-सभा का निर्माण इस प्रकार से हुआ है कि एक राज्य अपने प्रभुत्व से कोई कार्य नहीं करा सकता। अन्यथा वे सूची १ की प्रविष्टी ५२ में दे देते कि संसद् एक संकल्प द्वारा इन अधिकारों को केन्द्र में ही न्यस्त कर सकती है। अतः वे अनुच्छेद २४९ द्वारा राज्यों के अधिकारों की रक्षा करना चाहते थे।

मैं इस कथन की पुष्टि करता हूं कि हमारा संविधान एकात्मक है तथा अवशिष्ट अधिकार केन्द्र को ही होने चाहियें। परन्तु फिर भी राष्ट्रीय आन्दोलन के कारण हमें कुछ अधिकार केन्द्र में तथा कुछ राज्यों में व्यस्त करने चाहियें। ऐसी परिस्थितियों के कारण भी मैं यह नहीं समझ पाया कि संविधान में इतना शीघ्र परिवर्त्तन करने की और राज्यों के अधिकार समाप्त करने की क्या आवश्यकता हुई; तथा यदि वे परिवर्त्तन करना ही चाहते हैं तब उन्हें सारा संविधान बदल कर, सब अधिकार केन्द्र को ही देने चाहियें तथा राज्यों के अधिकार म्यूनिसिपैलिटियों को दे देने चाहिये। हमारे विधि मंत्री को ईमानदारी के साथ साथ कहना चाहिये कि इन चार, पांच वर्षों में हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है अतः सब अधिकार केन्द्र में ही व्यस्त करने पर ये कठिनाइयां हमारे समक्ष नहीं आयेंगी। ये अधिकार केन्द्र को ही दिये जाने चाहियें, तथा राज्यों के अधिकार म्यूनिसिपैलिटियों को दे देने चाहियें।

सरकार को विधान के अनुसार कुछ अधिकार होते हैं। तथा इन अधिकारों के द्वारा वे बहुत से कार्य करने में सफल हो सकते हैं, परन्तु उन्होंने किया क्या ? दो वर्ष पहले डा० देशमुख ने एक प्रश्न रुई के अधितमक मूल्य के संबंध में पूछा था। वह समय था जब कि रुई-उत्पादकों को कुछ रक्षण दिया जा सकता था, परन्तु क्या सरकार ने कोई रक्षण दिया तथा क्या राष्ट्र के लाभ के लिये उन्होंने अपने इन अधिकारों को व्यवहार में लाया ?

अभी कुछ दिन हुये जब अभ्रक उद्योगों पर वाद-विवाद हुआ तो क्या सरकार ने कर्मचारियों की सहायता हेतु अपने अधिकारों

का प्रयोग किया ? नहीं । जूट उद्योग में भी ऐसा ही हुआ । यदि संविधान में सुधार किया गया तो क्या सरकार जूट-उत्पादकों की सहायता करेगी । माननीय मंत्री जानते हैं कि जूट कलकत्ते में २० रुपये कि दर पर बिक रहा है परन्तु जूट-उत्पादकों को वेतन केवल १४ या १५ रुपये ही मिलते हैं । वे केवल बड़े व्यापारियों को रक्षण देने के लिये ही इन अधिकारों को चाहते हैं । बैंक पंचाट के मामले में सरकार ने इन बड़े व्यापारियों को बचाने के लिये कितना लज्जास्पद व्यवहार किया है ।

चीनी उद्योग में भी ऐसा ही हुआ । माननीय खाद्य तथा कृषि मंत्री ने एक वर्ष पहले चीनी पर कर लगाते समय कहा था कि दो महीने पश्चात् नई चीनी बाज़ार में आ जायेगी और चीनी सस्ते मल्य पर मिलेगी, परन्तु दो मास पश्चात् भी चीनी के भाव नहीं गिरे । तब हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा था कि जनता में चीनी की अत्यधिक खपत हो रही है अतः चीनी के भाव बढ़ रहे हैं ।

सत्तारुढ़ होने के नाते कांग्रेस राज कर रही है तथा मुझे ज्ञात हुआ है कि इन चीनी उद्योग वालों ने चुनाव में कांग्रेस को आर्थिक सहायता दी थी ।

मैं किसी भी प्रकार सरकार के तथ्यों को मानने के लिये तैयार नहीं हूं क्योंकि सरकार ने अपने उन अधिकारों का सदुपयोग नहीं किया है जो कि राज्यों से लिए गए हैं । अतः मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि वे पार्टीवादी संकीर्णता को छोड़ कर ध्यानपूर्वक इस विषय पर विचार करें । विधान सभा ने केन्द्र के अधिकारों को कम किया था परन्तु जान बूझ कर पांच वर्षों के लिये राज्यों के अधिकार केन्द्र को दिये थे । तथा संविधान-निर्माताओं ने केवल युद्ध काल, देश के विभाजन, आदि के कारण ही ऐसा किया था । यदि इसी प्रकार अधिकारों का अपहरण होता रहा तो एक समय ऐसा आयेगा जब केन्द्र सारे ही अधिकारों को लेने का प्रयत्न करेगा ।

वस्तु नियंत्रण समिति ने कुछ वस्तुओं के संबंध में अवश्य ही सिफारिशें की होंगी । जूट के संबंध में तो जूट उत्पादकों को कम मूल्य दे कर उन के हित की ओर देखा ही नहीं गया । विभाजन के पश्चात् जब जूट की कमी पड़ी तब इस बात का प्रचार किया गया कि अधिक जूट उपजाओ । परन्तु जब मूल्य गिरने लगे तो सरकार ने जूट-उत्पादकों की कोई रक्षा नहीं की । अतः सरकार को पर्याप्त अधिकार हैं जिस से इन जूट-उत्पादकों की रक्षा की जा सकती है । वह मुफ्त में खाद दिलवा सकती है । तथा अन्य बहुत से उपायों द्वारा वह इन की रक्षा कर सकती है । परन्तु वह ऐसा करना ही नहीं चाहती । इस का साफ मतलब है कि वह बड़े व्यापारियों का ही साथ देना चाहती है । वर्तमान सुधार में भी राज्यों के पूर्ण अधिकार नहीं लिये गए हैं तथा वह कह सकती है कि अनुच्छेद ७३ के कारण वह कोई कार्यवाही करने में समर्थ नहीं है । अतः मेरे विचार से अभी भी सरकार को इतने अधिकार मिले हुए हैं जिनको उपयोग में ला कर सरकार अपनी नीति को कार्यरूप में परिणत कर सकती है ।

कुछ सदस्य नियंत्रण चाहते हैं । अतः यदि सरकार जूट के रेशों पर नियंत्रण करना चाहती है तो हमें कुछ नहीं कहना है । परन्तु यह बात भी साफ साफ बताई जाये तो ठीक है । आप चार-पांच वर्षों में ही संविधान में, राज्यों के अधिकार छीन कर, इतना बड़ा परिवर्त्तन करने जा रहे हैं अतः भली प्रकार विचार करना उपयुक्त होगा ।

[श्री के० के० बसु]

हमें इस का समर्थन नहीं करना चाहिये । क्योंकि जनतंत्र में राज्यों के भी कुछ अधिकार होने चाहियें । तथा यदि आप राष्ट्र की भलाई के लिये कुछ करना चाहते हैं तो केन्द्र के पास पर्याप्त अधिकार हैं जिन के द्वारा वे अपनी नीति को पूर्णतया कार्यरूप में परिणत कर सकते हैं ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी (चित्तौड़) : औचित्य प्रश्न है । क्या वे व्यक्ति इस पर बोल सकते हैं जिन्होंने इस प्रस्ताव के प्रस्तुत होते समय वाद-विवाद में भाग लिया था ?

श्री के० के० बसु : मैं ने तो भाग नहीं लिया था ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : मेरा आप से तात्पर्य नहीं है ।

सभापति महोदय : इस के लिये कोई निश्चित नियम नहीं है ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : जिन्होंने अपने विचार प्रकट किये हैं, उन के पश्चात् हमें भी समय दिया जाये ।

सभापति महोदय : मेरे पास उन लोगों के नामों की कोई सूची नहीं है जिन्होंने इस के प्रस्तुत होते समय बोला था । श्री गाडगील ।

श्री गाडगील : मुझे खेद है कि प्रश्न का गलत अर्थ लगाया गया है । श्री अशोक मेहता ने कहा कि सभा के अन्य दल इस को नहीं चाहते हैं परन्तु जिन की अधिकता है वे इस को चाहते हैं तो इस का कारण निश्चित ही है । मैं इस लिये नहीं कहना चाहता कि मैं भी उसी बहुमत वाले दल का एक सदस्य हूं परन्तु सत्य कहता हूं कि इस की इस समय आवश्यकता थी । प्रश्न संविधान के निर्माताओं का आता है मैं भी उन में से एक हूं । प्रारंभ में, विभाजन से पहले सब का विचार था कि राज्यों को अधिक अधिकार दिये जायें । परन्तु १५ अगस्त, १९४७ के पश्चात् वातावरण में परिवर्त्तन होने के कारण यह सोचा गया कि राज्यों को स्वतंत्रता देना ठीक नहीं । और केन्द्र में ही अधिक अधिकारों की आवश्यकता समझी गई । इसी लिये अनुच्छेद ३६९ पारित हुआ ।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** पीठासीन हुए ।]

वर्तमान स्थिति भी उसी प्रकार की है । और सरकार को उस का ध्यान है । इसी-लिये विरोधियों का सुझाव है कि संसद् के अधिकारों की अवधि १० वर्ष बढ़ा दी जाये । इस का तात्पर्य यह है कि वे भी इस की आवश्यकता तो समझते ही हैं कि अन्य पांच वर्षों के लिये ये अधिकार बढ़ा दिये जायें । अब अंतर केवल इतना रह जाता है कि ये अधिकार पांच वर्ष के लिये ही बढ़ायें जायें अथवा स्थायी बना दिये जायें । १९५० में जिस प्रकार की स्थिति थी । यदि वैसी स्थिति अब भी है, तो हमें यह सोचना चाहिये कि हर पांच वर्ष पश्चात् इस के नवीनीकरण के स्थान पर इस को स्थायी बना देने में ही अधिक लाभ है । तथा ये अधिकार राज्यों के सलाह से ही व्यवहृत होने चाहियें । केन्द्र इन अधिकारों को राज्यों के विरोध पर कार्यरूप में परिणत नहीं कर सकता। श्री अशोक मेहता ने कहा कि केवल चार राज्यों ने इस को स्वीकार किया है परन्तु स्थिति तो यह है कि कुछ राज्य अभी इस पर विचार कर रहे हैं, तथा कुछ स्वीकारात्मक हैं और कुछ इसे नहीं चाहते । अतः अभी यह नहीं कहा जा

सकता कि कौन इस के पक्ष में है, और कौन विपक्ष में। परन्तु राज्यों के विचार तो कुछ भी हो सकते हैं और हमें तो इस की उपयुक्तता पर विचार करना है। हमें यह भी देखना है कि किन वस्तुओं पर इन अधिकारों का प्रयोग आवश्यक है। (,अन्तर्बाधा) मेरे मित्र श्री अशोक मेहता को ज्ञात होगा कि राशनिंग के दिनों में, जब कि उत्तरी राज्यों में पर्याप्त खाद्यान्न थे, बम्बई राज्य में केवल शरीर को धारण करने के लिये अन्न दिया जाता था। इस समस्या पर १९४९ तथा १९५० में ध्यान दिया गया, तथा केन्द्र के अतिरिक्त अधिकारों द्वारा विभिन्न राज्यों को सहायता पहुंचाई गई। यह एक विराट देश है अतः हमें ऐसी नीति को व्यवहार में लाना है जिस से देश के सभी भागों को लाभ पहुंच सके। रक्षा तथा संचार को नियंत्रित करने का अधिकार जब केन्द्र को सौंपा गया तो मैं अपने मित्रों से पूछूंगा कि वे बिना किसी भेदभाव के बतायें कि क्या प्रत्येक दिन कार्य में लाई जाने वाली अन्यावश्यक वस्तुओं पर केन्द्र का नियंत्रण आवश्यक नहीं है ?

आप सुयोजित अर्थनीति के बारे में चर्चा करते हैं किन्तु अधिकार तथा एकरूपता स्थापित किये बिना वह सफल नहीं हो सकती। मध्य-भारत तथा मध्यप्रदेश ने इस नीति पर कोई ध्यान नहीं दिया है, अतः हमें बम्बई के अनुभव पर ध्यान देना है।

श्री अशोक मेहता: बम्बई राज्य ने तो इस संशोधन का विरोध किया है

श्री गाडगील: यह सच नहीं है। जब कन्ट्रोल दूर किया गया था तो बम्बई ने इसलिये उस का विरोध किया कि वहां अन्न की कमी थी। वे कन्ट्रोल को नहीं हाटाना चाहते थे।

आप रुई के प्रश्न को लीजिये। देश में कपड़े की ४०० मिलों में से १९० बम्बई में होते हुए भी सन् १९४७ और १९४९ में वस्त्र की क्या स्थिति थी। कपड़ा कितना मंहगा मिलता था ? सन् १९४८ में जनवरी में जब कन्ट्रोल हटाया गया तो कपड़े का भाव बढ़ गया और मिल-मालिकों ने दो अरब रुपये का लाभ उठाया।

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि कन्ट्रोल हट जाने पर परिस्थिति बड़ी विषम हो जायेगी। यदि सुयोजित अर्थ निति लागू हो तो उस पर केन्द्र का नियंत्रण होना चाहिये। किन्तु ऐसा भी न हो कि केन्द्र ही सर्वेसर्वा बन जाय। आप यह चाहते हैं या नहीं कि प्रजातंत्र का विकेन्द्रीकरण ही ?

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर): विकेन्द्रीकरण होना चाहिये।

श्री गाडगिल: किन्तु यह तब तक न होगा जब तक केन्द्र की सब राज्यों के लिये समान नीति न हो। वस्त्र-उद्योग भारत का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण उद्योग है। वस्त्र के निर्यात से हमारा देश बहुत धनी हो सकता है। मैं तो यहां तक चाहता हूं कि इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण हो जाय। अतः इस प्रकार के उद्योगों के विषय में केन्द्र जो नियंत्रण-शक्ति हाथ में लेना चाहता है वह सर्वथा उचित है। मैं उस का समर्थन करता हूं।

श्री रघुरामैया (तेनालि): मैं ने जब श्री अशोक मेहता का भाषण सुना तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि वे संविधान की अवनति और पराजय पर भाषण कर रहें हैं या इस विधेयक के प्रसंग में कुछ बोल रहे हैं। बात तो छोटी सी है। वह यह है कि केन्द्रीय सरकार आवश्यक सामान पर नियत्रण रखना चाहती है और तदानुसार

[श्री रघुरामैया]

संविधान के अनुच्छेद ३६९ में कुछ संशोधन कराना चाहती है। इस में संविधान पर कौन सा कुठाराघात हो रहा है ? वे कहते हैं कि इस के लिये समस्त राज्यों का सम्मेलन बुलाया जाय और उन का मत लिया जाय। यह सब मिथ्या है। क्या वे अनुच्छेद ३६९ को भूल गए हैं जिस के अधीन संसद् को इस बात का अधिकार है कि वह संविधान में संशोधन कर सकती है। अधिक से अधिक वे यह कह सकते हैं कि सविधान में परिवर्तन बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिये किन्तु संविधान देश की उन्नति के लिये बनाया गया है, उस के सामने दीवार बनने के लिये नहीं।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

हम ने पांच वर्ष के अनुभव से यह सीखा है कि आवश्यक सामान पर केन्द्र का नियंत्रण होना चाहिये। इस पर विचार करने के लिये वस्तु नियंत्रण समिति बनाई गई जिस ने अपने प्रतिवेदन में बड़े जोरदार शब्दों में यह सिफारिश की है कि केन्द्र का नियंत्रण आवश्यक है और इस के लिये एक अधिनियम बनना चाहिये।

हमें परिस्थिति के अनुसार नियमों में भी सुधार करने की आवश्यकता है। जिस सामान की समस्त जनता को जरुरत है वह देश की आवश्यक वस्तु है और केन्द्र का यह कर्त्तव्य है कि इन विषयों में सारे देश के लिये सामान नीति से काम ले। संविधान-निर्माताओं को क्या पाता था कि पांच वर्ष के बाद भी केन्द्र का नियंत्रण आवश्यक होगा। प्रत्येक बात को वे पहले से नहीं जान सकते थे। उदाहरण के लिये, उन्हें क्या पता था कि इस वर्ष ऐसी भयंकर बाढ़ आएगी जिस से लाखों मनुष्य बर्बाद हो जायेंगे।

आज से पांच वर्ष बाद भारत की क्या स्थिति होगी, यह अभी कैसे बताया जा सकता है ? अतएव इन विभिन्न स्थितियों के अनुभव से हम इस परिणाम पर पहुंचे कि देश के आवश्यक सामान के सम्बन्ध में एक अधिनियम ही क्यों न बना लिया जाय ?

यह मैं खूब जानता हू कि इस विधेयक से अनेक राज्य असन्तुष्ट हो जायेंगे। जहां पटसन का उत्पादन अधिक है वे अन्य राज्यों की अपेक्षा अपने यहां सस्ता तथा दूसरे स्थानों पर महंगा बेचना चाहेगा। जहां कपड़ा अधिक बनता है वे राज्य दूसरे राज्यों में उसे महंगा बेच कर लाभ उठाना चाहेंगे। किन्तु केन्द्र का क्या कर्त्तव्य है ? यह संसद् किस लिये बनी है और हम इतने सारे सदस्य यहां किस लिये बैठते हैं ? हमारा काम इस बात की जांच करने का है कि सारे देश के साथ न्याय किया जा रहा है या नहीं ? श्री अशोक मेहता ने कांग्रेसी तथा गैर कांग्रेसी राज्यों का उल्लेख किया है। यह कैसी छोटी बात है ? यह प्रश्न तो सारे भारत से सम्बन्ध रखता है।

अन्त में, मैं फिर यही कहूंगा कि देश की उन्नति के लिये यदि हमें संविधान में संशोधन भी करना पड़े तो कोई चिन्ता नहीं। संविधान स्वय देश की उन्नति के लिये बनाया गया है। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

डा० कृष्णस्वामी : मैं ने माननीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री का भाषण सुना। वह सुन्दर था, किन्तु एक बात सुन कर मुझे बड़ा क्षोभ हुआ। वे कहते हैं कि 'अधिकृत क्षेत्र' की चर्चा कर के विपक्ष के सदस्य ख्याति पाने की चेष्टा कर रहे हैं। क्या यह सच है? आप को ज्ञात है कि विपक्षियों ने सदैव देश के हित की बात कही है। वे

प्रसिद्धि के लोभ से ऐसा नहीं करते । हम जो कार्य करते हैं उसे सारा राष्ट्र देखता है और सारा देश उस से प्रभावित होता है । मेरे विचार से तो, संविधान में इस प्रकार के संशोधन के प्रस्ताव से पूर्व सदस्यों को उचित सूचना मिलनी चाहिये थी । तभी हम इस विषय पर शान्ति पूर्वक विचार कर सकते थे । किन्तु ऐसा नहीं किया गया और अब यह अधिनियम पारित हो जायगा जिसे सारे राज्य भी बिना किसी आपत्ति के स्वीकार करते चले जायेंगे । संविधान-निर्माताओं की ऐसी इच्छा नहीं थी कि पांच वर्ष से अधिक समय के लिये केन्द्रीय सरकार का आवश्यक सामान पर नियंत्रण रहे । इस से राज्यों की स्वतंत्रता पर आघात पहुंचता है । वस्तु नियंत्रण समिति का प्रतिवेदन हम ने पढ़ा है किन्तु हम यह नहीं भूल सकते कि उस के पांच में से चार सदस्य, मंत्रालयों के सचिव हैं और आश्चर्य क्या है, यदि उन्होंने ये शक्तियां सदा के लिये केन्द्र को देने का प्रयत्न किया हो ।

हमें यह भी याद है कि इस प्रकार की जो समितियां बनाई जाती हैं, उन्हें यह अधिकार नहीं होता कि वे केन्द्र तथा राज्यों की शक्ति के सम्बन्ध में परिवर्तन करें । खैर, यह एक दूसरी बात है ।

मेरे कहने का अभिप्राय केवल इतना ही है कि हमारे राज्यों में भी उत्तरदायी सरकारें हैं और इस प्रकार उन के अधिकार अपने हाथ में लेना, हमें शोभा नहीं देता । अब मैं यह बताऊंगा कि किन कारणों से केन्द्र इस ओर उन्मुख हुआ है । यदि मैं कोई अनचित बात कहूं तो माननीय वाणिज्य मंत्री मुझे टोक सकते हैं ।

"अधिकृत क्षेत्र" का, उल्लेख करते समय हमारे ध्यान में यह बात थी कि राज्यों का विधायिनी अधिकार सकीर्ण कर दिया गया है । जहां तक इस विशेष मामले का संबंध है, केन्द्र ने इस सारे पर, अधिकार जमाया है और राज्यों के हाथ में अधिक अधिकार नहीं रहता । आखिर हमारी योजनाओं का क्या अभिप्राय है, और निर्वाचकों के अधिकारों को स्थायी रूप से कम कराने के क्या कारण हैं ? वास्तव में, भूलचूक और प्रयोग की स्थिति में से गुजर रहे हैं । विगत तीन वर्षों से हम ने योजनायें बनाई और एक विशेष पद्धति अपनाई । यह पद्धति कुछ भी हो, सभी इस बात से सहमत होंगे कि यह कतई वैज्ञानिक नहीं है । यह तदर्थ आधार पर प्रयोगात्मक पद्धति है और इस तरह केन्द्र को अधिकार हस्तान्तरित करने से इस पद्धति के भी कई स्तर पैदा होंगे । यह ठीक है कि आधुनिक युग योजना का युग है लेकिन ऐसी भी क्या बात है कि केन्द्र को स्थायी रूप में अधिकार दिया जाय ।

मेरे माननीय मित्र वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री एक अर्थशास्त्रवेत्ता हैं और वह अनेक वस्तुओं के मूल्य नियंत्रण, संभरण और वितरण नियंत्रण के पेचों को खूब समझते हैं । मूल्य नियंत्रण से विभिन्न राज्यों की आयों पर भी कड़ा नियंत्रण हो जायेगा । और इस बात का कोई प्रत्याभूति नहीं है कि भविष्य में इस अधिकार का दुरुपयोग नहीं किया जायेगा; परिणाम यह होगा कि सुभवतः राज्यों में बड़ी गड़बड़ पैदा हो जायेगी । हां, पांच वर्ष या इस के लगभग समय के लिये अस्थायी रूप से इस का उपयोग कर लिया जाय । अपने राज्य के महान् उत्तरदायित्व को ध्यान में रख कर हम ने सुझाव रखा है कि पांच वर्ष बाद इस संशोधन का पुनरीक्षण किया जाय । और यदि आवश्यकता हो तो एक दो वर्ष के लिये उस का समय बढ़ा दिया जाय ।

पांच वर्ष बाद हम सर्म्ण संविधान का पुनरीक्षण कर सकते हैं, तब तक भारत

[डा० कृष्ण स्वामी]

की दशा बिल्कुल परिवर्तित हो चुकी होगी। केन्द्र यदि उन सभी अधिकारों को अपने हाथ में ले ले तो अधिक सुविधाजनक रहेगा।

इन मामलों का अस्थायी नियंत्रण केन्द्र के हाथ में सौंपने का एक और भी कारण है। हमारे देश के विभिन्न राज्यों की शासकीय कुशलता के मानांक भिन्न भिन्न हैं अतः संभव है कि किन्हीं राज्यों में आर्थिक नियंत्रण का कार्य कम कुशलता पूर्वक हो पाये, अतः अच्छा यही है कि पांच वर्षों के लिये केन्द्र को नियंत्रण का अस्थायी अधिकार दे दिया जाय। पांच वर्षों में राज्यों की कुशलता मौलिक अवस्था में आ जायेगी। सरकार को यह नहीं सोचना चाहिये कि साधारण राज्यों की कुशलता की स्थिति सदैव साधारण ही रहेगी।

संविधान-निर्माताओं ने भी राष्ट्रीय हित की बात का विचार कर के ही स्पष्ट रूप से निश्चित किया कि कुछ विशेष मदों को राज्यों के क्षेत्र में ही रखना चाहिये। सूची १ की प्रविष्टि ५२ के अन्तर्गत अधिकारों का प्रयोग करके औद्योगिक विकास अधिनियम के अन्तर्गत अनेक उद्योग, नियंत्रण, उत्पादक और वितरण के संबंध में केन्द्रीय क्षेत्र में परिवर्तित कर दिये गये हैं। क्या आप इस पद्धति को ही आदर्श के रूप में मानते हैं? ९० प्रति शत उद्योग केन्द्र के अन्तर्गत आ गये हैं और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के विकास पार्श्व द्वारा अनुज्ञप्ति देने की नई प्रणाली भी चलाई गयी है। इस से देश के किसी भाग में नया उद्योग खोलने की अनुज्ञप्ति केन्द्रीय अनुज्ञप्ति बोर्ड को ही मिल सकेगी। यह अनुचित है और इस से राज्यों का हित तथा स्वराज्य सुरक्षित नहीं है।

लोग एक रूपता की बात करते हैं; मैं भी इस के पक्ष में हूं। इस को अपनाने के दो प्रकार हैं। पहला यह कि सभी एककों को एक ही रीति से पालन करने का निर्देश जारी कर देना और दूसरा यह कि राज्यों की नीतियों को इकट्ठा कर के उन को एक रूप बनाना और फिर केन्द्र द्वारा एक समरूपता परिचालित करना। मुझे दूसरा पसन्द है।

हमारे प्रधान मंत्री ने एक बार कहा था कि सार्वजनिक सहयोग तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक कि ऊपर से नीचे तक सहयोग न हो! क्या आप विभिन्न एककों पर निर्देश आरोपित कर के ही सहयोग प्राप्त करना चाहते हैं? यदि आप सहयोग नहीं प्राप्त करते तो आप को खतरा है। हम एक परीक्षा काल में से गुजर रहे हैं, यह हमें नहीं भूलना चाहिये। केन्द्र के हाथों में अधिकारों को स्थायी रूप से सौंपना कदापि उचित नहीं है।

राज्यों के सम्बन्ध में कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि राज्यों का उन्मूलन कर देना चाहिये। मुझे आशा है कि माननीय राज्य मंत्री हम से सहमत होंगे कि राज्यों का कार्य संतोषजनक रहा है।

मैं कहना चाहता हूं कि यदि राज्यों के अधिकारों को आप इसी प्रकार कम करते रहेंगे तो शीघ्र ही राज्यों के पास लोगों के व्यक्तिगत कोष और हरहा घरों की देख-भाल करने के अतिरिक्त कोई और काम शेष न रह जायेगा। यदि आप के दिमाग में राज्य-सहयोग की यह कल्पना है तो आप को पुनः विचार करना पड़ेगा कि किस प्रकार आप सहयोग प्राप्त करने जा रहे हैं।

उदाहरणार्थ आज दूसरे क्षेत्रों की अपेक्षा राज्यों के क्षेत्रों में केन्द्र ने अधिक सहयोग प्राप्त कर लिया है। सिंचाई औ

नियंत्रण के विषय में राज्यों के क्षेत्रों में ही हैं पर हमारे सम्मुख उलझन डालने वाली अनेक समस्यायें आईं और राज्यों के लिये बिना निर्देश भेजे हुए, प्रोत्साहन, समायोजन औ समझौते के परिणामस्वरूप राज्य सरकारों ने बहुत अधिक सहयोग प्रदान किया और इतना सहयोग राज्यों ने उन मामलों में भी नहीं दिया, जिन के सम्बन्ध में केन्द्र द्वा । निर्देश जारी किये गये थे । अतः यदि हम अपने देश में एक स्वस्थ ढांचा बनाना चाहते हैं तो हमें इस बात को अपने दिमाग में बैठा लेना चाहिये।

आने वाले पांच वर्षों में हमारे राज्यों की शक्ति ओर भी बढ़ जायेगी । समृद्ध राज्य जिन्हें कुछ शासकीय अनुभव है उनका भी विकास होगा । एक बात ध्यान देने योग्य है जिस की अवहेलना आप नहीं कर सकते कि आप राज्यों को अनेक कार्य, अनेक उत्तर-दायित्व सौंपते जाते हैं पर उन कार्यों की पूर्ति करने के लिये साधन या पूंजी आप उन्हें नहीं देते । यदि आप वास्तविक सहयोग की इच्छा करते हैं, यदि आप संघ-राज्य सहयोग की कामना करते हैं तो आप को राज्यों को इकट्ठा कर के उन की गतिविधियों में समरूपता लाना होगा । आप को उन पर अपनी स्वेच्छा नहीं थोपना चाहिये ।

श्री **ए० एम० थामस** : केन्द्रीय नियं-त्रण के बिना आप कैसे समन्वय कर सकते हैं ।

डा० कृष्ण स्वामी : नियंत्रण से दबाब पड़ेगा । आप ने बाढ़ नियंत्रण योजना में किसी प्रकार के नियंत्रण के बिना कैसे काम चलाया ? केन्द्र आर्थिक अनुदान के रूप में नियंत्रण रखता है और भी प्रकारों से जनतन्त्र के हित में नियंत्रण रखा जाता है । पर आप को चाहिये कि आप उन्हें अपने उत्तर-दायित्व के लिये सचेत करें आप उन पर अपनी आज्ञा, अपना हुकुम, न लादें । आज बहुत से लोग अधिकारों को केन्द्र को हस्तान्त-रित करने की बात कहते हैं, पर व्यवहार में इस का क्या मतलब होता है ? उदाहर-णार्थ, आज बहुत से विभागों के अनेक शास-कीय नियम अनिवार्य रूप से संसद् के सम्मुख पुनरीक्षण के लिये नहीं रखे जाते और वे रखे भी नहीं जा सकते । पर साधारण रूप से इसका परिणाम यह होगा कि यह सभी अधिकार एक सचिव या किसी सरकारी कार्यकर्त्ता द्वारा काम में लाये जायेंगे ? क्या आप यही चाहते हैं ? क्या इसी प्रकार से प्रजातन्त्र का विकास होगा ? केन्द्र के ऊपर इतने अधिक कामों का बोझ मत लादो कि बाद में कहना पड़े कि हम उन्हें पूरा करने में समर्थ नहीं हैं । अतः मैं सुझाव रखता हूं कि यदि हम लगातार राज्यों के अधिकारों को कम करते जायेंगे तो हमारे लिये सहयोग का वातावरण उत्पन्न करना असंभव हो जायेगा और सहयोग का वाता-वरण भारत संघ के अन्दर के अनेक एककों के अन्योन्याश्रित सम्बन्ध के लिये नितान्त आवश्यक है । मेरी अपील उन लोगों से है जो अस्थायी अधिकारों और पांच वर्ष बाद स्थिति के पुनरीक्षण के पक्ष में हैं । यदि आप इस में सफल भी न हो सकेंगे तो भी राज्य तथा जनता आप के प्रजातन्त्रात्मक प्रयत्न की प्रशंसा करेगी । मुझे आशा है कि शायद नीति निर्धारकों पर इस का कुछ प्रभाव पड़ सके ।

श्री **सी० सी० शाह** (गोहलवाड-सोरठ) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के विरोध के दो मुख्य आधार हैं: एक यह कि यह राज्य के अधिकारों में जबरदस्ती हस्तक्षेप करना और दूसरा यह कि अधिकारों के अत्यधिक केन्द्रीयकरण द्वारा जनतन्त्र की शक्ति का हनन करना । यही बातें अनेक भाषणों में विभिन्न स्वरूपों में प्रकट

[श्री सी० सी० शाह]

की गई हैं। पर मैं बताना चाहता हूं कि बिना तथ्यों के सैद्धान्तिक दृष्टि से विचार करने पर यह आधार बड़े ही संगत प्रतीत होंगे; पर हमें विचार करना है कि इस जबरदस्ती के हस्तक्षेप का स्वरूप क्या होगा । और उस का प्रभाव क्या पड़ेगा ? अतः मैं विरोध करने वाले अपने मित्रों से प्रार्थना करूंगा कि वे तथ्यों की ओर अपना ध्यान केन्द्रित करें, न कि कोरे सिद्धांतों की ओर । हमें भी उन सिद्धांतों से उतना ही प्यार है जितना कि आप को ।

अनुच्छेद ३६९ के अन्तर्गत ९ मदें हैं जिन पर केन्द्र को पांच वर्षों के लिये अधिकार प्रदान किया गया था । उन में से ५ मदों को औद्योगिक (विकास और विनियम) अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्र के स्थायी नियंत्रण में रख दिया गया है । जब उक्त अधिनियम पारित किया गया था, उस समय मैं ने किसी विरोधी सदस्य को यह कहते हुए नहीं सुना कि यह बिल्कुल गलत है कि हम राज्यों के अधिकारों में इतना हस्तक्षेप कर रहे हैं कि केन्द्र और राज्यों के बीच अधिकारों के बटवारे में स्थायी परिवर्तन कर रहे हैं । वह पांचों मदें इसी संसद् द्वारा पारित किये गये अधिनियम के अनुसार केन्द्र के नियंत्रण में कर दी गई हैं और उस का कोई विरोध नहीं किया गया था । अब केवल चार मदें शेष हैं । वह शेष चारों मदें कृषि-उत्पाद की हैं और इन्हें केन्द्र के नियंत्रण में विना संविधान के संशोधन के नहीं रखा जा सकता । अतः, टेक्निकल रीति से, हमें संविधान में संशोधन करना पड़ेगा । पर यह तो केवल उसी सिद्धांत का विस्तार है जिस के अन्तर्गत हम ने उन पांच महत्वपूर्ण मदों को अनुच्छेद ३६९ मे केन्द्र के स्थाई नियंत्रण में रख दिया । अतः मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम कोई नया काम या नियम विरुद्ध काम करने नहीं जा रहे हैं ।

संशोधन करने वाले इस विधेयक में केवल कच्चे जूट की मद और जोड़ दी गई । मुख्य रूप से इस मद का सम्बन्ध पश्चिमी बंगाल से है और वहां की सरकार इस से पूर्ण सहमत है । अतः पश्चिमी बंगाल सरकार के पूर्ण सहमत होने पर भी कि यह अधिकार केन्द्रीय सरकार को सौंप दिये जायें, हमें क्या आपत्ति हो सकती है । मुझे माननीय सदस्य श्री के० के० बसु के इस दावे में संदेह है कि वह बंगाल की जनता का प्रतिनिधत्व पश्चिमी बंगाल की सरकार की अपेक्षा अधिक अच्छा कर सकते हैं ।

इस में एक और मद ऐसी है जिसके विषय में किसी ने कुछ नहीं कहा है । वह मद है—आयातित वस्तुएं । यह सच है कि अभी अभ्रक के उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत नहीं रखा गया है , परन्तु बिना संविधान के किसी संशोधन के संसद् के एक अधिनियम द्वारा उसे जोड़ा जा सकता है ।

दूसरी चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है वह यह है कि ये मदें समवर्ती सूची में रखी जा रही हैं । श्री अशोक मेहता ने इस तथ्य को कोई महत्व नहीं दिया और उन का विचार है कि यह राज्यों की शक्तियों पर एक स्थायी अतिक्रमण है । वस्तुतः बात ऐसी नहीं है । इस संबंध में मैं संविधान के अनुच्छेद २५४ की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा । अनुच्छेद २५४(१) में कहा गया है कि यदि संसद् द्वारा एक ऐसा अधिनियम पारित होता है जो कि किसी राज्य के अधिनियम से असंगत हो, तो केन्द्रीय अधिनियम असंगती की सीमा तक ही लागू होगी । परन्तु इस के बाद भी राज्यों को ऐसे

विधान बनाने का पूरा अधिकार रहता है जिसे वे उचित समझें । केन्द्र तो तभी सामने आता है जब कि समस्या अखिल भारतीय समस्या हो जाय और ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई हो कि केन्द्र द्वारा सब राज्यों के लिये एक समान विधान बनाना आवश्यक हो गया हो । यही नहीं, अनुच्छेद २५४ के खण्ड (२) के अधीन यदि कोई राज्य यह कहे कि केन्द्रीय अधिनियम के होते हुए भी उस राज्य के लिये अपनी अलग विधि बनाना आवश्यक है—चाहे वह केन्द्रीय अधिनियम से असंगत ही क्यों न हो—और यदि केन्द्रीय सरकार उस के तर्क से संतुष्ट हो जाय और राष्ट्रपति अपनी अनुमति दे दे । तो उस राज्य में उस राज्य की विधि ही लागू होगी, केन्द्रीय विधि नहीं । अतः यह स्पष्ट है कि श्री अशोक मेहता को जो भय है, उस में कोई सार नहीं है, और वह निरर्थक है ।

तीसरी चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है, वह है अनुच्छेद ७३ । अनुच्छेद ७३ के अधीन इस प्रकार के अधिनियमों की सम्पूर्ण कार्यकारी शक्ति राज्यों को दी गई है । मैं श्री अशोक मेहता के इस विचार से पूर्णतः सहमत हूं कि इस प्रकार का कोई भी विधान राज्यों के पूर्ण सहयोग के बिना सफल नहीं हो सकता, क्योंकि उस को व्यावहारिक रूप में लागू करने का काम राज्यों का ही होता है ।

इन सब बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि यहां पर न तो शक्ति का कोई गंभीर अतिक्रमण ही है और न ही शक्तियों के वितरण में कोई गंभीर गड़बड़ी की जा रही है। राज्यों से अब भी परामर्श लिया जायेगा। जब यह विधान उन के पास अनुसमर्थन के लिये जायेगा, तो अनुच्छेद ३६८ के अधीन उन्हें उस पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्राप्त होगा । जब भाग 'क' तथा 'ख' राज्यों में से आधे राज्य इस विधान से सहमत हो जायेंगे, तभी यह लागू होगा ।

विरोधी दल के सदस्यों ने यह स्वीकार कर लिया है कि अनुच्छेद ३६९ के अधीन शक्तियों का अग्रेतर विस्तार आवश्यक हो सकता है । हमें वस्तु नियंत्रण समिति की इस संबंध में की गई सिफारिशों को देखना होगा । अनुच्छेद २४९ के विषय में बहुत सी बातें कही गईं । इस का उत्तर उक्त समिति के प्रतिवेदन के पदच्छेद ३६ में प्राप्त हो जाता है । इस पदच्छेद में समिति ने यह कहा है कि सारी परिस्थितियों को देखते हुए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि एक ऐसी स्थायी तथा एकीकृत विधि होनी चाहिये जिस के द्वारा केन्द्रीय सरकार को किसी भी समय किसी भी वस्तु पर नियंत्रण करने की रक्षित शक्ति दी गई हो ऐसी विधि काफी लचीली और व्यापक होनी चाहिये, ताकि प्रत्येक आयात में उस से काम निकल सकें ।

जिस समिति ने ये सिफारिशें की हैं, उस के विरुद्ध विमति टिप्पणी में कुछ आरोप एवं लांछन लगाये गये हैं, जो मेरे विचार से अनुचित हैं । उस में मुख्य रूप से इस चीज़ की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है कि उक्त समिति के पांच सदस्यों में से चार ऐसे थे, जो चार मंत्रालयों के सचिव संयुक्त सचिव या उप सचिव थे । संकेत इस बात की ओर किया गया है कि उन चारों सदस्यों ने निष्पक्षता से काम नहीं किया। इस आरोप में मुझे कोई सार नहीं प्रतीत होता । विमति टिप्पण में एक मात्र शिकायत यह की गई है कि उक्त समिति में राज्यों का कोई प्रतिनिधि नहीं रखा गया था । यह मैं मानता हूं, परन्तु राज्यों से प्रत्येक अवस्था पर परामर्श अवश्य किया गया था । विरोध का वास्तविक आधार यह है कि विरोधी पक्ष वाले सदस्य इस सरकार के सदाशय

[श्री सी० सी० शाह]

में सन्देह करते हैं। वे इस विधेयक के सिद्धांत या उस की आवश्यकता का विरोध नहीं करते हैं, वस्तुतः उन का विरोध केवल विरोध के लिये है।

मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा): मैं भी इस संयुक्त प्रवर समिति का एक सदस्य था और विमति टिप्पण के लेखकों में से भी एक हूं। मैं यह स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि उस समिति में माननीय मंत्री का विरोधी सदस्यों के प्रति जो रूप था, वह बहुत अनुचित एवं अशोभनीय था। उन्होंने हमारे दृष्टिकोण को समझने की तनिक भी चेष्टा नहीं की।

मैं ने श्री सी० सी० शाह की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और इस विधान का भी मैं ने भली प्रकार अध्ययन किया है। मैं समझता हूं कि इस में सब से अधिक आपत्ति योग्य बात यह है कि जब कि संविधान-निर्मात्ताओं ने भली प्रकार विचार-विमर्श करने के उपरांत यही तय किया था कि ये शक्तियां केन्द्र के पास केवल पांच वर्षों के लिये ही रहें—अधिक काल के लिये नहीं—तो फिर अब उस के विस्तार की क्या आवश्यकता है? वे इस निर्णय पर क्यों पहुंचे थे? यदि सप्तम अनुसूची की विभिन्न सूचियों में मदों के बटवारे को आप ध्यानपूर्वक देखें, तो निश्चय ही आप को पता चल जायेगा कि उन का वह विचार था कि चूंकि भारत एक कृषि-प्रधान देश है, अतः खाद्यान्न, तिलहन तथा ऐसी अन्य वस्तुओं के केन्द्र के अधिकार में अधिक समय तक रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः उन्होंने यह निश्चय किया कि यह शक्ति केन्द्र के पास पांच वर्ष से अधिक काल के लिये न रहे।

वाद-विवाद केवल इस बात पर नहीं है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है या नहीं, अथवा क्या राज्यों के अधिकार कम किये जा रहे हैं। मैं पूछता हूं कि इस की आवश्यकता क्या है? और यदि आवश्यकता हो भी तो, क्या हम ये शक्तियां आप को सौंप सकते हैं? आप की अपनी वस्तु नियंत्रण समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि नियंत्रण संबंधी शक्तियों का उचित प्रयोग नहीं किया गया और वह भ्रष्टाचार मानवीय कष्टों आदि की एक बुरी रेखा अपने पीछे छोड़ आई है। यही नहीं, साधारण जनता का भी यह अनुभव है कि इन शक्तियों का अत्यधिक दुरुपयोग किया गया और इन की सहायता से लोग लखपति करोड़पति बन बैठे हैं। लोगों को इन के कारण कितने कष्ट सहने पड़े हैं, यह किसी से छिपा नहीं है। ऐसी स्थिति में आप को यह शक्तियां फिर से किस प्रकार सौंपी जा सकती हैं? अतीत के कटु अनुभवों को कैसे भुलाया जा सकता है? इन्हीं कारणों से हम इन शक्तियों के विस्तार का विरोध कर रहे हैं।

अनिश्चित भविष्य को आधार बना कर तरह तरह के तर्क प्रस्तुत किये गये हैं। परन्तु मैं समझता हूं कि उन में कोई सार नहीं है, और, वे तर्क केवल तर्क के लिये ही हैं।

मैं यह समझता हूं कि सप्तम अनुसूची में शक्तियों के वितरण की योजना यह है कि दैनिक जीवन में जो वस्तुएं अत्यावश्यक हैं, उन पर राज्य का पूरा नियंत्रण है। केन्द्र को अनुच्छेद ३६९ के अधीन पांच वर्ष के लिये इस संबंध में कुछ शक्तियां प्राप्त हो गई थीं। अब वे वस्तु नियंत्रण समिति की सिफारिश के आधार पर इन का विस्तार करना चाहते हैं। मेरे विचार से तो उस

समिति का दृष्टिकोण केवल यही है कि नियंत्रण को बनाये रखा जाय। इन नियंत्रणों के कंटुतम अनुभवों की मैं चर्चा कर चुका हूं। गांधीजी भी इसके कट्टर विरोधी थे मुझे इस बात की खुशी है कि श्री किदवई भी इन नियंत्रणों के पक्ष में नहीं हैं और उन्होंने समय समय पर इन को अनावश्यक बताया है। मेरा कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि मुझे इस की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती और विगत वर्षों का कटु अनुभव भी इस के विरुद्ध जाता है। यदि ये शक्तियां ले लीं गईं तो राज्यों के पास कुछ भी नहीं रह जायेगा। सूची की अन्य ऐसी मदों पर भी, जिन का उत्तरदायित्व पूर्णरुपेण राज्यों पर है, इस का प्रभाव पड़ सकता है। यदि आप ध्यानपूर्वक देखें तो आप को अनुभव होगा कि यह एक ऐसी चीज़ की जा रही है जो संविधान की इन अनुसूचियों की सारी योजना के विरुद्ध है।

हां, यह भी देखिये कि वे मीन क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करना चाहते हैं क्योंकि इस का खाद्यान्न से सम्बन्ध है। यह भी कहा जा सकता है कि इन शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जायेगा, पर विशेष परिस्थितियों अथवा आपात काल के लिये किया जा रहा है। इन सब विषयों से सम्बन्धित अपराध राज्यों के अधिकार में हैं। कृषि तथा अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में भी यही बात है। इन्हें समवर्ती सूची में परिवर्तित करना निस्संदेह ही अनुचित हस्तक्षेप है। अनेक अवसरों पर उन्होंने इस का गलत अथवा अनुचित उपयोग किया है। देश के जिस भाग में मैं रहता हूं वह तिलहन के लिये विख्यात है। हैदराबाद, मैसूर, आन्ध्र और मद्रास के कुछ भागों में प्रतिदिन तिलहन की पुकार सुनाई देती है। सम्पूर्ण वस्तु पर नियंत्रण कर लिया गया है और मंत्री चाहते हैं कि कीमत १,००० रुपये हो जानी चाहिये; ऐसा होने पर ही वह कुछ करेंगे। लोगों में सन्देह है कि इस के अधिकांश भाग से वनस्पति उद्योग को लाभ पहुंचता है। मंत्री कह रहे थे—वनस्पति उद्योग संकट में से गुजर रहा है, उनके लाभ का अधिकांश समाप्त हो रहा है; पहले उन्हें करोड़ों रुपये मिलते थे अब लाखों मिलते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि किसानों को कुछ नहीं मिल रहा है। इन शक्तियों को स्थायी रूप से ले लेने के बाद राज्यों के पास कुछ नहीं बचेगा।

सातवीं अनुसूची से सम्बंधित विषयों में संशोधन करने के लिये संविधान के अनुसार अधिकांश 'क' और 'ख' राज्यों की स्वीकृति आवश्यक है। आप यह आशा रखते हैं कि बाद में इन की पुष्टि कर दी जायेगी। कुछ राज्यों ने अपनी अनिच्छा प्रकट की है। कुछ राज्य इसके विरुद्ध हैं और कुछ अभी भी विचार कर रहे हैं जैसा कि एक माननीय सदस्य ने चर्चा के आरम्भ में कहा था: "उन में नहीं' कहने का साहस नहीं है।" इस का अर्थ केवल यही है कि वे 'नहीं' कहने के लिए इच्छुक हैं किन्तु ऐसा करते हुए उन्हें भय लगता है। यदि ऐसी बात है तो क्या सरकार इसे राज्यों की इच्छा के विरुद्ध नहीं थोप रही है। यह कहना भी उचित नहीं है कि अधिकांश राज्यों में कांग्रेस का बहुमत होने से सब कुछ ठीक हो जायेगा। क्या केन्द्र तथा राज्यों में सदैव ही एक दल की प्रधानता बनी रहेगी। यह चिकनी चुपड़ी बात है, युक्तिसंगत तर्क नहीं है।

मैं ने एक बार वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री को यह कहते सुना है कि कतिपय उद्योगों पर नियंत्रण करने में सम्भरण और वितरण पर भी नियंत्रण संग्रस्त है। क्या वे व्यापार, उद्योग, सम्भरण और वितरण के सम्बन्ध में प्राप्त शक्तियों से

[श्री राघवाचारी]

सन्तुष्ट नहीं है । अतः यदि आप खाद्यान्न तथा मूलभूत अथवा महत्वपूर्ण वस्तुओं के प्रशासन अथवा विधान निर्माण के सम्बन्ध में एकरूपता स्थापित करना चाहते हैं तो संविधान के उपबंध के अनुसार आप राज्यों की सम्मति से विधिनिर्माण कर सकते हैं । संसद् विधान बना सकती है : स्वीकृति प्रकट करने वाले सभी राज्य उस से शासित होंगे ।

श्री रघुरामैय्या ने कहा था कि विमति-टिप्पण अनुबंधित करने वाले व्यक्तियों ने भी यह मान लिया है कि यह पांच वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है । "यदि इस की आवश्यकता हो" उन्होंने लिखा है । यदि आप "यदि" तथा दूसरी बातों को न पढ़ना चाहें तो मेरा कोई वश नहीं है । व्यक्तिगत रूप से मैं अनुभव करता हूं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री मूलचन्द दुबे (ज़िला फर्रुखाबाद-उत्तर) : मेरा निवेदन है कि प्रस्तावित संशोधन सर्वथा अनिवार्य है । विरोधी पक्ष के सदस्यों का दृष्टिकोण गलत है । उन्होंने इस समस्या को राज्य की दृष्टि से देखा है अपितु इस दृष्टि से नहीं कि भारत एक इकाई है । विरोधी दल ने दो बातें कहीं है : प्रथम्, यह जनतन्त्र पर आघात और दूसरे, यह वर्तमान परिस्थिति में आवश्यक नहीं है ।

मैं कह दूं कि संसद् भी तो जनतन्त्र के आधार पर निर्वाचित किया है और यह भी विधान मंडलों के सदस्यों की भांति भारत के नागरिकों का प्रतिनिधि है । अतः इस प्रकार का कोई प्रश्न नहीं उठता है कि यह जनतन्त्र पर आघात है ।

दूसरी बात यह कही गई है कि वर्त्तमान में इस की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि खाद्य स्थिति अत्यंत संतोषजनक है । हमारे यहां प्रतिवर्ष देश के विभिन्न भागों में अकाल और अभाव की स्थितियां उत्पन्न होती रहती हैं । अनेक राज्यों में इस वर्ष भी कमी है । यदि एक राज्य में अतिरेक मात्रा है और दूसरे में कमी है तो कौन सा प्राधिकार यह आ कर देखेगा कि कमी वाले राज्यों को भी उचित शर्तों पर खाद्यान्न सम्भरित किया जाये । अतः खाद्यान्न का नियंत्रण और उस के वितरण सम्बन्धी शक्ति केन्द्र के पास होना अनिवार्य है । फिर केन्द्र खाद्यान्न के सम्बन्ध में पूर्ण शक्तियां प्राप्त नहीं कर रहा है । वे केवल समवर्ती सूची में रखे जा रहे हैं और समवर्ती सूची में रखने का अभिप्राय है कि केन्द्र द्वारा पारित किसी भी विधान की कार्यान्विति राज्यों पर आधारित रहेगी ।

एक बात यह भी है कि कम से कम आधे राज्यों द्वारा अनुमोदन करने पर ही प्रस्तुत अधिनियम विधि का रूप धारण कर सकता है ।

मेरा निवेदन है कि उक्त दलीलें निरर्थक हैं । मैं विधेयक का पूर्णतः समर्थन करता हूं । और आशा करता हूं कि वह पारित कर दिया जायेगा ।

श्री वी० वी० गांधी : हमें यह कहते हुए हर्ष है कि हमारे सामने संयुक्त समिति जो प्रतिवेदन है उस में हमें विधेयक के मुख्य उद्देश्य से सामान्य सहमति दिखाई देती है । विधेयक का मुख्य उद्देश्य यह है कि कतिपय अत्यावश्यक वस्तुओं के सम्बन्ध में विधि निर्माण करने का अधिकार सरकार के पास बना रहे । यह अधिकार संघ की सरकार के पास अनुच्छेद ३६९ के अधीन पहले से ही है किन्तु यह २५ जनवरी, १९५५ को समाप्त

हो जायेगा । जब मैं कहता हूं कि सामान्य सहमति है तो मेरा अभिप्राय यह है कि अल्प संख्यक सदस्यों का प्रतिवेदन भी उस के मुख्य उद्देश्य से सहमत है । उन्होंने पृष्ठ ५ पर लिखा है :

> "योजना की आवश्यकताओं पर ध्यान देते हुए कतिपय विषयों को संघ की सरकार के नियंत्रण के सम्बन्ध में संसद् को आवश्यक प्राधिकार देने की आवश्यकता के प्रति हम पूर्ण सचेष्ट हैं ।"

अतः वे कुछ विषयों को संघ की सरकार के नियंत्रण में रखने की आवश्यकता से सहमत हैं । वे इस शक्ति को दूसरे रूप में और कम समय के लिये देना चाहते हैं । उन का विचार है कि :

> "यदि प्रस्तुत विधेयक अपनी वर्तमान स्थिति में विधि के रूप में पारित कर दिया गया तो यह राज्यों के अधिकारों और शक्तियों पर गम्भीर अतिक्रमण होगा ।"

मेरा विचार है कि इस महत्वपूर्ण तथ्य का निर्णय राज्यों पर ही छोड़ दिया जाना चाहिये ।

विमति-टिप्पण का एक और वाद-विवाद विषय यह है कि :

> "केन्द्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण के प्रश्न पर जांच करने का कार्य इस समिति के क्षेत्राधिका में नहीं था । वस्तु नियंत्रण समिति के निर्देश-पद देखने पर यह बात स्पष्ट हो जाती है ।

यह यों है,—

> "अत्याश्वयक सम्भरण (अस्थायी शक्तियां) अधिनियम, १९४६ के संचालन का परीक्षण एवं पुनः विचार ।"

यह अधिनियम समाप्त हो जाता है अतः समिति का कर्त्तव्य है कि वह संघ की सरकार द्वारा वर्तमान में प्रयुक्त की जाने वाली शक्तियों को बनाये रखने की पद्धति के सम्बन्ध में सिफारिश करे । इस तरह के संशोधनों का सुझाव निश्चित रूप से उन के क्षेत्राधिकार में था ।

यह एक सामान्य धारणा है कि समवर्ती सूची का विस्तार कर देने पर——यदि यह विधेयक पारित हो गया तो सूची विस्तृत हो ही जायेगी——हम संविधान में निहित संघीय सिद्धांतों की अवहेलना करेंगे । लेकिन संविधान के जानकारों का कहना है कि संविधान में समवर्ती सूची का विद्यमान होना अथवा उस का प्रसार संविधान के फेडरल सिद्धांत की अवहेलना नहीं करता है । माननीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ने दूसरी सभा में कहा था कि संघ की सरकार के पास इस का अधिकार रहेगा, लेकिन वास्तविक अधिकार राज्यों में ही निहित होगा ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : एक औचित्य प्रश्न है, माननीय सदस्य माननीय मंत्री के उस भाषण का उद्धरण दे रहे हैं जो उन्होंने (मंत्री ने) दूसरी सभा में दिया था । क्या वह इसे उद्धृत कर सकते हैं ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मंत्रियों के वक्तव्य उद्धृत करने की अनुमति है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : सदन में पहले ऐसा निर्णय दिया गया था ।

उपाध्यक्ष महोदय : निर्णय दूसरी सभा के सदस्यों द्वारा दिये गये भाषणों से सम्बन्धित है । मंत्री गण तो यहां वहां दोनों स्थानों पर हैं ।

श्री वी० बी० गांधी: सभा में इस समस्या पर राज्यों की दृष्टि से विचार करना भी अत्यंत आवश्यक है । राज्यों के

[श्री वी० बी० गांधी]

लिये यह गहन रूप से व्यावहारिक समस्या होगी। लेकिन हमें यह विस्मरण नहीं करना चाहिये कि हम राज्यों को अमूर्त मान कर यह बातचीत नहीं कर रहे हैं। लेकिन सब राज्य समान नहीं हैं। उन की अलग अलग समस्याएं हैं। उन्हें यह विचार करना होगा कि उन की योजना की आवश्यकताओं पर कैसा प्रभाव पड़ेगा कुछ राज्यों में खाद्य की अतिरेक मात्रा है। कुछ राज्यों में इस की कमी है। हमें राज्यों पर विश्वास है। उन की विधान सभाएं उत्तरदायी हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा कल ११ म० पू० तक के लिये स्थगित होगी।

इसके पश्चात् सभा, बृहस्पतिवार २३ सितम्बर, १९५४ क ग्यारह म० पू० तक के लिये स्थगित हुई।

IPD—HS—404 LSD—21-1-55—285